Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ९] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का ३८वां दिवस [संख्या २७

सोमवार,
दिनांक ४ अप्रेल, १९६६

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

—०—

तारांकित प्रश्नोत्तर

(समाज कल्याण, पंचायत, राजस्व, वित्त, चिकित्सा एवं शिक्षा-विभाग)

प्रश्न संख्या ५७२

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५७३

श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री तेजराम गहलोत।

मांच ग्राम

५७४. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील आबूरोड़ का मांच ग्राम महाराजा सिरोही की निजी सम्पत्ति है ?

(२) क्या यह सच है कि बन्दोबस्त के रेकार्ड के अनुसार मांच ग्राम अचलेश्वर महादेवजी की डोली थी जो सार्वजनिक ट्रस्ट है ? क्या यह सच है कि महाराजा सिरोही देवस्थान बोर्ड सिरोही के अध्यक्ष होने के कारण मांच ग्राम उनके अधिकार में था न कि उनकी निजी सम्पत्ति होने के कारण ?

(३) क्या यह सही है कि मांच ग्राम अब उनकी निजी सम्पत्ति मान लिया गया है ? यदि हां, तो किस आदेश के अन्तर्गत ?

(४) क्या यह सही है कि महाराजा सिरोही वहां के कृषकों को व निवासियों को बेदखल कर रहे हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) मांच गांव का वह रकबा सिरोही एनक्लेव कहलाता है।

(२) जी हां। बन्दोबस्त सन् १९४२ के अनुसार उक्त गांव की एक पट्टी श्री अचलेश्वरजी महादेव के नाम पर थी जो अब भी ट्रस्ट की सम्पत्ति है। ग्राम के अन्य भाग का इस ट्रस्ट से सम्बन्ध नहीं है।

(३) मांच ग्राम का वह एरिया जो सिरोही "एनक्लेव" कहलाता है आदेश सं० एफ० २२/२१/ जी० ए०/६२, दिनांक ६ मई, १९६४ के अन्तर्गत माना है।

(४) राज्य सरकार की निगाह में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत: राज्य सरकार को वहां के काश्तकारों ने बहुत सी शिकायतें

(श्री तेजाराम गहलोत)
भेजो है कि हमें बेदखल किया जा रहा है, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि वहां के काश्तकार जो कि सिरोही 'एनक्लेव' क्षेत्र के हैं जिनके पास खातेदारी के पट्टे हैं किसी भी सूरत में बेदखल नहीं किया जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो व्यक्ति इस संबन्धित जमीन पर कानूनी खातेदार हैं उन खातेदारों को आज के नियमानुसार भी बेदखल नहीं किया जा सकता, आयन्दा भी उनको बेदखल नहीं किया जायगा। इस बात के लिये सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री मोहनराज (बाली): जो पट्टी निजी क्षेत्र में मानी गयी है क्या उस एरिया के काश्तकारों को खातेदारी के पट्टे मिले हुए हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के अनुसार कुछ लोग अवश्य खातेदार हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : इस प्रश्न के भाग १ में आपने बताया कि वह रकबा 'सिरोही एनक्लेव' कहलाता है। उसकी कुछ पट्टी अचलेश्वर महादेवजी की डोली थी। सिरोही एनक्लेव जिसको बताया गया है वह अचलेश्वरजी महाराज की डोली में है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों अलग अलग हैं।

श्री मोहनराज : जबकि आप उसको पर्सनल हिस्सा बतलाते हैं उसमें खातेदार कृषक रहते हैं जिसका राज्य सरकार अपना लगान आदि लेती है, वैसी सूरत में वह भूमि निजी सम्पत्ति में कैसे मानली गई, इसके बारे में राज्य सरकार दुबारा जांच करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब इस प्रश्न का विशेष महत्व नहीं रहता, कारण यह कि हमने राजा-महाराजा की निजी सम्पत्ति को भी एक्वायर करने के लिये कानून बना दिया है, उस कानून में केवल वही जमीन, जिसको कानून के मुताबिक खेती करते हैं, वही उनकी निजी सम्पत्ति रहेगी। जिस जमीन पर किसी के खातेदारी हक पहले से हैं या अब प्राप्त हो जाते हैं अथवा जिस पर खातेदार या गैर-खातेदार खेती करता है वह निजी सम्पत्ति भी हो तो भी कानून के अन्तर्गत बेदखल नहीं किया जा सकता। उस पर राजा-महाराजा का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिये अगर कोई बात है तो नये कानून के मुताबिक खातेदार, गैर-खातेदार के सब हकों को सुरक्षित रखा गया है और इस वजह से काश्तकार को कठिनाई नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष : कितना रकबा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५०० और कुछ बीघा है जिसके अन्दर १६ काश्तकार खातेदार हैं और २ गैर-खातेदार हैं। बाकी हिस्सा पहाड़ी है।

श्री तेजाराम गहलोत : गांव की जो आबादी है पर्सनल प्रोपर्टी में कैसे आगई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आबादी का जो हिस्सा है उसका पर्सनल प्रोपर्टी होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है क्योंकि आबादी से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता और जो खातेदार हैं उनको भी खातेदारी से

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बेदखल नहीं किया जा सकता और जो गैर-खातेदार हैं उनको भी गैर-खातेदारी से बेदखल नहीं किया जा सकता।

अब रहा सवाल पहाड़ी हिस्से का उसमें थोड़ी-बहुत जमीन बची हुई है। पांच बीघे पर तो भवन आदि हैं बाकी पहाड़ों की शृंखला है। उस जमीन पर न खेती होती है इस वजह से नेचुरली नये कानून के अन्तर्गत वह सरकार में निहित होगी। इससे सारी समस्या खातेदारी, गैर-खातेदारी की हल हो जायगी और जो अन-ओक्यूपाइड लैण्ड है वह गवर्नमेन्ट में आ जायगी।

प्रश्न संख्या ५७५

श्री अध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया।

परिवार नियोजन पर व्यय

५७६. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

(२) इस योजना काल में जनसंख्या वृद्धि की दर में द्वितीय योजना काल के मुकाबले कितने प्रतिशत कमी रही ?

(३) क्या राज्य सरकार को इससे संतोष है कि जितना धन खर्च किया गया उसका पूर्णरूपेण लाभ मिल पाया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में परिवार नियोजन पर कुल ८६.४४ लाख की धन राशि खर्च की गई है।

(२) इस प्रकार के आंकड़े अभी उपलब्ध नही हैं।

श्रीमती गौरी पूनिया: जब आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो आप किस आधार पर यह कहते हैं कि परिणाम संतोषजनक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: परिणाम सन्तोषजनक इस आधार पर है कि परिवार नियोजन की शिक्षा में जितने आदमियों ने भाग लिया उनकी संख्या है १६ लाख १८ हजार ४७३।

जिनको सलाह दी गई उनकी संख्या १०,६१,७५६।

निरोधक उपकरण बांटे गये, डाईफ्राम एवं जेली आदि	१,१३,०४०
केवल जेली....	१,५६,७५८
कन्डेन्स....	५,१२,२५३
फोम गोलियां....	४,८६,७१५
सेफ पीरियड और अन्य....	५६१
कुल....	१२,६२,३५६

ऑपरेशन पुरुषों के हुए २९ हजार ३३
औरतों के ऑपरेशन १३ हजार ४१३
कुल... ४२ हजार ४४६

जिनके आई. ए. सी. डी. लूप लगाये गये १२,११२।

इससे सन्तोष माना गया।

Page No. 4

प्रश्न संख्या ५७७

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी। (अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल।

लगान की वसूली

५७८. श्री देवीलाल मीणा (सराडा-सु.) [श्री देवेन्द्रकुमार (सहाडा-सु.) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला उदयपुर, तहसील खेरवाड़ा में मौजा गरनाला, बमुकर्रर मौजा अथमणा कोटडा और मौजा उगमनां कोटडा का सरहदी मामला असिस्टेन्ट रेकार्ड ऑफिसर श्री अब्दुलरहमान खां, सैटलमेन्ट डिवीजन, चित्तौड़, मुकाम उदयपुर के यहां तारीख १४-७-५४ को दायर हुआ था?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सरहदी तनाजे का फैसला तारीख २७-११-५४ को हो चुका है?

(३) क्या यह सही है कि सरहदी फैसले का तरमीम ट्रेस खसरा जमाबन्दी सैटलमेन्ट विभाग, उदयपुर से तहसील खेरवाड़ा में नहीं आने से १०५० खेतों का लगान वसूल नहीं हो रहा है? यदि हां, तो सरकार को लगान के कितने रुपयों का नुकसान भुगतना पड़ा है?

(४) क्या यह सही है कि १०५० खेतों की आराजी पर काश्तकार काबिज हैं? यदि हां, तो कुल कितने परिवार बसे हुए हैं?

(५) क्या कोटडा-गरनाला के काश्तकारों ने खातेदारी हक प्राप्त करने व लगान वसूल करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या तहसीलदार, खैरवाड़ा ने कोई कार्यवाही की है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां, परन्तु इसको बाद में राजस्व मंडल द्वारा रद्द कर दिया गया।

(३) राजस्व मंडल द्वारा सहायक रिकार्ड ऑफिसर का फैसला रद्द कर दिये जाने के कारण तरमीमी नक्शा खसरा व जमाबन्दी सैटिलमेन्ट विभाग, उदयपुर से तहसील खेरवाड़ा में भिजवाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि तहसील द्वारा १०५० खेतों का लगान लगभग १,५००) रु० सालाना वसूल नहीं किया गया, जिसको अब वसूल करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(४) जी हां, इस पर ५० काश्तकार काबिज हैं।

(५) जी हां, कोटडा-गरनाला के काश्तकारों ने मार्च सन् १९६५ में एक प्रार्थना-पत्र तहसील खैरवाड़ा में पेश किया था, किन्तु तहसील को सहायक रिकार्ड ऑफिसर के निर्णय को राजस्व मंडल द्वारा रद्द किये जाने का ज्ञान न रहने के कारण तहसील द्वारा सैटिलमेन्ट विभाग से तरमीमी नक्शा खसरा व जमाबन्दी की प्रतीक्षा की जा रही थी इसलिये इस पर कोई कार्यवाही न की जा सकी। अब शीघ्र इस मामले में कार्यवाही की जावेगी।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : कब तक की जायगी?

Page No. 5

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने इस प्रश्न के आजाने के बाद पहले ही आदेश दे दिये थे, इस कार्यवाही को तीन महिने में मुकम्मिल समाप्त करदी जाय। जहां तक लगान वसूली का सवाल है इतने वर्षों से नहीं हुआ और अब सब एक साथ काश्तकार नहीं दे सकता इसलिये पूरा लगान एक साथ न लेकर ईजी इन्स्टालमेंट में वसूल किया जाय।

साथ ही यह आदेश भी दिया है जिस सरकारी अधिकारी की गफलत से इतने अर्से तक निर्णय नहीं हो सका इस मामले में छानबीन कर, इन्क्वायरी कर, जो भी दोषी पाया जाय उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाय, जो जरूरी समझा जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): क्या यह आपकी जानकारी में आया है कि किस अधिकारी की गलती के कारण यह लगान वसूल नहीं हो सका ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: लगान वसूल करने का सवाल नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे सैटिलमेन्ट ऑफिसर का फैसला था लैन्ड रेकार्ड ऑफिस से इस फैसले की फाइल रिमान्ड की थी। उसके बाद एस० डी० ओ० के कार्यालय द्वारा जो डाइरेक्शन्स थे उनके अनुसार कार्यवाही नहीं की गई फाइल मिस-प्लेस हो गई जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं हुई। फाइल का पता लगने के बाद जो इस गफलत के लिये जिम्मेदार होगा उसके लिये इन्क्वायरी के आदेश दे दिये गये हैं पहले से।

बाड़मेर अस्पताल में लेडी-डाक्टर

५७६. **श्री हरिराम घारू:** (सिवाना-सु०), [**श्री देवेन्द्रकुमार मीणा:** (सहाड़ा-सु.) द्वारा पूछा गया]: क्या चिकित्सा-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर अस्पताल में २५ महिला रोगी-शय्याओं की व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां इस समय एक भी लेडी-डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में कब तक लेडी-डाक्टर की व्यवस्था करदी जावेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं। बाड़मेर चिकित्सालय में कुल २२ महिला रोगी-शय्याओं की व्यवस्था है ?

(२) जी हां, लेडी-डाक्टर के उपलब्ध होने पर व्यवस्था हो जावेगी।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा: लेडी-डाक्टर की पोस्ट क्रीएट हुए कितने वर्ष होगये ?

श्री दामोदरलाल व्यास: क्रीएट होने का प्रश्न नहीं होता, हर जगह रखने का कायदा है पर लेडी-डाक्टर मिल नहीं रही हैं, इसलिये मजबूरी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): पोस्ट क्रीएट होने के बाद अब तक क्या लेडी-डाक्टर की वहां व्यवस्था ही नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास: पहिले कबसे नहीं है, इसकी तो जानकारी प्राप्त करूंगा तब बता सकूंगा।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा: जानकारी में देदूं कि जबसे यह जिला हैडक्वार्टर पर

Page No. 6

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)
अस्पताल बना है तबसे लेडी-डाक्टर नहीं लगी है।

श्री भैरोंसिंह: क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि अस्पताल को फुल्ली इक्विप्ड रक्खा जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि सरकार बहुत आवश्यक समझती है और कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा डाक्टर भेजे जावें। इमर्जेन्सी में भेजे भी थे। डी०एम०एच०ओ० का हैड-क्वार्टर भी चेन्ज कर दिया था। अब लेडी-डाक्टर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही भेज देंगे।

गोजगढ़ में छात्रावास

५८०. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०): क्या शिक्षा-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या तहसील सिकराय के ग्राम गोजगढ़ की हाईस्कूल में दूर-दूर के ग्रामों से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते हैं इस कारण से गोजगढ़ हाइस्कूल में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम गोजगढ़ में बोर्डिंग हाउस बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस शर्त पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): जी हां, परन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण सरकार असमर्थ है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: यह कब तक बनी रहेगी ? तहसील सिकराय के लिये तो आर्थिक कठिनाई नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जब आर्थिक परिस्थिति ठीक होगी तब देखा जावेगा।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: मैं अर्ज करूं कि इसी तरह से सिकराय के लिये १४ हजार दिये गये थे, वे खर्च नहीं हुए। वैसे वह पिछड़ा इलाका है, छात्र आते हैं; कुछ तो सोचिये। फिर मैंने पूछा है किस शर्त पर ? तो आप शर्त यह लगादें कि पंचायत समिति से पैसा दिया जावे तो बना देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अगर छात्रावास के लिये भवन निर्माण करादें तो छात्रावास की व्यवस्था करादी जावेगी।

श्री अध्यक्ष: इस साल कितने छात्रा-वास खोलने का विचार है, कितने इससे पूर्व वर्ष में खोले गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: गये साल भी नहीं खोला और इस साल भी नहीं खोलने का है।

मुआवजे आदि की रकम

५८१. श्री गंगासिंह (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि नागोर जिले में पसायतेदारो को अभी तक मुआवजा व पुर्नस्थापन अनुदान की रकम नहीं दीगई है ?

(२) उक्त जिले में पसायतों की कितनी जागीरें हैं, इन जागीरों का मुआ-वजा व पुर्नस्थापन अनुदान की रकम कब तक मिल जावेगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां। नागोर के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
पसयदारों को अभीतक मुआवजा व पुर्नस्थापन अनुदान की रकम नहीं दीगई है।

(२) ऐसी जागीरें लगभग एक हजार हैं। ऐसे मामलों को जल्दी ही निबटाया जारहा है।

श्री गंगासिंह: इन पसायतेदारों की जागीरों की डेट ऑफ रिजम्पशन क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: समझा नहीं?

श्री गंगासिंह: इन पसायतेदारों की जागीरों की डेट ऑफ रिजम्पशन क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तारीख रिजम्पशन की तो मुझे मालूम नहीं, पर यह मुझे याद पड़ता है कि इनके मामले कुछ हाईकोर्ट में चले और जिसकी वजह से वेलीडेशन एक्ट भी बना। पसायतदारों के बड़े जागीरदार थे जिनके ये सब-ग्रान्टीज थे उनके फार्म भरे गये। अब उनके अलग लिये जावें या नहीं लिये जावें इसमें शंका थी, इसका निर्णय होने के बाद उनके कम्पेन्सेशन की कार्यवाही की गई थी। पर अब जानकारी के लिये निवेदन करदूं कि करीब ४३२ गांवों में स्थायी अवार्ड दे दिये गये हैं और २०० में बोन्ड्स भी इन्डेंट कर दिये हैं। कुछ को बोंड्स वितरित भी किये जा चुके हैं। अब हम यह स्टेप ले रहे हैं बाकी के सारे मामले भी जैसे भी हो जल्दी से निबटाये जावें।

श्री गंगासिंह: मुसीबत इसमें यह है कि डेट ऑफ रिजम्पशन में जहां तक बड़ी जागीरों के साथ रिज्यूम करली गई थीं तो इसके सम्बन्ध में तो एक्ट पास किया गया। पर वे जागीरें जो मुख्य जागीरदारों की जागीरों के साथ रिज्यूम नहीं हुई उनको रिजम्पशन की डेट के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह कोई प्रश्न इसमें नहीं है। प्रश्न वास्तव में यह है जिसकी वजह से यह देरी हुई है या हो रही है वह यह है कि वेलीडेशन एक्ट जो बनाया गया उसकी तहत नियम बने उसके अन्दर डिक्लेरेशन उनको देने चाहिये थे। पसायतदारों को अपने स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम्स देने चाहिये थे, अब जिन्होंने नहीं दिये उनके केसेज अभी के प्रचलित नियमों के अनुसार कन्सीडर नहीं किये जा सकते; ऐसी सलाह कानून की बताई जाती है।

इस वजह से ये केसेज आज रह गये हैं। सही माने में पूछा जावे तो एक भी स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम जिन्होंने पहले दिये हैं उनका अवार्ड दिये बिना पेन्डिग नहीं रह गया है। पर ये भी सरकार द्वारा स्वयं तैयार करवाये हुए थे। अब जो थोड़े से पेन्डिग बाकी है, उनके बारे में एक राय तो यह है कि उन स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम्स को सरकार भरे क्योंकि उन्होंने तो मियाद में भरे नहीं। अब स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम्स की मियाद निकल चुकी है। अब कानूनी पोजीशन आज की जो बताई जाती है उसके अनुसार अब वह भी नहीं भर सकते और सरकार को भी भरने का अधिकार रूल्स ऑफ वेलीडेटिंग एक्ट में नहीं है।

तो ऐसे मामलों को जिनकी जांच हुई है, किस तरह से निपटाया जावे यह डिफीकल्टी है। इसको हल करने के लिये इसको एग्जामिन करके किसी तरह से हल किया जावे, इसकी कार्यवाही की जा रही है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तो किसी के स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम्स फाइल किये हुये हों, और सरकार की तरफ से अवार्ड नहीं दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री गंगासिंह : अध्यक्ष महोदय, कानूनी परिस्थिति यह है कि स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम उनके लिये जरूरी हो सकता है जिनको बड़ी जागीरों के साथ रिज्यूम कर लिया गया है। परन्तु वे क्लेम जिनके तहत बड़े जागीरदारों ने क्लेम नहीं किये हैं तो उनको तो पूरे तौर पर सरकार को ही तय करना पड़ेगा जैसे छोटों का किया है। इनकी किसी की आय दस रुपया है, किसी की बीस है। तो मैं, इनके लिये भी अपील करूंगा सरकार से कि इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाया जावे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्लेम तो हम तय करेंगे। पर हमारे पास क्लेम फाइल हों तो सुविधा होती है, वरना जानकारी कैसे हो, यह एक सवाल है और जिसे कानूनी डिफिकल्टी मानी जाती है उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। आपकी बात को भी उसके साथ एग्जामिन कर लेंगे।

सरकार का इरादा नहीं है कि छोटों २ को कम्पेन्सेशन न मिले, पर कानूनी अड़चन मेरे सामने बताई गई है उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे बाकी मामले जल्दी फैसल हों।

श्री गंगासिंह : अब नागौर डिस्ट्रिक्ट में पसायतदारों के क्लेम भरे हुए कितनों के तो नहीं हुए। मेरे ख्याल में काफी तादाद में हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नागौर और जालोर डिस्ट्रिक्ट वाईज तो मुझे जानकारी नही है। और मैंने जो फिगर बताये हैं वे राजस्थान भर के हैं। इनमें नागौर के भी हैं। इसमें से ४३० तो निर्णय हो गये हैं। ६०० कुछ बाकी हैं। उनके क्लेम हो हैं नहीं, और कानूनी राय है कि मियाद निकल जाने से वे भर नहीं सकते, सरकार स्टेटमेन्ट बना नहीं सकती तो क्या करें, इसके लिये हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री गंगासिंह : डिप्टी कलेक्टर जागीर की पोस्ट जब तक इनके क्लेम्स सैटल न हों आप तोडेंगे तो नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २८-२-६६ तक वाइन्ड-अप करना चाह रहे थे, पर वर्क लोड अभी भी काफी होने के कारण अभी वाइन्ड-अप नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

उदयपुर नगर की माध्यमिक शालाओं के अध्यापक

५८२. श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर की माध्यमिक शालाओं में कई एम० ए० बी० एड० अध्यापक नियुक्त हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उदयपुर नगर की उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कई ऐसे अध्यापक नियुक्त हैं जो नॉन-ग्रेजुएट हैं ?

(३) क्या सरकार माध्यमिक शालाओं में नियुक्त एम०ए०बी०एड० अध्यापकों को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में स्थानान्तरण

Page No. 9

(श्री मानसिंह महारह)

करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ये स्थानान्तरण होंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इसे पोस्टपोन करने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया जाता है।

प्रश्न संख्या ४८३

श्री हरलाल

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८४

श्री जोधसिंह चौहान

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८५

श्री रविशंकर याज्ञिक

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा

चमारों के मकानों को तुड़वाने सम्बन्धी कार्यवाही

४८६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) [श्री दयाचन्द सोन (बारां) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी के एस० डी० एम० दिनांक ७-२-६६ को पुलिस के साथ गये और चमारों के मकानों को तुडवाने हेतु घेरा डाल कर उन्हें तुड़वाना चाहा ?

(२) यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि यहां पर धारा १४४ एस० डी० एम० ने लागू करदी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वहां के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं से उनकी इस धांधली का विरोध किया था ?

(३) क्या यह सही है कि एक चमार के मकान से भंगियों के द्वारा उनका सामान बाहर निकाल दिया और उनकी औरतें व बाल-बच्चों को धक्के देकर मकानों से बाहर निकाल दिया ?

(४) क्या यह सही है कि वे जब सामान ट्रक में भर कर ले जाने लगे तब कुछ महिलायें अपने मकान को अन्दर जाकर देखना चाहती थीं ?

(५) क्या यह सही है कि थानेदार लाखेरी ने औरतों को उनके घरों में नहीं जाने दिया और धक्के लगाये जिससे वहां की जनता में भारी असंतोष फैल गया ?

(६) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के करीब २५ सदस्यों ने राजस्व-मंत्री को लिखा है कि वह एस०डी० ओ० बूंदी के कारनामे की जांच करें व चमार महिलाओं को जिस थानेदार ने धक्के दिये हैं उनको दण्ड दिया जावे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) एस० डी०एम०, बूंदी दिनांक ७-२-६६ को पुलिस के साथ लाखेरी अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर बनाये हुये मकानों पर से केवल ५ कम्पनी के कर्मचारियों को हटाने के लिये भेजे गये थे।

(२) एस०डी०एम० बूंदी द्वारा लाखेरी में धारा १४४ लागू नहीं की गई थी बल्कि धारा १४४ के अन्तर्गत नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक ७-१२-६५ को जारी किया गया था। कारण कि लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री की एक्सप्लोजिव मेगजीन के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर मकान बना लिये थे जिनको

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
इन्डियन एक्सप्लोजिव एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मानव जीवन को खतरा होने से बचाने के लिए हटाना आवश्यक था। वहां के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा उक्त नोटिस के विरुद्ध कोई विरोध करना नहीं पाया गया।

(३) एक चमार के मकान से सामान पुलिस तथा तहसील के कर्मचारियों द्वारा निकाला गया था। चमारों की औरतों व बच्चे पहले से ही मकानों से निकल कर बैठे हुए थे।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं।

(६) जी हां।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह मकान कब से बने हुए थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह एन्क्रोचमेंट था, लेकिन कब से बने हुए थे, इसकी निश्चित साल या तिथि मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: क्या इस एन्क्रोचमेन्ट को हटाने के लिये कानूनी कार्यवाही की गई थी और नोटिस दिया गया था और नोटिस का जवाब मिला था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस मामले की इस रोशनी से मैं पहले ही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह: यह फिर जवाब क्या हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: नोटिस से मतलब आपका सेक्शन ६१ के नोटिस से होगा ?

श्री भैरोंसिंह: जी हां।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: उसके लिए वहां से सूचना नहीं आई थी इसलिए मैंने यह अलग से उनसे पूछा है।

श्री भैरोंसिंह: यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ। इसको फिर पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष: पोस्टपोन कर दीजिए।

प्रश्न संख्या ५८७

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासिंह:
(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामप्रसाद लड्ढा: I am sorry Sir, वह सूचना प्राप्त हो गई है और सेक्शन ६१ (४)(२) के तहत बेदखली की आज्ञा देने के बाद यह कार्यवाही की गई।

श्री भैरोंसिंह: यह आज्ञा कब दी गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मार्च, ६५ में।

श्री भैरोंसिंह: यह सारा मामला जेरे तजवीज था और इसका फैसला होने से पहले ही यह कार्यवाही करदी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: केवल अपील हो जाने से स्टे-ऑर्डर नहीं समझा जाता है जब तक कि उनकी तजवीज को मुलतवी करने के आदेश अपीलेट कोर्ट, चाहे कलेक्टर के हों या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हों, चाहे अपीलेट ऑथोरिटी के हो जब तक स्टे-ऑर्डर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं दिया जाता है तब तक नीचे के ऑर्डर्स स्टेण्ड करते हैं ।

श्री दयाचन्द सोन : यहां भंगी-चमारों की भी रक्षा करने वाला कोई है या नहीं, उनको म्युनिसिपेलिटी जमीन नहीं देती, अगर वे कहीं मकान बना लेते हैं तो उनको तुड़वा दिया जाता है, फिर मुकदमेबाजी होती है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्याल से वह बहुत बड़ी मेगजीन है जिसके एक्सप्लोजिव के आधार पर माईनिंग का और दूसरा प्रोडक्शन डिपेण्ड करता है । अगर उससे सटे हुए मकान हैं तो वहां रहने वालों को भी खतरा है और उनको मिल के अन्दर मकान देने के लिए तैयार हैं कि वह क्वार्टर्स में रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं छोड़ें और वहां एक्सप्लोजिव से उनको भी खतरा है और वहां पर पक्के मकान हमेशा के लिए रखते हैं तो फिर एक्सप्लोजिव को हटाना पड़ेगा और वह सम्भव नहीं है और वह इल्लीगल एन्क्रोचमेन्ट था । इन तीन-चार कारणों से ५ आदमी जो मिल के मुलाजिम थे उनको कहा गया कि आप मिल की जमीन में रहो और जिनके लिए कहा गया कि यदि वह चाहें तो मकानों के लिए जमीन दे दी जायेगी और मकान बनाने के लिए भी कुछ मदद कन्सट्रक्शन के लिए मिल की तरफ से उनको दिला दी जाय ।

श्री भैरोंसिंह: यह फैक्ट्री एरिया था या एग्रीकल्चरल लैण्ड थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह एग्रीकल्चरल लैण्ड थी तभी सैक्शन ९१ के तहत कार्यवाही हुई ।

श्री भैरोंसिंह: आप तो यह बताईये कि यह फैक्टरी एरिया था या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जमीन तो सरकारी थी ।

श्री भैरोंसिंह: यह फैक्टरी एरिया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: फैक्टरी एरिया कितना घोषित किया हुआ है, यह तो मुझसे सम्बन्धित नहीं है । लेकिन यह एग्रीकल्चरल लैण्ड थी ।

श्री भैरोंसिंह: क्या फैक्टरी एरिया में ही यह जमीन एग्रीकल्चरल लैन्ड थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वह जो मिल है वहां नहीं है । यह दूसरी जगह जो मेगजीन है, क्वेरी है उसके आसपास है ।

श्री भैरोंसिंह: आपने कहा कि फैक्टरी एरिया था ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: फैक्टरी एरिया की क्या सीमायें हैं, यह मुझे नहीं मालूम ।

श्री भैरोंसिंह: आपने प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में नहीं बताया कि २५ सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दिये तो आपने जांच करवाई ? यदि करवाई तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह जांच के लिए भेजी हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर मंत्री महोदय ने सारी क्लीन चिट किस आधार पर दे दी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो फैक्ट्स वहां से मंगवाये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : फिर जांच किस बात की की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जांच का मतलब यह है कि २५ मेम्बर्स ने जो कुछ अपनी दरख्वास्त में लिखा उस दरख्वास्त को हमने कलेक्टर, बूंदी को भेजी कि इसके सम्बन्ध में वह तथ्य भेजें लेकिन तथ्य वही हैं जो मैंने बताये। अलग से एम० एल० एज़० की दरख्वास्त के ऊपर रिपोर्ट नहीं आई लेकिन तथ्य वही हैं जो कि प्रश्न के उत्तर में और सप्लीमेन्टरी के बारे में मैंने बताये। यह जो २५ एम० एल० एज़० की एप्लीकेशन थी राजस्व मंत्रीजी के पास आई थी और वहां से वह भेजी गई। इसका शुरू में पता नहीं था, लेकिन माननीय सदस्यों ने पूछा तो हमने पता लगाया और मालूम हुआ कि कलेक्टर, बूंदी के पास तथ्यों की जानकारी के लिए भेजी है।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कब भेजी थी और सदस्यों ने एप्लीकेशन कब दी थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास इस समय दरख्वास्त की प्रतिलिपि नहीं है इसलिए यह मैं नहीं कह सकता कि किस डेट को भेजी गई लेकिन इसको तो माननीय सदस्य स्वयं जानते होंगे कि कब दस्तखत करके दी। जब उन्होंने दस्तखत करके दी उसी समय भेज दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने कलेक्टर को यह भी आदेश दिये थे कि अमुक समय में इसकी जांच करके रिपोर्ट दे दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसमें अवधि नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि जिस प्रश्न को लेकर विधान सभा में प्रश्न पूछा जाये और मेम्बर्स इस सम्बन्ध में जांच का निवेदन करें वह प्रतिवेदन इस प्रश्न के साथ-साथ विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा उसमें सारे फैक्ट्स आगये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आ कहां से गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही फैक्ट्स हैं जो मैंने बताये। लेकिन दरख्वास्त जो २५ एम० एल० एज़० ने दी वह और उसके ऊपर टिप्पणी और वह फाइल जिसको वैधानिक रूप से कहा जा सके कि यह मेम्बर्स की एप्लीकेशन के ऊपर टिप्पणी के रूप में आई उसको देखने का अवसर मुझे नहीं मिला along with the comments of the Collector over that उसको हम मंगवायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि जिन मेम्बर्स ने आरोप लगाये वह आप के अनुसार सही नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भी मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : तो किस आधार पर कह दिया कि जो कुछ एस०डी०एम० ने एक्शन लिया वह उचित है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर जवाब में निवेदन कर रहा हूं। अगर कलेक्टर इन्क्वायरी करेगा और उससे नई बात सामने आयेगी और किसी को दोषी पाया जायेगा तो उसको माफ नहीं किया जा सकता और उसके अन्दर अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो हम उनको और लिख देगें कि सारी डिटेल्स में लीगल और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
फंक्चुग्रल हालत को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करके रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत करें जिससे और भी अन्य कार्यवाही करनी हो तो की जायेगी। उसमें गुरेज नहीं है। प्रश्न के उत्तर में जो सूचना आई थी उसके आधार पर उत्तर दिया जा रहा है। कलेक्टर के इन्क्वायरी करने से अदरवाईज़ पोइंट आयेगा या हमें शंका होगी कि इसमें यह कमी है तो हम स्वयं भी उसको देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह, अध्यक्ष महोदय, बारबार व्यवस्था मांगी गई है ट्रेज़री बेन्चेज की ओर से कि जिन मामलों में इन्क्वायरी चल रही हो गवर्नमेन्ट उसमें किसी प्रकार से इन्टरफियरेन्स करके उसको प्रिज्यूडिस न करे। माननीय मंत्री महोदय को मालूम था कि कलेक्टर सारे मामले की जांच कर रहा है और इसके बाद भी उन्होंने हाउस के अन्दर एस०डी०एम० के सारे एक्शन को जस्टीफाई करने की कोशिश की है। एक तरफ तो कलेक्टर इन्क्वायरी कर रहा है और दूसरी तरफ मिनिस्टर साहब एस०डी०ओ० को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो इन्क्वायरी की जा रही है वह इससे इफेक्ट होगी और २५ एम०एल०एज़० के दस्तखत हैं उसके बावजूद भी उस इन्क्वायरी की इम्पोर्टेन्स रहना चाहिए वह अपने आप में समाप्त हो जायेगी, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय ने इस इन्क्वायरी के संबंध में जो बात कही है वह या तो इस केटेगोरीकल एश्योरेन्स के साथ दें कि वह सब्जेक्ट टू दी इन्क्वायरी ऑफ दी कलेक्टर है। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो उसको हाउस की प्रोसीडिंग्स से हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से जो तथ्य रखे हैं, नोटिस दिया या नहीं, किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई या नहीं और किसी अधिकारी को बचाने की कोशिश की, वह स्थिति नहीं है। इन सारे तथ्यों को देखते हुए जो २५ माननीय सदस्यों ने दरख्वास्त दी कि अपने अधिकारों का ठीक तरह से उपयोग नहीं किया है और ठीक तरह से काम नहीं किया है, तो जो माननीय सदस्यों ने तथ्य रखे हैं उसके बावजूद भी जांच से साबित हो कि दिक्कत है या कोई ज्यादती की गई है तो माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि उस पर कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य): अध्यक्ष महोदय, जो २५ सदस्यों के दस्तखतों से पत्र देने की बात है, वह सही नहीं है। उस पर २५ सदस्यों के दस्तखत नहीं हैं, केवल एक सदस्य के ही दस्तखत हैं और उस कागज की हालत भी इतनी खस्ता बन गई कि न मालूम वह कितने दिन तक एम० एल० ए० साहब की जेब में या उनके हाथों में पड़ा रहा होगा। उसको बहुत सावधानी से ठीक किया गया तभी वह पढ़ने के लायक बन पाया। उसके बाद में भी हमने कलेक्टर को लिखा कि जैसा एम.एल.ए. साहब ने कहा है उसकी जांच करके जवाब दे दिया जाय और एम०एल०ए०साहब को भी चिट्ठी लिखी है कि आपके पत्र पर एक के दस्तखत हैं और आपने कहा है कि २५ सदस्यों के दस्तखत हैं तो यह बात सही नहीं है, यह आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

गांव रूण की मिडिल स्कूल

५८८. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 14

(श्री गंगासिंह)

(१) क्या यह सत्य है कि गांव रूण, तहसील नागौर में मिडिल स्कूल काफी अर्से से है ?

(२) क्या सरकार इस स्कूल को हायर सैकन्डरी स्कूल में बदलने की सोच रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) १ जुलाई, १९५९ से स्थानीय प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में परिणित की गई।

(२) वर्तमान माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में परिणित करने हेतु स्थानीय जनता का अनुरोध रहा है। इस प्रकार के दूसरे प्रस्तावों के साथ इस पर यथा समय विचार होकर निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री गंगासिंह : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस जुलाई तक।

श्री अध्यक्ष : श्री मावा।

आदिवासियों को जमीन

५८९. श्री मावा (सलूम्बर) [श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सराड़ा व सलूम्बर तहसील में आदिवासियों को एलॉटमेन्ट में जमीन मिल सके, क्या सरकार इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों में आदिवासियों को जमीन नहीं मिल पाती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कृषि योग्य भूमि का भूमि हीनों में एलॉटमेंट रूल्स, १९५९ के तहत किया जाता है तथा आदिवासियों को प्राथमिकता दिये जाने के राज्य सरकार के पहले से ही आदेश हैं।

(२) जी नहीं।

श्री उदयलाल वर्दिया : भूमिहीनों के लिए जमीन नहीं है तो जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है और जो पड़त है, उसमें वृक्ष भी नहीं हैं तो वह जमीन दिलाने में क्या एतराज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, जो भूमि भूमिहीनों को अलॉट करते हैं तो उसके बारे में नोटिफिकेशन निकालते हैं कि यह भूमि अलॉटमेंट के लिए गांव में अवेलेबल है। यदि कोई भूमि फोरेस्ट डिपार्टमेंट में होती है तो वह राजस्व विभाग के द्वारा अलॉट नहीं की जा सकती जब तक कि फोरेस्ट कमेटी जो नीचे के लेविल पर बनी हुई है, वह फैसला करके रिलीज न करदे फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट की जमीन को राजस्व विभाग के हक में, तब तक अलॉटमेन्ट हम नहीं कर सकते। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि सन १९६५ में ६८२ आदिवासी काश्तकारों को १७७९ एकड़ जमीन अलॉट की गई है सलुम्बर में और १०८४ आदिवासियों को ३९३६ एकड़ जमीन अलॉट कीगई है सराड़ा में। इस प्रकार सराड़ा में ६८२ और सलुम्बर में

Page No. 15

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
१०८४ आदिवासियों को जमीन अलॉट की गई है १६६५ में।

श्री उदयलाल वर्दिया: १८०० दरख्वास्तें तो सराड़ा की ही पेन्डिग हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: उसके लिये तो मैंने आपसे अर्ज किया कि वहां पर १७७६ एकड़ जमीन अलॉट की गई है ६८२ आदिवासियों को, अब और भी करेंगे।

श्री उदयलाल वर्दिया: यह ठीक है कि आपने अलॉट की है लेकिन अभी भी करीब पौने दो हजार एप्लीकेशन्स सराड़ा के आदिवासियों की पड़ी हुई हैं और आप जिस फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की बात करते हैं तो वह तो एक बार भी कमेटी नहीं मिली है और उसके लिये अभी तक भी मौके पर एक बार भी रिपोर्ट नहीं की है कलेक्टर को।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय, वहां इतने आदिवासी भी हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अभी तक वहां पर ६८२ आदिवासियों को १७७६ एकड़ जमीन १६६५ में दीगई है।

श्री अध्यक्ष: दरख्वास्ते कितनी हैं; उसकी सूचना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दरख्वास्तें उस समय थीं वे तो फैसल होचुकी हैं। आप जो हजारों दरख्वास्तें बताते हैं तो वह दरख्वास्तें तो आप यों ही दे देते हैं जबकि एप्लीकेशन्स इन्वाइट करने के लिये बाकायदा नोटिफिकेशन होता है। अब जो बहुत सारे पहले से ही देदेते हैं तो उनको भी अलॉटमेंट के टाइम पर कन्सीडर कर लेते हैं। अब जो हम जमीन का अलॉटमेंट करेंगे बरसात से पहले, अप्रेल-मई-जून में तो पहले उसका नोटिफिकेशन करेंगे और उस समय जो दरख्वास्तें आयेंगी उन पर अलॉटमेंट करेंगे। अब जो आप कहते हैं कि वहां पर हजारों दरख्वास्तें पेंडिग हैं तो अब जो तीन महीने में अलॉटमेंट होगा तो उसके अन्दर इनका भी डिस्पोजल हो जायेगा।

श्री उदयलाल वर्दिया: जमीन तो है ही नहीं फिर अलॉटमेंट क्या होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जमीन नहीं है तो फिर मेरे से तो आने से रही, अगर फोरेस्ट डिपार्टमेंट से राजस्व विभाग को जमीन हस्तान्तरित होगी तो अलॉटमेंट कमेटी अलॉटमेंट करेगी। अब रहा सवाल यह कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट हस्तांतरित कर दे जमीन को, यह अलग से उनके डिस्क्रीशन की बात हैं, उन्होंने एक कमेटी बना रखी है तहसीलदार, प्रधान, विकास अधिकारी, वह सब लोग मिल कर जिस जमीन को फोरेस्ट डिपार्टमेंट से राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने की सिफारिश करते हैं, उस कमेटी में डी०एफ०ओ० भी होता है, तो वह जो सिफारिश करते हैं वह फैसला वहीं पर कार्यरूप में परिणित कर दिया जाता है। अगर उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है तो वह जिला के लेवल पर जाती है और जिला के लेवल पर डिफरेन्स ऑफ ओपिनियन होती है तो वह गवर्नमेंट के पास आती है और उसका फैसला गवर्नमेंट करती है। इस प्रकार से यह मामला जल्दी से जल्दी निपटाया जाता है। फिर भी आप कहते हैं तो हम भी उनको कहेंगे कि ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु०): क्या आपको यह सूचना है कि इस एक जमीन के लिए कितनी बार मीटिंग हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं समझा नहीं, एक जमीन के लिए कितनी बार मीटिंग हुई से क्या मतलब है ?

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा: कलेक्टर महोदय के पास कितनी बार इस बारे में मीटिंग हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री उदयलाल वर्दिया: जो फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की आप बात कह रहे हैं उसकी एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी कोई नहीं होती, फोरेस्ट कमेटी होती है जिसमें तहसीलदार, विकास अधिकारी, प्रधान और डी. एफ. ओ. वगैरा मेम्बर होते हैं, वे लोग मीटिंग करके उसकी रिकमण्डेशन करते हैं। उनकी रिकमण्डेशन अगर सर्व सम्मत होती है और डी. एफ. ओ. भी उससे सहमत होता है तो उसको वहीं पर इम्पलीमेंट कर देते हैं, वहीं पर कार्यरूप में परिणित कर देते हैं और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है तो उसे जिला स्तर की कमेटी में रेफर करते हैं।

श्री उदयलाल वर्दिया: यह जो कमेटी है जिसका बी. डी. ओ. चेयरमैन है वह कमेटी एक बार भी नहीं बैठी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अगर उनको एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है तो इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं यह आदेश प्रसारित करूंगा कि जल्दी से जल्दी मीटिंग बुला कर ऐसे मामलों को निपटाने का प्रयत्न करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं एक बात जानना चाहता हूं इसके अन्दर कि इसमें ऐसी क्या विशेष बात है कि एम. एल. ए. को नहीं रखा गया है इसका मेम्बर। इस कमेटी के जो नाम आपने अभी गिनाये हैं उसके अन्दर एम. एल. ए. को नहीं रखा गया है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह कोई अलाटमेंट के लिये कमेटी नहीं है, इसमें तो....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न तो यह है कि जमीन को फोरेस्ट से निकालने के लिए जो आपने कमेटी बनाई है उसमें एम. एल. ए. को नहीं रखा है। अपने इलाके में जो अलॉटमेंट कमेटी रखी है उसमें तो एम. एल. ए. को मेम्बर रखा है लेकिन जो जमीन जंगलात से निकालकर रेवेन्यू को देते हैं उस कमेटी के अन्दर एम. एल. ए. को नहीं रखा गया है, तो इसमें नहीं रखने के क्या कारण हैं ? यहां क्या डिसक्वालिफिकेशन है एम. एल. ए. की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह कमेटी को छोटे से छोटा रखने की दृष्टि से किया गया है ताकि उसका काम जल्दी से जल्दी हो सके। अब इतनी छोटी कमेटी होने पर भी इतनी देरी हो जाती है। अब अगर इसका और रूप बढ़ा दिया जाय तो और दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा मुझे कोई खास कारण नजर नहीं आता।

Page No. 17

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपकी आपत्ति यह है कि कमेटी बड़ी न हो जाय और इसके लिये आपने एम. एल. ए. को ही डिस्लाइक किया है। एम. एल. ए को आपने इसलिये डिस्लाइक किया कि इससे कमेटी में भीड़ हो जाएगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने 'भीड़' शब्द कहा नहीं है ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यही ना कि कमेटी में नम्बर नहीं बढ़ जाय इसलिये आपने यह तरीका निकाला कि एम. एल. ए. को इसमें नहीं रखा जाये, यह आपका तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। आपको एम. एल. ए. को रखना चाहिये। आप एम. एल. ए. को कमेटी में डिस्लाइक करने के लिए जो इस तरह की बात सदन में कह सकते हैं तो मैं आपकी हिम्मत की तारीफ करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि फोरेस्ट कमेटीज के अन्दर एम. एल. एज. को रखा गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा फैसला है कि हर तहसील में एक कमेटी हो.........

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि हर कमेटी में एम. एल. ए. हैं लेकिन ये विरोधी दल के एम. एल. होनेसे नहीं रखा गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप बतायें कि कहां पर एम. एल ए. हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आप कह दीजिए कि किसी कमेटी में एम. एल. ए. नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी के अनुसार तो केवल तहसीलदार, विकास अधिकारी, डी. एफ. ओ. ये ही हैं। एक प्रधान है शायद और एक गवर्नमेंट का ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट का होता है। एम. एल. ए. बाइ वरच्यू ऑफ बींइग एम. एल. ए. कोई भी ऐसी कमेटी में नहीं है, ऐसी ही मेरी जानकारी है।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी जो होती है इसमें न तो प्रधान ही मेम्बर है और न कोई एम. एल ए. या विकास अधिकारी ही है। मैं अर्ज करता हूं कि यह कमेटी जो बनती है इसमें डी. एफ. ओ., कलेक्टर और कन्सर्न तहसीलदार होते हैं उनको वे बुलाते हैं। और इस कमेटी के अन्दर यह तय करते हैं कि फोरेस्ट से कौन सी जमीन लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दी जाय और कौन सी जमीन रेवेन्यू से फोरेस्ट को दी जाय। चूंकि ये गांवों से सम्बन्धित है इसलिए पंचायतों से सम्बन्धित हैं। कई जगह गोचर भूमि के झगड़े खड़ होते हैं तो कहीं और तरह के झगड़े होते हैं। इस कमेटी मे प्रधान और एम. एल. ए. का होना बहुत जरूरी है, वरना होता क्या है कि इस कमेटी में कोई फैसला कर लेते हैं तो उसके विरुद्ध पंचायतों में मुकदमें चलते रहते हैं। इससे पंचायतों में भी मुकदमें बढ़ते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : To cut the matter short, I have no objection to the suggestion.

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु): महोदय, प्रश्न संख्या ५९०।

सामान की खरीद

५९०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा), [श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दिनांक १-६-१९६५ से दिनांक २८-२-१९६६ तक की अवधि में मैसर्स टाइम सर्जिकल से कितनी कितनी राशि का सामान राज्य के इन्डेंटिंग ऑफिसर्ज (चिकित्सा विभाग) द्वारा खरीदा गया है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी इसलिए इसको अगले मण्डे को लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर लिया जाय।

(विराम)

प्रश्न संख्या ५९१

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासिंह ?

मौजा कठौती में डाक्टर

५९२. श्री गंगासिंह (जायल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि मौजा कठौती तहसील जायल के अस्पताल में करीब दो साल से कोई डॉक्टर नहीं है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) सरकार इस अस्पताल में डाक्टर कब तक उपलब्ध कर सकेगी?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां। राज्य में चिकित्सकों के अभाव के कारण।

(२) जल्दी ही पोस्ट करने की कोशिश की जायेगी।

श्री गंगासिंह : जल्दी कब तक ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी का मतलब जल्दी ही समझिये।

श्री गंगासिंह : जल्दी का मतलब महीना दो महीना या साल दो साल ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि डॉक्टरों की कमी की वजह से यह कमी आ रही है, लेकिन जल्दी ही कोशिश की जावेगी।

श्री गंगासिंह : डाक्टरों की कमी ज्यादा थी उस हालत में तो वहां पर डाक्टर लगाया गया था और आजकी परिस्थिति पहले से इम्प्रूव हुई है उस हालत में वहां से डाक्टर क्यों हटाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास: मालूम नहीं कि माननीय सदस्य को मालूम है कि नहीं कि डिस्पेन्सरी हर साल नई खुलती जारही हैं और जैसा कि मैंने अर्ज किया था पहले सदन में कि बाई रोटेशन जब तक डाक्टरों की कमी पूरी नहीं होगी तब तक डिस्पेन्सरीज़ और प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स को खाली रखा जायेगा क्योंकि एक जगह ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखी जा सकती है।

श्री गंगासिंह : पहले डाक्टर था और काफी दिनों तक डॉक्टर लगा रहा उसको आपने इन दिनों हटाया क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास: यह होगा कि पहले वहां था लेकिन और डिस्पेन्सरी खुली हैं तो बाई रोटेशन हर एक को Prosperity and sufferings shall be shared by every body. यह नहीं हो सकता कि डाक्टर आपके यहां पर ही बना रहे और दूसरी खाली पड़ी रहे। इसलिये मैंने अर्ज किया कि बाई रोटेशन डिस्पेन्सरीज खाली रखी जायेंगी।

श्री गंगासिंह : तहसील हैडक्वार्टर पर भी डाक्टर नहीं है। वैसी परिस्थिति में महीने, दो महीने में डाक्टर भेजेंगे या नहीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): वह रोटेशन में गया।

श्री अध्यक्ष: अब डाक्टरों की कितनी कमी है ? कमी हर साल बढ़ती रहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: ठीक फिगर्स तो अभी, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नहीं हैं। Near about 350 Doctors we are short.

श्री अध्यक्ष: हर साल यह बढ़ती रहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: हर साल हमें जितनी आवश्यकता है उतने आ नहीं रहे थे तो हमने सोचा है कि मैडीकल में एडमीशन के वक्त में जो बौन्ड भराये जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली एन्फोर्स करें।

श्री गंगासिंह: कम से कम जल्दी का मतलब कोई होता नहीं।

श्री अध्यक्ष: यही समझ लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह जो कमी हर साल बढ़ती जाती है और हर साल कॉलेज भी बढ़ते जाते हैं तो क्या बच्चे यहां से पढ़ कर बाहर चले जारहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने अर्ज किया कि जो बौन्डस उनसे एक्जीक्यूट कराये गये हैं उनको स्ट्रिक्टली एन्फोर्स करने का सरकार ने निर्णय लिया है, और इस साल उसको स्ट्रिक्टली एन्फोर्स करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगले ६ वर्ष में इसका असर पड़ेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास: ६ वर्ष का सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय, अब जो होगा कि इस साल मेरे ख्याल से १५० के करीब स्टूडेंट्स फाइनल के अन्दर डॉक्टर बनेंगे तो लाजिमी तौर से उनको सर्विस ज्वाइन करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: उनसे बौंड्स पहिले भरवा लेते हैं।

श्री गंगासिंह: रूरल एरियाज में तो कमसे कम आप डॉक्टर्स का प्रॉवीजन रखें। शहर में अगर अस्पताल है और उसमें ३० डॉक्टरों में से अगर ५ की कमी है तो चल सकता है, लेकिन रूरल एरिया में डॉक्टर्स के रिक्त स्थानों को भरने के लिये जल्दी से जल्दी प्रमुखता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास मैं जवाब अर्ज कर चुका हूं पहिले।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सुमित्रा।

Page No. 20

स्थगित प्रश्न
(२५-३-६६)

सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण

४६७. श्रीमतीसुमित्रा (झुंझुनू): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य-सरकार के यह आदेश हैं कि किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण दो साल से पहिले न किया जावे ?

(२) क्या ये आदेश पंचायत समिति एवं जिला परिषदों की सेवाओं वाले कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हाँ इस विषय के आदेश जारी किये हुये हैं।

(२) जी हाँ, उनके विषय में भी ऐसे ही निर्देश जारी किये हुए हैं।

श्रीमती सुमित्रा: क्या यह सही है कि पंचायत समितियां और जिला परिषदों की सेवाओं वाले कर्मचारियों की इस सम्बन्ध में शिकायतें आने पर भी राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास: जी नहीं। इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो बराबर जिला परिषदों और पंचायत समितियों को हम लिखते हैं कि इस प्रकार से बारबार तबादले ठीक नहीं हैं और इस चीज को रोकने के लिये कलेक्टर को विकास अधिकारी को, प्रधान और प्रमुखों को सबको लिखकर पाबन्द करने की कोशिश करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा: क्या लिखित आदेश से ही कार्यवाही सम्पूर्ण होना ठीक समझते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास: कई जगह के ऐसे केसेज भी हैं कि उनको कैंसिल किया गया है।

प्रश्न संख्या ५७२

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल !
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५७३

श्री भगराज चौधरी
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५७५

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ?
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५७७

श्री हनुमानसिंह (अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी जी का इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

एक माननीय सदस्य : आप जवाब दे दें।

राज्य सरकार पर ऋण

५७५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार के ऊपर कुल कितना ऋण है ?

(२) उस ऋण के ऊपर सालाना कितना ब्याज चुकाया जाता है ?

उप-मंत्री: वित्त (श्री चन्दनमल बैद) राज्य सरकार के ऊपर निम्नलिखित ऋण हैं:

३१-३-६५ को २ अरब ७४ करोड़ नौ लाख ९६ हजार।

३१-३-६६ को (संशोधित अनुमान के आधार पर) ३,२३,३९,२८,०००) रु०।

(२) ३१-३-६५ को समाप्त होने

Page No. 21

(श्री चन्दनमल वैद)

वाले वर्ष में चुकाया गया ६,३३,८०,९८७) रु० और ३१-३-६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में (संशोधित अनुमान के आधार पर) चुकाया गया १७ ३४,६१,०००) रु० ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कितना अमाउन्ट ऐसा है जिस पर इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है ?

श्री चन्दनमल वैद : क्या फरमाया ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें कितना अमाउन्ट ऐसा है जिस पर इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी तालिका है। वह सारी सूचनाएं स्पष्टीकारक स्मृति-पत्र आय-व्ययक अनुमान ६६-६७ में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो पढ़कर सुना दूं। वह करीब १५-१६ पेज में है।

श्री भैरोंसिंह: जो इन्ट्रेस्ट चुकाया है तो क्या इन्ट्रेस्ट चुकाने के बाद कोई ऐसी रकम बाकी नहीं रहती है जिसका कि इन्ट्रेस्ट देना था और उसका नहीं चुकाया ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं आफ हैण्ड नहीं कह सकता इसके बारे में क्योंकि हमारे पास अकाउन्टेन्ट जनरल से पूरे आँकड़े नहीं आये हैं। इस वास्ते मैं अभी नहीं कह सकता कि क्या स्थिति है ?

श्री भैरोंसिंह : ६५-६६ का आपने एस्टीमेटेड अमाउन्ट बताया है और आपने यह भी बताया है कि ६६ के मार्च तक आपने इतना चुकाया है, लेकिन बजट बनाया उस वक्त आपके ध्यान में नहीं था कि कितना ड्यू था उसके अगेन्स्ट में इतना चुकाया है।

श्री चन्दनमल वैद : एस्टीमेटेड इतना था, चुकाना इतना था उसके फिगर्स हैं लेकिन एक्चुअली कितना चुकाया गया है उसके फिगर्स एकाउन्टेन्ट जनरल से अभी नहीं आये हैं, इस वास्ते मैं नहीं कह सकता कि कितना ब्याज चुकाना था वह चुक गया और कितना बाकी है। हमारा एस्टीमेट यह था वह मैंने बता दिया। एक्चुअल फिगर्स नहीं आये हैं क्योंकि साल अभी खत्म हुआ है ४ दिन पहले। आज ४ अप्रेल है और दो दिन की छुट्टियां थी इसलिए ए० जी० से फिगर्स नहीं आ सके।

श्री भैरोंसिंह : बजट प्रस्तुत करने से पहले इस तरह का एस्टीमेट तैयार नहीं किया गया कि इतना चुकाना था और इस साल इतना ही चुका पायेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : कितना चुकाना था उसके फिगर्स बता चुका हूं लेकिन कितना चुकाया गया है उसके फिगर्स नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : कितना चुकाना ड्यू था उसके अगेन्स्ट में हम केवल इतना चुका पायेंगे वह एस्टीमेट है। आप बात कर रहे हैं एस्टीमेट की। मैं वह नहीं पूछ रहा हूं मैं यह पूछ रहा हूं कि जो रकम हमने कर्ज ली है उसका ब्याज इस साल हमको इतना चुकाना था उसके अगेन्स्ट में हम इतना चुका पायेंगे इस प्रकार की स्थिति क्या राज्य सरकार को बजट प्रस्तुत करने से पहले मालूम थी ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देने को मैं अभी तैयार नहीं हूं। यह अलग से प्रश्न है। मैं यह बता सकता हूं कि इतना एस्टीमेट था कि इस साल हमको इतना चुकाना है। उसमें से कितना

Page No. 22

(श्री चन्दनमल वैद)

चुक गया इसके फिगर्स नहीं हैं मेरे पास। राज्य सरकार का क्या निर्णय था कि कितना चुक सकेगा और कितना नहीं चुक सकेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने को मैं अभी तैयार नहीं हूं।

(१२-०० मध्यान्ह)

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय फिगर्स सदन में आज नहीं तो बाद में दे सकते हैं कि इतनी रकम का ब्याज हमें इस वर्ष चुकाना था वह नहीं चुका पाये ?

श्री चंदनमल वैद : मुझे कोई आपत्ति नहीं है मगर दूसरा प्रश्न पूछना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न भी यही है कि उस ऋण के ऊपर सालाना कितना ब्याज चुकाया जाता है ?

श्री चंदनमल वैद : यह मैंने बताया कि इस साल इतना चुकाया गया।

श्री भैरोंसिंह : ड्यु कितना है प्रश्न यह है।

श्री चंदनमल वैद : प्रश्न की मंशा क्या है यह तो माननीय सदस्या ही बता सकेंगी। आपने तो प्रश्न उनकी बिहाफ पर पूछा है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न साफ है कितना ब्याज ड्यू है और कितना सालाना चुकाया जाता है। कितना ड्यू था उसमें से कितना ब्याज चुकाया गया। ये दोनों प्रश्न रिलेवेन्ट हैं हाउस को इसकी जानकारी मिलनी चाहिये। आपने बताया कि सन् ६५ में हमने इतना ऋण चुकाने का एस्टीमेट किया।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि ऋण चुकाने के लिये फिर ऋण लेना पड़ता है ?

श्री चंदनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, यह तो पैसे का चक्र चलता है। पैसा ऋण के रूप में लेते हैं उसका ब्याज चुकाते हैं और लेते रहते हैं इस तरह से सर्कल चलता रहता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): क्या यह सही है कि सरकार ऋण पर ब्याज देने की स्थिति में नहीं है ?

श्री चंदनमल वैद : यह सही नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो ब्याज तो कमसे कम साहूकारे के हिसाब से पूरा ही चुकता होगा ?

श्री चंदनमल वैद : १७,३५, ६?,७०) रु० चुकाना था उसमें से कितना चुक गया इसका फाइनल अकाउन्ट नहीं आया है, हो सकता है १०, २० लाख इधर-उधर हों। उन्होंने स्पेसिफिकेली यह प्रश्न पूछा कि क्या यह निर्णय लिया है कि इतना ब्याज चुकाना है उसमें से इस वर्ष इतना ही चुकाया जाय उसका मैंने जवाब दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : पब्लिक डेट के आंकड़े होते हैं, क्या आप टोटल डेट बता सकते हैं ?

श्री चंदनमल वैद : मैंने टोटल डेट के ही आंकड़े दिये हैं कि राज्य सरकार पर कुल इतना ऋण है।

प्रश्न संख्या ५८३

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

ग्राम सेवा संघ मोही को पुस्तकालय चलाने के लिये सहायता।

५८४. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम सेवा संघ मोही, तहसील राजसमन्द (उदयपुर) को पुस्तकालय चलाने के लिए कोई सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितनी सहायता दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस संघ की कांकरोली की लाइब्रेरी के लिए ५००) रु की सहायता दी गई है और उसका दुरुपयोग किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि वास्तव में इस संघ द्वारा कोई पुस्तकालय नहीं चलाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो कहां कहां चल रहे हैं और उनमें कितनी २ किताबें हैं, तथा उनके खुलने का समय क्या २ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां। ग्राम सेवा संघ मोही सन् १९६४-६५ में सहायता प्राप्त संस्थाओं की सूची में सम्मिलित हुई व प्रथम वर्ष में सहायता के रूप में ३८४) रु० मिले। चालू वर्ष में भी इसी दर से सहायता मिल रही है।

(२) सत्य नहीं है। संघ के कांकरोली के पुस्तकालय को कोई सहायता नहीं दी गई।

(३) संघ द्वारा इस समय दो पुस्तकालय एक मोही में तथा दूसरा कांकरोली में चल रहा है। मोही में १५० पुस्तकें व कांकरोली में ३५० पुस्तकें हैं। पुस्तकें केवल वाचनालय के समय में ही पढ़ने को दी जाती हैं जिसका कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता। जुलाई १९६५ से पुस्तकालयों के खुलने का समय सायंकाल ७ बजे से ६ बजे तक का है।

श्री जोधसिंह चौहान : कौनसी बिल्डिंग में चल रहा है कांकरोली का पुस्तकालय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बिल्डिंग के लिये आप अलग से पूछ लेना।

श्री जोधसिंह चौहान : कोई वाचनालय नहीं है वहां पर, खुलता ही नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बिल्डिंग तो पत्थर से बनी हुई है ऊपर से ढकी हुई है।

श्री जोधसिंह चौहान : वाचनालय खुलता ही नहीं है। क्या सरकार पता लगायेगी कि वास्तव में वहां पर वाचनालय नहीं है और न खुलता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : खुलने का समय मैंने दे दिया और यह भी कह दिया कि पुस्तकालय है और खुलता है।

श्री जोधसिंह चौहान : तो फिर बता दीजिये कौन से बिल्डिंग में है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सवाल तो आप अलग से करिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या यह सही है कि सरकार के पास एप्लीकेशन आई है कि इस प्रकार का वाचनालय नहीं है और न खुलता है ?

Page No. 24

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास सूचना है कि सन् ६५ से वाचनालय प्रारम्भ हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि पहले यह वाचनालय नगरपालिका के आधीन था लेकिन जनसंघ के आधीन नगरपालिका होने से वाचनालय ग्राम सेवा संघ ने ले लिया और नगरपालिका का वाचनालय बन्द कर दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वर्तमान समय में चल रहा है बंद नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या राज्य सरकार के पास इस सम्बन्ध में शिकायत आई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला: क्या इस संबन्ध में दावा भी चला ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : चला होगा।

श्री विजयसिंह झाला : फिर आपके पास क्या सूचना है। कांकरोली नगर पालिका ने लिख कर भेजा कि नगरपालिका के आधीन होना चाहिऐ। आप जवाब देते हैं समय पर चलता है। मैं कहता हूं कि न समय पर खुलता है और न कोई वाचनालय हैं। क्या यह सही है कि उदयपुर के सम्बन्धित अधिकारी ने लिखा कि इसको एड नही देनी चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास लिख कर नहीं आया।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या यह सही है कि यह वाचनालय मूविंग है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : फिर कहां चल रहा है ?

श्री जोधसिंह चौहान : क्या सरकार इसकी जांच करायेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सूचना जब ऐसी है कि वाचनालय है और उसका खुलने का समय मुकर्रर है तो फिर कायकी जांच करावें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस सेवा संघ को सहायता दी है क्या वह रजिस्टर्ड सोसाइटी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सहायता सन ६५ से प्रारम्भ हुई है। मोही राजनगर कांकरोली में पुस्तकालय है। बगैर रजिस्टर्ड बोडी के सहायता नहीं दी जा सकती।

श्री भैरोंसिह : रजिस्टर्ड संस्था है तो फिर कहां पर खुलेगा और किस समय खुलेगा यह भी लिखना जरूरी होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह जरूरी नहीं हैं कि वाचनालय किस बिल्डिंग में खोला जायगा रजिस्टर्ड ओफिस होने का जिक्र होता है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही हैं कि वाचनालय मोही गांव में चलता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी सूचना के अनुसार मोही में चलता है।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य): मोही में नहीं भाटियों के यहां है।

Page No. 25

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सही है कि इस पुस्तकालय की बहुतसी पुस्तकें आपके पास हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरे पास इसके अलावा बहुत सी पुस्तकें हैं ।

प्रश्न संख्या ५६१

श्री अध्यक्ष: श्री नत्थीलाल
(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

(विराम)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नदबई क्षेत्र में नई बस्तियें

५७२. श्री नत्थीलाल (नदबई): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नदबई-क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के लिये नयी बस्तियां बसाने की कोई योजना है ?

उत्तर

वर्तमान में समाज - कल्याण विभाग द्वारा बस्तियां बसाने की कोई योजना नहीं रही है, परिवारों को भवन निर्माण हेतु ही अनुदान दिया जाता है ।

नाजायज कब्जा

५७३. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) क्या पचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिवाना पंचायत समिति (जिला बाड़मेर) की प्रशासनिक स्थाई समिति ने अपने फैसले दिनांक ७-८-६३ के द्वारा राखी ग्राम में श्री नाहरसिंह वगैरह द्वारा सार्वजनिक चौक पर किए गए कब्जे को गैर कानूनी एवं नाजायज बताया है और उसे शीघ्र हटाने के लिये आदेश दिये हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि समिति के उक्त फैसले की अनुपालना अभी तक नहीं करवाई गई है ?

(३) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार अब समिति के उक्त फैसले की शीघ्र अनुपालना करवाने का विचार रखती है ?

(४) इतने लम्बे अर्से तक समिति के उक्त फैसले की अनुपालना न करवाने के लिए कौन जिम्मेवार है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सम्बन्धित स्थायी समिति द्वारा तहसील पंचायत के पहले के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था ।

(२) जी हां । अनुपालना नहीं की गई है ।

(३) संबंधित पार्टी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न करने के कारण अब तक अनुपालना नहीं हुई है । सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है ।

(४) विलम्ब के लिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माध्यमिक शाला का उच्चत्तर माध्यमिक शाला में परिवर्तन

५७७. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह बात सच है कि करणसर

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

ग्राम पंचायत (पं०स० जोबनेर) के सरपंच ने माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तन हेतु राज्य की शर्तानुसार १६,००८) रु० २७ जून, १९६४ को जमा करवाये ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री जी ने सन् १९६५ के सत्र से उक्त स्कूल के अप-ग्रेडेशन करने बाबत लिखित आश्वासन भी सरपंच को दिया था ? यदि हां तो इसकी पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने भी दिनांक २३ दिसम्बर, १९६४ को इस आशय का लिखित आश्वासन दिया था और उसकी भी पूर्ति आज तक नहीं हुई ?

(४) सन् १९६४ व १९६५ में जयपुर जिले में कितनी स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक शाला के बतौर पर अप ग्रेडेशन किया गया ? करणसर माध्यमिक शाला को किन कारणों से नहीं लिया गया ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी हां। उस वर्ष शालाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रोन्नत करने के लिये प्रावधान न होने के कारण इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(३) प्रश्न के भाग २ में स्पष्ट है।

(४) जयपुर जिले में सन् १९६४ में निम्न शालायें प्रोन्नत की गईं :—

१. माध्यमिक शाला, गोनेड़ा
२. माध्यमिक शाला, बाटिका
३. ,, ,, चन्दोलाई
४. ,, ,, अचरोल
५. कन्या ,, ,, कोटपुतली
६. ,, ,, ,, चौड़ा रास्ता, जयपुर

१९६५ में कोई सरकारी माध्यमिक शाला उच्च माध्यमिक शाला में प्रोन्नत नहीं की गई। १९६४ में माध्यमिक शाला करणसर को प्रोन्नत करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए और १९६५ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे कि इस शाला को प्रोन्नत किया जा सकता।

नाजायज कब्जे के मामलों पर निर्णय

५८३. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ में अब तक लगभग दस हजार मिसलें नाजायज कब्जे की जमीन की पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो ये मिसलें किन किन सालों की कितनी कितनी हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उन मिसलों को फैसल करने की आज तक कोई खास कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और ढिलाई बरतने का क्या कारण है ?

(३) क्या उन नाजायज कब्जे की जमीन की फसलों का कुतनामा हर साल किया जाकर वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो ये गरीब किसान लोग विभाग की लापरवाही से कहां तक पिटते रहेंगे ? और अब भविष्य में कब तक इन नाजायज कब्जे की जमीन के फैसले किये जायेंगे ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

तहसील प्रतापगढ़ में नाजायज कब्जे के केवल ४७६८ विचाराधीन हैं:

सन् १९६३ के ५
सन् १९६४ के ११
सन् १९६५ के ४३६९
सन् १९६६ के ३८३

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

भूमि से कब्जा हटाने वालों से फसल की कूत वसूल की जा रही है और खाता दर्ज होने वाले मामलों में फसल की कूत वसूल नहीं की जाती है। अन्य कामों के साथ साथ इन मामलों को जल्द से जल्द ६ माह में काफी हद तक निपटा दिया जायगा।

ट्रेनिंग सैन्टर के लिये भवन

५८५. श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवारा); श्री धर्माराम (सिरोही-सु०); श्री दलपतसिंह (आबू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिरोही में मिडवाइफ ट्रेनिंग सेन्टर खुला है?

(२) क्या यह सही है कि इस मिडवाइफ ट्रेनिंग सैन्टर के लिये भवन निर्माण की मंजूरी हो गई है? यदि हां, तो अभी तक भवन निर्माण का कार्य क्यों शुरू नहीं हुआ?

उत्तर

१. जी हां। एक्जूलरी मिडवाइफ ट्रेनिंग दिनांक १५-७-६५ से चल रहा है।

२. जी हां। भवन निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

कालेज निदेशालय का कार्य हिन्दी में

५८७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के कालेज निदेशालय का कार्य अभी तक हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में किया जा रहा है? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

जहां तक सम्भव होता है इस निदेशालय का कार्य हिन्दी में किया जाता है। अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का प्रत्युत्तर अंग्रेजी में व हिन्दी में भी देने का प्रयास किया जाता है। समस्त कार्य हिन्दी में करने पर जोर दिया जा रहा है।

नदवई में छात्रावास

५९१. श्री नत्थीलाल (नदवई): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नदवई, जिला भरतपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रावास खोलने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

(२) क्या यह सही है कि नदवई क्षेत्र में भरतपुर जिले में अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ी जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? और वहां उक्त छात्रावास के लिये जनता की भारी मांग है?

उत्तर

(१) नदवई जिला भरतपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से अभी तक कोई

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

नया छात्रावास खोलने की फिलहाल योजना नहीं है।

(२) नदवई क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या १६,५५७ है, जो कुल जन संख्या का २४.०१ प्रतिशत है, और अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या १९१३ है जो कुल जन संख्या का २.७७ प्रतिशत है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

हरिजन बस्ती की स्थापना

११९. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले के अन्तर्गत गिरवा तहसील के कुरावड़ नामक ग्राम में हरिजनों की आदर्श बस्ती की स्थापना के लिये कितना अनुदान और ऋण दिया गया है ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त आदर्श बस्ती में हरिजनों को जो अनुदान और ऋण दिये गये हैं उससे आज के युग में प्रस्तावित रीति से मकानों का निर्माण होना सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से जो अपर्याप्त अनुदान और ऋण की धन-राशि दी गई है वह व्यर्थ हो गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त आदर्श बस्ती में मकान बनाने के लिये जिन्हें ऋण और अनुदान दिये गये हैं उनमें से कोई भी अब तक मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया है ?

(४) क्या यह भी सच है कि वहां हरिजनों से ऋण की राशि को वसूल करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से अमानवीय व्यवहार करने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उस जांच के परिणाम क्या हुए ?

उत्तर

(१) सन् १९५९-६० में ५० परिवारों को ६५० रु० प्रति परिवार से ३२,५००) रु० भवन बनाने हेतु अनुदान दिया था। और यहां से कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(२) जो ६५० रु० अनुदान के रूप में दिया गया है जो नियमानुसार ही है।

(३) ५० भवनों में से ४२ भवन पूर्ण हो चुके हैं ८ भवन अपूर्ण हैं जो भी रुफ लेविल तक हो चुके हैं।

(४) इस विभाग द्वारा कोई द्रव्य वसूल करने की कार्यवाही नहीं की गई है।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

१२०. श्री हुब्बाचन्द सोन (बारां-सु०): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) हायर सैकन्ड्री स्कूल बारां में कुल कितने विद्यार्थी अनुसूचित जाति के शिक्षा पा रहे हैं ?

(२) गत दो वर्षों में कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली ?

उत्तर

१. हायर सैकन्ड्री स्कूल बारां में अनुसूचित जाति के कुल ८३ छात्र शिक्षा पा रहे हैं।

२. सत्र १९६४-६५ में १३ व १९६५-६६

(श्री दयाचन्द सोन)

में १२ अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिली।

जयपुर जिले में स्कूल

१२१. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर जिले में कुल कितने मिडिल स्कूल हैं ?

(२) मिडिल स्कूल खोले जाने के लिये क्या आधार निश्चित हैं ?

(३) सन् १९६३ से जयपुर जिले में कहां कहां मिडिल स्कूल खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जयपुर जिले में कुल १५८ माध्यमिक शालायें हैं।

(२) माध्यमिक शाला खोलने के निम्नलिखित आधार हैं:—

(१) लड़कों के स्कूलों में छठी कक्षा में कम से कम ४० लड़के शहरी क्षेत्र में व २० लड़के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र में होने चाहियें। लड़कियों के स्कूल में कमसे कम ३० लड़कियां शहरी क्षेत्र में व १५ लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिये।

(२) मिडिल स्कूल में शहरी क्षेत्र में कुल छात्र-संख्या लड़कों के स्कूल के लिये २०० व लड़कियों के स्कूल के लिये १५० होनी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र में यह संख्या क्रमशः १०० व ७५ होनी चाहिये। पिछड़े क्षेत्र में यह संख्या ७५ व ५० होनी चाहिये।

(३) माध्यमिक शालायें जो १९६३ से खोली गयीं:—

सत्र १९६३-६४

स्थान		पंचायत समिति
१.	लाडना	फागी
२.	किशनपुरा	गोविन्दगढ
३.	मूडिया रामसर	झोटवाड़ा
४.	बड़ी जोधी	शाहपुरा
५.	पाछूदाला	बैराठ
६.	जाजीकलां	शाहपुरा
७.	फागी	फागी
८.	पावटा	बैराठ

सत्र १९६४-६५

१.	पचैर	झोटवाड़ा
२.	लालसोट	लालसोट

सत्र १९६५-६६

सत्र १९६५-६६ में कोई माध्यमिक शाला नहीं खोली गयी।

तहसील कामां में बाढ़

१२२. श्री मजलिस खां (कामां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्ष ६४ में जिला भरतपुर की तहसील कामां-सब-तहसील पहाड़ी और नगर में जो बाढ़ आई थी उससे कितने ग्राम बाढ़ ग्रस्त हुये और उनमें कितनी २ भूमि में खरीफ की फसल नहीं बोई गई ? इससे फसल खरीफ का कितना नुकसान हुआ और कितनी कितनी भूमि डूब में रहने से रबी की फसल नहीं बोई जासकी और इससे अनुमानिक कितना नुकसान हुआ ? इसकी ग्रामवार तथा

(श्री मजलिसखां)

तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

वर्ष ६४ में इस जिले की तहसील कामां सब-तहसील पहाड़ी और नगर में जो बाढ़ आई थी उससे तहसील कामां में ५२ ग्राम सब-तहसील पहाड़ी में ६३ ग्राम तहसील नगर में ७६ ग्राम बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित हुए । चूंकि खरीफ की फसल बो देने के बाद ही बाढ़ आई थी इसलिये खरीफ की फसल न बोने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

खरीफ व रबी की फसल में जो हानि हुई वह निम्न प्रकार है:—

डूब में	हानि
(१) तहसील कामां	
खरीफ १६६६८ एकड़ रकबा	१६,६६,८००)
रबी ६३८४ ,, ,,	६,३८,४००)
(२) सब-तहसील पहाड़ी	
खरीफ ३०,५५८ एकड़	३०,५८,८००)
रबी ७,३६२ ,,	७,३६,२००)
(३) तहसील नगर	
खरीफ ८,१७६ एकड़	८,१७,६००)
रबी ७८ ,,	१६,५००)

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२.०८ म० प०)

सदस्यों की रिहाई सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित विधान-सभा के सदस्यों को जिन्हें "राजस्थान बंद" के सिलसिले में गिरफतार किया गया था रिहा कर दिया गया है:—

(१) श्री रामानंद अग्रवाल

(२) श्री मुरलीधर व्यास

(३) श्री मानिकचन्द सुराना

वित्तीय समितियों के चुनावों में नाम वापिस लेने एवं चुनाव सम्बन्धी सूचना

वित्तीय समितियों के लिये अभी के निर्णय के अनुसार आज ३ बजे तक नाम वापिस लिये जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आज तो बहुत से लोग बाहर चले गये हैं. इसलिये समय बढाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : चुनाव की तिथि १३ तारीख को ११ बजे तक और नाम वापिस लेने की तिथि १२ अप्रैल ३ बजे तक कर दी जाय ।

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण

(सदन की मेज पर रखना)

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री विद्युत): अध्यक्ष महोदय, इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय व्ययक) १९६९ को मैं सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये अकाउन्ट्स रखे हैं, उसके साथ में आडिट रिपोर्ट भी रखी है या नहीं ? अंकेक्षा आडिट रिपोर्ट रखना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : ऑडिट तो हुआ ही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑडिट हुआ है, वेल्युएशन के अलावा बाकी ऑडिट हुआ है।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट तैयार नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिपोर्ट भी तैयार है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय इसको देखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट साथ में नहीं रखें तब तक प्रोपर डिबेट नहीं हो सकती। इसलिये जो भी लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है ६३ की, ६४ की या ६५ की, उसको रखें।

श्री चन्दनमल वैद : मैं..... ...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : विचार करने का सवाल नहीं है। आपने आदेश दिया है, जो ओटोनोमस बोडी है, जिसमें हमारे शेयर्स है, पूंजी है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं है। उनको सोचने के लिये समय दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, नहीं किया है, इन्होंने गर्दन हिलाई है।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

(१२.१० म.प.)

ग्राम पंचायत बनेठा (जिला टोंक) में से रेकार्ड गायब होने विषयक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत बनेठा, पंचायत समिति उनियारा (जिला टोंक) में रेकार्ड गायब होजाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत पंचायत मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री दिग्विजयसिंह, सदस्य, विधानसभा ने दिनांक १६ दिसम्बर, १९६५ को सरपंच पंचायत बनेठा के विरुद्ध शिकायती आवेदन-पत्र भेजा जिसमें सरपंच के विरुद्ध अन्य शिकायत के साथ यह भी शिकायत की गई थी कि पंचायत का कुछ रेकार्ड गुम होरहा है। इस मामले में जिलाधीश टोंक को जांच हेतु दिनांक ४-१-६६ को लिखा गया। जांच की फाइनल रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जारही है। किन्तु इस मामले में जिलाधीश टोंक से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला है कि दिनांक १-५-६५ को पंचायत की मीटिंग में धूलीलाल ने मिसल नं० ८८/१९६१ नाथलाल बनाम धूलीलाल के एक दस्तावेज की नकल की दरख्वास्त दी जिस पर पंचायत की सारी मिसलें देखने के लिये उसे देदी गई ताकि वह उनमें से उक्त मिसल निकाल लें। दूसरे दिन धूलीलाल ने पंचायत में दरख्वास्त पेश करदी कि उसे यकीन है कि उक्त मिसल खोगई है। इस पर सरपंच यह बात पंचायत की जानकारी में लाया। इस मिसल की तलबी पंचायत समिति द्वारा भी कीगई है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस बारे में उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

श्री दिग्विजयसिंह: अध्यक्ष महोदय, आज से तीन महीने पहले ही मैंने यह सूचना देदी थी कि वहांसे रेकार्ड गायब है लेकिन अब भी जांच की जारही है। मैं वहां पर स्वयं होकर आया हूं और मेरे सामने ही डिप्टी डवलपमेंट ऑफीसर मौके पर पहुंचे हैं। अब वह कल जांच करने के लिये गये हैं। उन्होंने पहिले ही जांच करली है और रिकार्ड के अन्दर और सरपंच के पास जो फाइलें होती हैं उनमें उस फाइल का होना पाया गया है लेकिन वह फाइल अब वहां मौजूद नहीं है। आप अब फरमा रहे हैं कि जांच की जारही है। लेकिन आज आप कम से कम इतना तो एश्योरेंस देदें कि जाँच के बाद में अगर यह सावित होजाता है कि वास्तव में वह फाइल उपलब्ध नहीं है और वह फाइल गायब होगई है तो आप उस सरपंच के खिलाफ एक्शन लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, जांच का मतलब ही यही है कि फाइल तलाश की जारही है। उसके बाद जिम्मेदारी जो आयद की जावेगी, वह किस पर जिम्मेदारी आयद की जायगी—वह मैं नहीं कह सकता।

श्री दिग्विजयसिंह: अगर आपको यह मालूम होजाय······

श्री दामोदरलाल व्यास: अगर का जवाब मैं नहीं देसकता। अगर, आज क्या होगा, कल क्या होगा, रिजल्ट क्या आयेगा—यह मैं नहीं कह सकता। जांच के बाद में जिसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी तब देखा जायगा।

श्री दिग्विजयसिंह: आप एक्शन लेने को तैयार हैं—यह फरमा दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने आपको कहा कि जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होगी तब सोच लिया जायगा। आज इस वक्त मैं नहीं कह सकता कि किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी। अगर सेक्रेटरी पर जिम्मेदारी आयद होगी तो उस पर एक्शन होगा। अगर सरपंच पर जिम्मेदारी आयद होगी, तो उस पर एक्शन होगा। और अगर धुलीलाल ने गड़बड़ी करके फाइल गायब की है तो उस पर एक्शन होगा। और अगर अन्य किसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी आयद होगी तो उस पर एक्शन होगा।

श्री दिग्विजयसिंह: अध्यक्ष महोदय, सैक्रेटरी पर जिम्मेदारी आयद होने का तो सवाल नहीं है। जो रिकार्ड की जिम्मेदारी होती है वह पंचायत एक्ट के अनुसार सरपंच की होती है। तमाम रिकार्ड की एक-एक फाइल की लिस्ट बना कर सरपंच को दी गई है और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाकायदा चार्ज लिया गया है और चार्ज दिया गया है और उस पर पहले वाले के और हाल के सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हैं और दोनों के पासमें उसकी प्रतिलिपियां मौजूद हैं। फिर सवाल क्या उठता है कि किस पर जिम्मेदारी आयद हो सकती है और किस पर नहीं हो सकती है। जब उस सरपंच ने सारा रिकार्ड संभाल लिया है और पूरी तसल्ली करली है। उसके बादमें अब फाइल मौजूद नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयेगी ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, धुलीलाल को जो फाइल निरीक्षण करने के लिये दीगई उसके बादमें

Page No. 33

(श्री विजयसिंह झाला)

वह फाइल किसको सुपुर्द करनी चाहिये थी और अगर फाइल नहीं मिल रही है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर पड़ेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास: यही जांच हो रही है। जब पंचायत की मीटिंग में धुलीलाल ने यह दरख्वास्त दी कि वह फलां फाइल का निरीक्षण करना चाहता है तो उसके सामने फाइलों का सारा गट्ठा रख दिया गया कि वह उस गट्ठे में से वह फाइल निकाल ले क्योंकि पंचायत के मेम्बर सारे पंचायत की मीटिंग में व्यस्त थे। उसके बाद में उसने वह फाइल निकाली या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, यह पता नहीं। लेकिन उसने दूसरे दिन कह दिया कि वह फाइल उसमें है नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि फाइल का निरीक्षण करने के लिए कोई एप्लीकेशन दे दे तो उसके सामने सारा का सारा गट्ठा रखदें। किसी भी पंचायत में ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि सरपंच पर्सनली इस बात के लिए जिम्मेदार था। उस व्यक्ति के द्वारा वह सारी फाइल उड़ाना चाहता था तभी उसने सारा गट्ठा उसके सामने रख दिया। क्या जरूरी था कि सारा गट्ठा उसके सामने रखा जाता ? जो फाइल उसने मांगी थी वह फाइल निकाल कर उसके सामने रखनी चाहिये थी और लेखक के सामने उस फाइल का निरीक्षण करने देना चाहिये था। इस मामले में सरपंच की गैर-जिम्मेदारी जरूर रही है या उसकी इन्टेन्शन थी फाइल को उड़ाने की धुलीलाल के मार्फत। तभी जिस फाइल का वह निरीक्षण करना चाहता था, वह फाइल उसके सामने नहीं रखी और सारी फाइलें उसके सामने रखीं। क्या आप इस बात को उपयुक्त समझते हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जांच कब तक कम्प्लीट करवा देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आज ही लिख कर दिया है बी० डी० ओ० को कि पन्द्रह दिन के अन्दर इसकी जांच करके इत्तला देवें।

(१२-१३ म. प.)

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : अभी सदन के समक्ष इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत मंत्री महोदय ने राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण १९६६-६७ सदन की मेज पर रखा है। इस एक्ट की धारा ६९ (४) (५) की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धारा ६९ (४) में यह है :

"The accounts of the Boards as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person authorised by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government and that the Government may issue such instructions to the Board in respect thereof as it deems fit

and the Board shall comply with such instructions."

"(5) The State Government shall:—

(a) cause the accounts of the Board together with the audit report thereon forwarded to it under sub-section (4) to be laid annually before the State Legislature; and

(b) cause the accounts of the Board to be published in the prescribed manner and make available copies thereof "on sale at a reasonable price."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साहब यह ....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, सरकार की ओर से इस पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

विधायी कार्य

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कार्यवाही तो उचित होगी । लेकिन अब तक सरकार इस बात के लिए मौन रही है और यह आवश्यक समझ रही थी कि जब तक अध्यक्ष महोदय की तरफ से आदेश नहीं दिया जाय तब तक जो एक्ट में प्रावधान हैं उनका कम्प्लायेन्स नहीं किया जाय । सरकार ने जान-बूझ कर इस प्रकार की हरकत करके सदन का अपमान किया है और अपनी डयूटी के प्रति नेग्लीजेन्स शो किया है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय सम्भवतः इसका उत्तर देंगे तब इस प्रश्न को उठायें ।

श्री भैरोंसिंह: कब होगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो अकाउन्ट ले (lay) किये हैं वह बिना ऑडिट रिपोर्ट के ले हो नहीं सकते हैं और ऑडिट रिपोर्ट ले होनी चाहिये अकॉडिंग टू प्रोवीज़न्स ऑफ दी एक्ट । अब सरकार अपने व्यवहार में सुधार लाने को तैयार हो या नहीं और मन्त्री महोदय इस सदन में उपस्थित रहें या नहीं, और सदन की बात को सुनें या नहीं । अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश को माने या न माने, लेकिन यह निश्चित रूपसे सही है कि जो अकाउन्ट उन्होंने ले किये हैं वे ले नहीं माने जायें जब तक कि वह ऑडिट रिपोर्ट लाकर सदन की मेज पर नहीं रखें ।

श्री अध्यक्ष: ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि जो सदन के समक्ष अकाउन्ट ले किये हैं वह इण्डिया इलेक्ट्रीसिटी एक्ट की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत ले किये हैं और जिस ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है वह धारा ६९ (४) (५) है । इसमें यह नहीं माना जासकता कि अकाउण्ट अपने आपमें इस सदन के समक्ष रखे जासकते हैं या नहीं रखे जा सकते । वैसे जो स्पष्ट धाराएं हैं कानून की, मैं समझता हूं, सरकार उनका पालन करेगी और अब तक क्यों ऐसा नहीं किया गया है इसका जब उत्तर देंगे मन्त्री महोदय तब बतायेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आगये हैं साहब, (श्री चन्दनमल बैद) दरवाजे पर खड़े हुए हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: इसके ऊपर गौर कर लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (श्री चन्दनमल वैद से) कहिये आप !

श्री अध्यक्ष : अभी उत्तर देंगे तो अधूरा रह जायगा ।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो जानकारी प्राप्त की है वह यह है कि इसका ऑडिट अकाउन्टेन्ट जनरल करते हैं, दूसरे यह कम्पनी एक्ट से गवर्न नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड । इस वास्ते उसके विषय में पूरी जानकारी कर रहा हूं और जानकारी करके सदन के समक्ष रख दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि पूर्ण वक्तव्य दे दें कि क्या स्थिति है और अब तक क्यों इसका पालन नहीं किया गया ?

विधायी कार्य

(१२-१८ म० प०)

राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९

(परिनियत संकल्प की प्रस्तुति, विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुए:—

(१) **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद)
(२) **श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक)
(३) **श्री चौसरसिंह वाघेल** (बेगूं)

१. "राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को एक माह / तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"

(१) **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा)
(२) **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई):—

२. "राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के शुरू में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी)]"

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रस्ताव भी इसके साथ पेश करदें ।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा अमेंडमेन्ट बिल भी इसके पूर्व या बाद में समय निर्धारण करने के बाद में लेलिया जाय । मैं समझता हूं वह अनकन्ट्रोवर्शियल बिल है और जल्दी पास हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : जो संशोधन मंत्री महोदय लाना चाहते हैं वह सम्भवतः अभी आया नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला: समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पंचायत बिल पर बहस चल रही है । आज यह दोनों पास करने हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): ऑर्डिनेन्स दोनों में हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : अमेंडमेंट बिल के साथ आर्डिनेन्स पेश कर दें ।

श्री अध्यक्ष : वह आयेगा तब देख लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट मूव कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : एक संकल्प है जो श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का है वह और इसका दोनों पर साथ साथ विचार रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टेम्पल का अलग है और यह अलग है।

श्री अध्यक्ष : मैं पंचायत का ले रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक तो पंचायत लॉज़ अमेंडमेंट बिल का है और दूसरा...

श्री अध्यक्ष : दूसरा जो मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय। इन दोनों पर साथ विचार होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परिनियत संकल्प इस प्रकार है:—

"यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक २२-१-१९६६ को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (अध्यादेश संख्या २ सन् १९६६) को अस्वीकार करता है।"

श्री अध्यक्ष : कोई अन्य माननीय सदस्य बोल लें अगर चाहें तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इस अध्यादेश के स्थान पर इसको एक कानून का रूप दिया जावे इस दृष्टि से यह सदन में प्रस्तुत किया गया है और विचारार्थ लिये जाने के लिये पंचायत मंत्री महोदय ने सदन में प्रस्ताव पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक वार नहीं अनेक बार इस बात की चर्चा रही है कि राज्य सरकार संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत जो अध्यादेश निकालने की शक्ति रखती है उसका दुरुपयोग करती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, मैं गत कई वर्षों से इन अध्यादेशों के सम्बन्ध में इस प्रकार का ध्यान सरकार का आकर्षित करता रहा हूं कि लोकतन्त्र में जब कानून पास करने का अधिकार विधान सभा को दिया गया है तो इस अधिकार पर जब विधान सभा का सत्र नहीं हो तो राज्य सरकार धारा २१३ के अन्तर्गत राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश के जरिये इस प्रकार के कानून बना सकती है, मगर इस प्रकार के कानून बनाने की यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में इस प्रकार की आवाज सभी प्रकार के पक्षों की ओर से आई तो गत सत्र में राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि कम से कम अध्यादेश निकालेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और अफसोस इस बात का है कि राजस्थान के बजट अधिवेशन में जितने अध्यादेश विचारार्थ आये सम्भवत उतने किसी भी विधान सभा के सत्र में नहीं आये होंगे।

अध्यक्ष महोदय, पिछला विधान सभा का अधिवेशन अक्टूबर में समाप्त हुआ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसके बाद पांच महीनों का पीरियड निकला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अध्यादेश जारी करने की स्थिति राज्य सरकार के पास तब उपस्थित होती है जब विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो। अब प्रश्न यह है कि आप विधान सभा का अधिवेशन इतनी देरी से क्यों बुलाते हैं ? हमारे यहां नियमों में लिखा है कि ६ महीनों से ज्यादा समय नहीं रहता और पिछले समय से राज्य सरकार इस बात की चेष्टा करती आ रही है कि जब ६ महीनें समाप्त होने को आते हैं तो विधान सभा का सत्र बुलाया जाता है। क्यों नहीं उसको जल्दी बुलाया जाता ? समझ में नहीं आता कि आप जल्दी विधान सभा का अधिवेशन बुलाने में क्यों हिचकते हैं ? क्या आपको जल्दी अधिवेशन बुलाने में कोई तकलीफ होती है ? यह बात सही है, मंत्री महोदय यह कहते हैं कि हमारी नींद हराम होती है, जब विधान सभा का अधिवेशन चलता है तो वे ठीक तरह से खाना नहीं खा सकते, जब विधान सभा का अधिवेशन चलता है तो उनके ऐशो-आराम में दिक्कत पड़ती है। यह सही है कि मंत्री महोदय ने पिछले चार या छः महीनों में, पहले अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन शुरू होने के बीच के समय में जो राज्य सरकार के प्रशासन में गड़बड़ियें करते हैं उनका पर्दा-फाश होता है और यह मंत्री महोदय कह सकते हैं कि मंत्रियों की हालत ऐसी होती है कि जैसी बिल्ली कबूतर की हालत करती है। यही एक कारण है कि आप अधिवेशन जल्दी जल्दी नहीं बुलाते हैं। अगर आप हर दो तीन महीने बाद अधिवेशन बुलाते रहें तो आपके कारनामों का सारा हिसाब-किताब इकट्ठा नहीं हो और वह उसी समय रख दिया जाए जिसको छः महीनों में एक के बाद एक सदन होने पर सदन में रखना पड़ता है।

आज राजस्थान में क्या, हिन्दुस्थान की विधान सभाओं के बजट अधिवेशन शुरू हुए। मैं समझता हूं कि राजस्थान का बजट सेशन शुरू हुआ वह सबसे आखिरी होगा। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की बैठकें ७ या ८ महीने चलती हैं और अपन देखें तो मालूम होगा कि राजस्थान की विधान सभा की बैठकें २॥ महीने चलती है। वह भी मुश्किल से। इतना ही नहीं, बार बार यह मांग की जाती है कि विधान सभा का अधिवेशन साल में तीन बार किया जावे और हर बार वह दो दो महीनों से कम का नहीं हो और इस तरह से ६ महीनों तक किया जावे। अभी लोक सभा में इस बारे में सभी लोगों ने विचार किया और सभी लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि ज्यादा समय तक अधिवेशन बुलाया जावे जिससे कि लोगों को उनके यहां के लोगों की जनजीवन की सारी स्थिति और समस्याओं को उनके सामने रखने का मौका मिल सके। कांग्रेस के १८ वर्ष के समय में कितना कुशासन हुआ है; चाहे टैक्सेज का मामला हो, चाहे मँहगाई हो, चाहे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का प्रश्न हो, चाहे मजदूरों को बोनस देने की बात हो, चाहे किसानों को राहत देने की बात हो, चाहे खाद्यान्न की समस्या हो, आज पिछले १८ वर्षों में, जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, मैं यही कहूंगा कि आज यह इन सारी समस्याओं का घर बन गया है। राजस्थान में आज पंचायतों का प्रशासन बिगड़ता चला जा रहा है। आज राजस्थान की जिस प्रकार की माली हालत होनी चाहिये वह नहीं है। आज राजस्थान की सीमाओं पर

Page No. 38

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

संकट छाया हुआ है। आज सब प्रकार से हालतें ऐसी बन गई हैं कि राजस्थान सभी समस्याओं का प्रदेश बना हुआ है; अगर उन सारी बातों को सदन में रखने का सदन में आये हुये प्रतिनिधियों को मौका नहीं मिले तो उससे क्या लाभ हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय, होता यह है कि शासन को खुली छूट मनमानी करने की मिल जाती है और प्रशासन में जो भी गड़बड़ियें की जाती हैं उनकी सारी बातें हम यहां पर रखते हैं जब विधान सभा का अधिवेशन होता है। इन सारे हालातों को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि विधान सभा का सत्र जल्दी जल्दी बुलाया जावे। सरकार इस बात को छोड़दे कि विधान सभा के विरोधी दल के सदस्य या कांग्रेस के कुछ सदस्य सरकार के द्वारा किये गये गलत कामों की आलोचना करेंगे और फिर समाचार-पत्रों के माध्यम से सारी परिस्थितियों के कारण से बदनाम होंगे, इस बात को छोड़ दें और इस प्रकार की कम्पलेसिटी को छोड़ दें। इस बात को भी छोड़ दें कि अखबार के माध्यम से सारी परिस्थितियें जनता के सामने आवेंगी और उस कारण उनको चुनावों में पराजय का मुंह देखना होगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को जनता के प्रतिनिधियों के साथ सद्‌भावना और आदर की भावना रखते हुए, उनको अपने यहां की जनजीवन की समस्याओं को रखने का अधिकार है, उस दृष्टि से रखने के लिये सदन की बैठकें जल्दी से जल्दी बुलाई जावें। अगर ऐसा किया जाए तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कारण उत्पन्न नहीं हो सकता कि इस प्रकार के अध्यादेश जारी करने की सरकार को नौबत आए। मैं यह मान कर चलता हूं कि राज्य सरकार को बहुत से कानून बनाने की आवश्यकता है। यह कुछ कारण हो सकते हैं जैसे सरकार ने कोई टैक्स लगाया और हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रावायरस करार दे दिया। यह हो सकता है कि कल हमें कोई दूसरा उसके लिये अध्यादेश लाने की जरूरत हो और कोई कानून बनाने की आवश्यकता राज्य सरकार को महसूस हो। हर दूसरे महीने या तीसरे महीने विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जावे तो कोई कारण नहीं है कि आपको इस तरह से कोई अध्यादेश जारी करने की जरूरत रहेगी। और वैसी सूरत में कानून यहीं पास कराया जा सकता है।

मुझे, अध्यक्ष महोदय, इस बात का अफसोस है कि डाइरेक्टर महोदय, युनिवर्सिटी सीनेट के सदस्य नहीं रहे और उनकी जगह एडिशनल डाइरेक्टर को बनाया गया; इसके लिये अध्यादेश निकाला गया। सरकार विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुला कर इसको स्वीकृत करा सकी। राजस्थान नाथद्वारा मन्दिर बोर्ड के बारे में एक क्लाज़ के लिये अध्यादेश निकाला कि समय समाप्त होने जा रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके अधिकारियों को यह पहले मालूम नहीं था क्या ? अक्टूबर में जब अधिवेशन चल रहा था उस समय आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या कर रहा था ? सरकार ने चुनाव क्यों नहीं किये ? नोटिस क्यों नहीं दिया ? आपको उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये जिन्होंने आपको समय पर इस बात को नहीं सुझाया। अगर पैसेन्जर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

टैक्स का कानून हाई कोर्ट में चेलेंज हो जावे तो दूसरा ऑर्डिनेन्स आ जावे। फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जावे और वहां से फैसला हो जावे और रिवेलिडेट हो जावे तो सरकार यह कहे कि हमें पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जिनकी गलती के कारण ये सारे ऑर्डिनेन्स निकले हैं, जो पिछले सदन में आने चाहिये, क्यों नहीं आये? और अगर नहीं आये तो किसकी गलती से नहीं आये? एक कारण सरकार नहीं बता सकती कि हमने इस अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस अध्यादेश के बारे में [राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक] यह प्रस्ताव है, २२ जनवरी, १९६६ को उसको प्रोमुल्गेट किया।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस अध्यादेश के सम्बन्ध में जिस समय चर्चा होती है तो हमें वह २६ फरवरी की घटनाएं याद आ जाती हैं। वह २६ फरवरी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा करने की मन्त्री महोदय आपकी और आपके विभाग की जिम्मेदारी है। इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को आपके इस प्रकार के अध्यादेश के कारण नाराजगी हुई कि इस प्रकार के अध्यादेश से विधान सभा के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के सिद्धांतों का हनन किया जा रहा है। संविधान ने जो अधिकार इस विधान सभा को दिये हैं, विधान सभा के उन अधिकारों को मन्त्री या उसका विभाग अपने में प्राप्त करके, हस्तगत करके उन अधिकारों का स्वयं उपयोग करता है तो इस सदन के माननीय सदस्यों को नाराजगी होती है। यही कारण था कि २६ फरवरी को कुछ माननीय सदस्यों ने अपने यह विचार यहाँ सदन में राज्यपाल महोदय के सामने रखने चाहे। राज्यपाल महोदय इस प्रकार के अध्यादेश जारी करते हैं तो राज्य सरकार जिस प्रकार का ड्राफ्ट ऑर्डिनेन्स का बनाकर उनके पास भेज देती है, शायद वे उसे देखते नहीं, रबर स्टाम्प लगा देते हैं और अपनी स्वीकृति दे देते हैं और जो उन्हें इस प्रकार के अध्यादेशों को देख कर अपना डिस्क्रीशन काम में लेने का अधिकार है उसको काम में लेना जरूरी नहीं समझते। केवल रबर स्टाम्प लगाना ही जरूरी है तो, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय तक इस प्रकार के विचार पहुंचा दिये जायें कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य यह महसूस करते हैं कि आज राजस्थान सरकार केवल अध्यादेशों के बल-बूते पर चल रही है। राज्य सरकार द्वारा लगाये गये करों को हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दे दिये जाने पर, गलत करार दिये जाने पर, अध्यादेशों के जरिये राजस्थान सरकार शासन चला रही है। भरतपुर के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना था और उसे पारित करवाना था तो अध्यादेश जारी हुआ और अविश्वास का प्रस्ताव पास कराने में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्त्ता, जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की थी, वे उस अविश्वास के प्रस्ताव को पास कराने के लिये वोट देने में असमर्थ रहते हैं, तो आप अध्यादेश निकाल देते हैं कि जिन्होंने शपथ नहीं ली है उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं, बिना शपथ लिये भी उस प्रकार की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा

Page No. 40

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की गई इस प्रकार की कार्यवाही जहां एक तरफ राजस्थान के जनजीवन में असंतोष पैदा करती है दूसरी तरफ निर्वाचित प्रतिनिधियों में प्रतिशोध की भावना पैदा करती है। उसी का आज प्रतिफल है कि सारे देश में उपद्रव होते हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य विधान सभाओं में ही नहीं, लोक सभा में भी उपद्रव और हंगामें की स्थिति पैदा हो रही है। उसका कारण यह है कि जो निर्वाचित सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं वे जिन संसदीय परम्पराओं को लोक सभा में रखना चाहते हैं, उनको कांग्रेस सरकार अपने बहुमत के बल पर कुचलना चाहती है और विधान सभाओं की और लोक सभा की जो कद्र होनी चाहिये वह कांग्रेस सरकार के दिल में नहीं है। यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं आज सारे देश में घट रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि २२ जनवरी, १९६६ को यह अध्यादेश निकाला, ऐसी कौनसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि यह अध्यादेश सरकार को निकालना ही पड़ा? २६ फरवरी को विधान सभा का अधिवेशन होने वाला था, क्या उसमें यह बिल नहीं ला सकते थे? अगर आपको ऐसा ही जरूरी था तो अक्टूबर में विधान सभा का अधिवेशन हुआ, उस अक्टूबर अधिवेशन में आप इसे क्यों नहीं लाये? ऐसी कौनसी परिस्थिति थी कि अक्टूबर में हुए विधान सभा के अधिवेशन और फरवरी में होने वाले विधान सभा के अधिवेशन के बीच के समय में आपको यह अध्यादेश जारी करना पड़ा?

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अध्यादेश की धारा २ को पढ़ कर सुनाता हूं, इसमें लिखा है :—

"The State Government may suspend any Panch, Sarpanch or Up-sarpanch against whom an inquiry has been started under sub-section 4 or the proviso thereto, or against whom any criminal proceeding in regard to an offence involving moral turpitude is pending trial in a court of law, and debar him from taking part in any act or proceeding of the Panchayat while under such suspension."

यह इसका क्लॉज़ २ है। जिस प्रकार का प्रधान, उप-प्रधान के सस्पेन्शन का प्रावधान पंचायत समिति के सम्बन्ध में है इसमें लिखा है कि यह फर्स्ट फरवरी से उसके साथ जुड़ा हुआ माना जायगा। पर इसमें लिखा है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में ट्रान्सफर के संबंध में ऑर्डर स्टे कर सकती है, जैसा चाहे कर सकती है, ऐसा क्लॉज है। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि पंच, सरपंच, उप-सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान और पंचायत समिति के मेम्बरों से सरपंचान से पॉवर्स आपने लिये हैं। जो एक बार इन पंचायत समितियों के और पंचायतों के सदस्य निर्वाचित होगये, उनके खिलाफ अगर मोरल टर्पीट्यूड में मुकदमा चल रहा हो, उसके सम्बन्ध में, आप उसको सस्पेन्ड करें तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ठीक है, पर आपकी गलतियों के कारण, आप इन्क्वायरी नहीं कराते, राज्य सरकार अपनी गलतियों के कारण इन्क्वायरी नहीं कराती, अनेकों मामले यहाँ सदन में कई बार रखे गये कि फलां पंचायत का सरपंच लाखों रुपया खागया है, जमीनें बेचदी हैं दो-दो पैसों में, लाखों के घोटाले यहां सदन में अनेकों बार रखे पर पंचायत मन्त्री और राजस्थान सरकार उनको सस्पेन्ड नहीं करती और दूसरी ओर पार्टीबाजी के आधार पर ऐसे कई सरपंच, जिनको निर्दोष घोषित कर दिया हो, दुबारा चुनाव लड़ कर जीत गये, सरपंच बन गये उनके खिलाफ जांच शुरू करदी। जांच का अधिकार पिछली वार विधान सभा ने दिया, पर विधान सभा ने लिखा कि तुम जांच कर सकते हो, फाईडिंग्ज़ दे सकते हो और अगर दोषी पाया जाय तो आगे ३ साल चुनाव नहीं लड़ सकेगा, पर सरकार उसको सस्पेन्ड नहीं कर सकेगी। तो जो लोग चुनाव जीत गये, उनकी आपने जांच की, फाईडिंग्ज़ होगई, पर आप उनको सस्पेन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान विधानसभा ने जो कानून पास किया उसमें सस्पेन्ड करने का, रिमूव करने का आपको अधिकार नहीं था। हाँ, आगे ३ साल के लिये चुनाव से डिबार कर सकते हैं। क्लाज १७ (४) के अनुसार आगे तीन साल चुनाव नहीं लड़ सकेगा। पर आप चाहते हैं कि सरपंच चुना जाय, फाईडिंग्ज़ रेकॉर्ड हो जाय, फिर आगे ३ साल चुनाव नहीं लड़ सके और उसे रिमूव कर दिया जाय, सस्पेन्ड कर दिया जाय और यह सब आप उसके खिलाफ किसी पुरानी जांच को रीओपिन करके उसके आधार पर सस्पेन्ड करना चाहें, रिमूव करना चाहें, यह कैसे हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, शायद वह १९१ संविधान की धारा है, हमने चुनाव लड़ा, जीते और किसीने इलेक्शन पिटिशन नहीं की, इलेक्शन पिटिशन का समय निकल जाने के बाद, इस विधानसभा में बैठने के बाद कोई इलेक्शन पिटिशन करना चाहे तो १९१ के तहत वह सीट वेकेट हो सकती है। पर उसी डिसक्वालिफिकेशन के आधार पर कि जो डिसक्वालिफिकेशन उसने चुनाव होजाने के बाद में की है। चुनाव से पहिले की डिसक्वालिफिकेशन के आधार पर सीट वेकेट नहीं कराई जा सकती।

पर आप सोचें कि यह मेरे गुट में रहेगा और यह सोच कर कि मेरे गुट में ही रहेगा आपने हर तरह से उसकी सहायता की, उसको जिताया और बाद में अगर उसने आपकी मदद नहीं की, आपके गुट में नहीं रहा, जिस प्रकार का साथ आपने चाहा उस सरपंच ने नहीं दिया, तो उसके खिलाफ किसी पुरानी एनक्वायरी को खोल कर उसको सस्पेन्ड करदेंगे। यह आपकी मंशा है। यदि आप यह चाहते हैं तो यह मन्शा सरकार की साफ नहीं है। सरकार पिछले दिनों में राजस्थान की लोकतांत्रिक संस्थाओं को साथ चाहे पंचायतें हों, चाहे पंचायत समितियां हों, चाहे जिला परिषदें हों, चाहे नगरपालिकाएं हों, किस प्रकार से भेदभाव से काम करती आई हैं, इसकी शिकायत सदन में कई बार की गई है, अनेक उदाहरण हैं। मैं इस समय उस सरपंच का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मन्त्री महोदय के सामने एक सरपंच का नाम लिया था और अध्यक्ष महोदय, शायद आपको भी जानकारी होगी लेकिन आपका रेफरेन्स नही देना चाहता ......

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द): रेफरेंस देते भी हो फिर भी कहते हो कि नहीं देना चाहता, बड़े होशियार हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवालः यह तो अक़ल की बात है।

उस सरपंच ने रजिस्टर्स बनाये। असली रजिस्टरों में हिसाब किताब लिखे, लोगों ने शिकायत की कि वह लाखों रुपये खागया, कुवों के लिये अनुदान हो या तकावी हो या ट्रैक्टरों के लिये या बीज के लिये पैसा मिला हो, वह खागया। शिकायत होने के कारण उस सरपंच ने दूसरे रजिस्टर्स बनाए। पहले रजिस्टर्स में एन्ट्रीज कुछ हैं, दूसरे में कुछ हैं और फिर जब कई सालों तक किसी ने नहीं सुना तो फिर अखबारबाजी हुई, लोग सरकार तक पहुंचे, होम मिनिस्टर श्री नन्दा, जिन्होंने भ्रष्टाचार दो साल में मिटाने की प्रतिज्ञा की थी, उनके पास पहुँचे, इंदिरा गांधी के पास पहुंचे, विधानसभा सदस्यों के पास रजिस्टर्स लेकर पहुंचे। सरकार ने न असली रजिस्टर्स लिये न नकली बल्कि फसली रजिस्टर्स लिये जो सैक्रेटरिएट में पड़े है। आपने जांच का आदेश दिया है इसके लिये तो आप धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन नीतियो मंत्रियों के साथ चलती हैं, व्यक्ति के साथ चलती हैं। जोधपुर डिवीजन के सरपंच का क्या हुआ ? तीसरा रजिस्टर आपने क्यों रखा ? साढे तीन लाख रुपए का गबन हुआ, फर्जी अकाउण्ट्स की फोटो-स्टैट कापीज हैं। फिर सरकार ने कहा कि डेढ लाख रुपये का ठेका फिर उसको देदो। अब जाकर सस्पेन्ड हुआ है। वर्षों तक वह खाता रहा और उसके बाद मन्त्रियों के साथ जो नीतियां बदलती हैं वह गलत हैं। माप-दण्ड एक होना चाहिये। पंच चाहे छोटे क्यों न हों लेकिन जनता ने उनको चुनकर भेजा है। यह मन में भावना नहीं रखनी चाहिए कि वह छोटा है। वह भी एक निर्वाचित प्रतिनिधि है। दामोदरजी, आप पर कितनी चोट पहुंची थी जब आप चुनाव में हार गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): आपको अनुभव नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपको अनुभव हुआ है, अब दुबारा कुछ रौनक आई है नहीं तो गाल भी अन्दर पिचक गए थे। पुराने कपड़े ढीले हो गए थे, अब दुबारा उनको काम में लिया है, चुनाव में लड़ने से कितनी परेशानी होती है, पंचायतों के चुनाव बहुत मंहगे हो गए। गंगानगर के एक प्रधान के चुनाव में ८०,०००) रुपये खर्च हुए हैं। आप पंच, सरपंच, प्रधान, और उप-प्रधान को सस्पेंड करने का अधिकार लेना चाहते हैं, आप विचार कीजिए, यह अधिकार किसी केन्द्र के मंत्री को दे दें श्री गुलजारीलाल नन्दा को कि वह किसी भी विधान सभा के सदस्य को या मंत्री को सस्पेंड कर दें तो राजस्थान के मंत्रीमंडल के तीन-चौथाई मंत्री एकदम सस्पेंड हो सकते है, वह आदमी आपको सस्पेंड करने में चूके नहीं, सब को बुला बुला कर नाक रगड़वाए। आज भी आप देख रहे हैं कि जिन मिनिस्टरों के खिलाफ इन्क्वायरी चलती है तो कैसे सीधे और सभ्य बन कर रहते हैं, अच्छी तरह से पेश आते हैं, जहां जांच का मामला खतम हुआ तो फिर गरदन ऊंची हो जाती है। अगर उनको अधिकार सस्पेंड करने के दिए जायें तो आपकी क्या हालत होगी ? आपको एकदम नोटिस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया जाय कि दामोदरलाल व्यास Why should you not be suspended for all these irregularities ? क्या हालत होगी ? आपको जो ब्लड प्रेशर कल होना है वह शाम को हो जायगा, जिनको जनता ने चुन कर भेजा है और उनके गले पर आप छुरी चलाना चाहते हैं। क्योंकि वे आपके विरोधी हैं, इसलिए कि वे आपका विरोध करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको बुला कर आपका स्वागत नहीं करते हैं, आप वहां जाते हैं तो माला नहीं पहिनाते हैं। इसलिए उनको पुराने कामों के आधार पर दुबारा विश्वास प्राप्त करने के बाद भी फिर से सस्पेंड करने का अधिकार राज्य सरकार लेना चाहती है, यह लोकतंत्र पर कुठाराघात होगा, पंचों को बगावत के लिए खड़ा करेगा, सरकार के खिलाफ उपद्रव के लिए खड़ा करेगा, लोकतंत्र का भवन ढह जायगा और उसका पाप दामोदरलालजी आपके माथे पर लगेगा। अगर आप लोकतंत्रीय व्यवस्था जिसके लिए सुखाड़ियाजी कहते हैं कि यह पौधा उन्होंने लगाया है, उसकी जड़ में कीड़ा लगाकर उसको खोखला करके उसको मिटाने का श्रेय लेना चाहते हैं तो मैं आपका साथी बन सकता हूं। सुखाड़िया जी को गिराने में.. ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इतना जल्दी साथी बनते हो !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साथी तो आपका भी हूं। अगर आप सुखाड़ियाजी की जड़ें खोदना चाहते हैं, लोकतंत्र के भवन को गिराने की साजिश है और उसके कारण बदनाम करने की साजिश है तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के जनजीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ करना कहां तक ठीक है ? जो चुनकर आ गया और चुनने के बाद विधान सभा ने कानून बना दिया कि केवल फाईंडिंग दी जा सकती है, दुबारा वह चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिवली आप उसको सस्पेंड करें यह ठीक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान सरकार ने यह जो अधिकार लिया इस प्रकार का, उसके लिए कोई परिस्थितियां बताएं। कितने पंचों और सरपंचो के खिलाफ, उप-प्रधानों और प्रधानों के खिलाफ जांच करवाई ? जो धारा १७(४) में प्रोवीजो है उसके अंतर्गत कितनों को सस्पेंड किया ? कैसे चार्जेज थे, कैसा घोटाला था, क्या परिस्थितियां पैदा हुईं, आर्डीनेंस जारी करने के बाद कितनों को सस्पेंड किया ? यह अधिकार आपको २२ जनवरी को मिला उसके बाद आपने २३, २४, २५, २६ जनवरी को और फरवरी में आज तक कौन कौन से प्रधान और उप-प्रधान आपने सस्पेंड किये हैं, किन परिस्थितियों में आपने इन अधिकारों का उपयोग किया है ? उसके बाद सदन राय कायम करेगा कि आपका एक्शन कहां तक वाजिब था और आपने एक भी नहीं किया तो आर्डिनेंस क्यों निकाला ? किसको सस्पेंड करना था ? कब जांच जारी की ? कब खतम हुई ? ये सारे तथ्य सदन के सामने रखें। अगर सरकार इस प्रकार की रीजनिंग और लॉजिक, आर्डिनेंस का जस्टीफिकेशन सदन में नहीं दे तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब तक इस प्रकार की जानकारी सदन में नहीं दी जाय, तो इस प्रकार का आर्डिनेंस जो सरकार ने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जारी किया है, उसको सदन अस्वीकार करे ताकि भविष्य के लिए सरकार सावधान रहेगी। जो विधेयक आपने प्रस्तुत किया है, सदन उसको विचारार्थ ले सकता है, आवश्यकता समझे तो पारित कर सकता है, लेकिन जब तक सरकार जानकारी सदन में नहीं रखती, तब तक मैंने जो संकल्प सदन में रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री कृष्णकुमार गोयल
(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी
(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

श्री दुर्गालालबाढ़दार (हवा महल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऑर्डीनेन्स के द्वारा कानून बनाकर जनता पर थोपे जाने की परिपाटी है इस विषय में सदन में कई बार काफी चर्चा हो चुकी है। संविधान ने अधिकार राज्य सरकार को अवश्य दिया है कि वह ऑर्डीनेन्स के द्वारा किसी कानून को पारित कर सकते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में उस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि उन परिस्थितियों के नहीं होते हुए ऑर्डीनेंस के द्वारा कानून थोपा जाता है जनता पर तो मैं कहूंगा कि इस प्रजातंत्र में जो आप चुनकर आते हैं और मंत्री पद को आप प्राप्त करते हैं तो एक प्रकार से इसी संविधान का अपमान करते हैं। यदि आप इस दृष्टिकोण से विचार नहीं करते कि जो प्रजातंत्र का मूलभूत स्तम्भ है वह संविधान है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि इस संविधान में तीन प्रकार की प्रबल शक्तियां हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिये कि एक्जीक्यूटिव भी एक चीज है, ज्युडिशियरी भी है और आपका यह लेजिस्लेचर है। कानून बनाने की शक्ति संविधान ने इस लेजिस्लेचर को दी है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जहां तक एक्जीक्यूटिव का सवाल है वह आपको इतना बड़ा खुदा समझने लग गयी है कि वह न लेजिस्लेचर की परवाह करती है और न ज्युडिशियरी की परवाह करती है। मान लीजिये लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाया जाता है और उसको ज्युडिशियरी गैर कानूनी करार देती है तो एक्जीक्यूटिव यह सोचती है कि दूसरा कानून वह बना सकती है और उस हालत में वह ज्युडिशियरी की भी परवाह नहीं करेगी। हमारे यहां के पंचायत के मंत्री महोदय जो स्वयं बहुत अच्छे वकील रह चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में उनका बडा दायित्व था और नीर और क्षीर की दृष्टि से ज्युडिशियरी में अपना एक रोल अदा किया, उन मंत्री महोदय से तो कम से कम यह आशा नहीं की जा सकती थी कि कानून बनाते समय ऐसी बात करेंगे और कानून बनाने के पूर्व श्री व्यासजी जो चेहरा लगा कर आये थे वही तरीका, उसी प्रकार रिपीट करने का तरीका होगा, जब वे रेवेन्यू मंत्री थे तो उन्होंने उस समय बीस बीस साल पहले जो केसेज फाइनल हो चुके थे उनको वापिस खोल देने के लिये कानून बनाया। वे अपनी पुरानी आदत नहीं भूले हैं और नया कानून भी उसी तरीके से बनाने लगे हैं।

मैं इस कानून का विवेचन करना चाहूंगा। इसमें जो प्रावधान आप रखते हैं, यह ठीक है, कोई गलती करता है तो उसको दंड दिया जाना चाहिये, लेकिन इस कानून के पीछे सद्भावना है या विन्डिक्टिव नेचर को रख कर यह एक्जीक्यूटिव कानून बनाती है।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

यह दोनों भावना सामने रखना चाहता हूं। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जिस आधार पर यह माना जा सके कि इस ऑर्डिनेन्स का इस समय लाया जाना और उसको पारित किया जाना परम आवश्यक है। आपके सामने दो समस्याएं आती हैं। उन पर आप शान्ति पूर्वक विचार कीजिये। इस पंचायत राज में जनता के द्वारा नुमाइन्दे चुन कर पंचायत बनाना चाहते हैं। चुनावों में आप सुधार करना चाहते हैं। जो फन्ड्स उनके ड्यू होते हैं आपको उनको देने का कर्तव्य है और देना चाहिये उन पर आपके पंचायत विभाग ने कितना विवेचन किया है, कितनी बार जांच की है कि वाकई हर पंचायत को जितना रुपया मिलना चाहिये वह उनको समुचित रूप से मिलता है या नहीं? इस पर तो पंचायत मंत्री महोदय विचार नहीं करेंगे। अमुक स्थान पर अमुक पार्टी है, अमुक स्थान पर कांग्रेस पार्टी बहुमत में हैं और अमुक स्थान पर अल्प मत में है, अमुक स्थान पर फलां पार्टी बहुमत में हैं और वहां पर फन्ड्स देने का सवाल आता है तो यह क्राइटेरिया आ जाता है। एक ओर निष्पक्ष होकर जनता के सामने यह दिखाना चाहते हैं कि कानून इसलिये बनाते हैं कि जनता के चुने हुये नुमाइन्दे दुरूपयोग करते हैं तो कानून में प्रोविजन नहीं था, तो उस शक्ति को अपने आप में लेते हैं और पंचायत को सही मार्ग पर लाने के लिये यह ऑर्डिनेन्स लाते हैं। लेकिन आपकी यह भावना नहीं हैं। यदि वास्तव में आपकी यह भावना है तो आपको यह बताना चाहिये था कि अमुक अमुक स्थान पर अनियमिततायें हुई हैं और जब तक यह नहीं बता देते हैं तो डैमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन पर चलने वाली यह सरकार के लिये कैसे माना जावेगा कि आपकी यह सद्‌भावना है। वरना तो हम यह समझते हैं कि महज विन्डिक्टिव भावना के कारण ही यह सरकार इस प्रकार के कानून लाना चाहती है।

आपका द्वेष किसी पार्टी क खिलाफ हो सकता है, और किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ हो सकता है, जिनके खिलाफ आपको द्वेष है तो उनको वास्तविक जांच के बाद ही हटाना चाहिये लेकिन आप तो उस द्वेष के कारण आपको प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करना चाहते हैं और इसी दृष्टि से यह कानून आपने बनाया है और आप इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लाये हैं। जहां तक वोटिंग का सवाल है, पंच चुने जाने के बाद उनको प्रधान के चुनाव में मत देने का अधिकार हो गया। मतों की बाहुल्यता है और दूसरी समस्याऐ हैं आपके सामने तो आप देखेंगे कि मतों के बहुमत को कहां कमजोर करना है और कहां कमजोर है तो कहां शक्ति बढानी है। इस ऑर्डिनेन्स के आधार पर इस प्रकार की स्थिति रखते हुए आप इस प्रकार की भावना रखते हैं। ऐसे कई स्थान हैं, जिस व्यक्ति को अधिकार है वोट देने का, उसको आपने सस्पेन्ड किया, कइयों का क्या किया, यह एक विन्डिक्टिव भावना है, जहां बहुमत दूसरों का आगया और आपका नहीं आया वहां पर उनको वोट का अधिकार है वह हनन करलें, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया है उसको हनन करके, इस ऑर्डिनेन्स को लाना चाहते हैं। आपकी इस प्रकार की भावना, और इस प्रकार की भावना से बनाये गये कानून का कोई स्वागत नहीं करेगा। जनता इसका स्वागत नहीं करेगी। सदन के सत्र ही माननीय सदस्यों से यह निवेदन करने की चेष्टा करूंगा कि इस ऑर्डिनेन्स के यहां पर पारित होने से पहले

Page No. 46

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इस पर इस दृष्टि से और पूर्ण रूप से विचार करना चाहिये ।

पंचायत का कानून है । उसमें बहुत से प्रोविजन बहुत स्पष्ट हैं । उन पर मंत्री महोदय विचार कर लेते, उनको देख लेते तो उनकी समझ में यह बात आजाती । इस कानून को उनको बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती । पंचायत के कानून में क्वालिफिकेशन ऑफ पंच, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंच दे रखा है और उसको देख लेने के पश्चात और उस पर विचार कर लेने के पश्चात उनके दिमाग में भी यह बात आजाती है कि उस व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने और उसको वोट देने का अधिकार होता है । इस प्रोविजन के द्वारा बनाया हुआ कानून है, उसमें सब प्रावधान रखे हुए हैं, प्रोपर स्कुटिनी के बाद अधिकार प्राप्त होता है तो ही कोई व्यक्ति पंच बन सकता है, इस प्रकार का अधिकार प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति उस आसन पर बैठ सकता है क्योंकि जनता का बहुमत और भावना से ही वह पंच बना है । जैसी भावना जनता की होती है उसको आगे बढ़ा कर उसको प्रदर्शित करने की भावना रखता है । वह आगे बढ़ना चाहता है, किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण या ऐसी परिस्थितियों के कारण उसका आपकी बातों से तालमेल नहीं बैठता है तो उसको हटाने के लिये इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं जब कि यह कानून बिलकुल स्पष्ट है । अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसी बात हो जाती है, भ्रष्टाचार प्रणाली इलेक्शन में अपनाता है तो इलेक्शन पिटीशन का प्रोविजन इस कानून में है । एक तरफ क्रिमिनल लॉ को लेकर चलते हैं तो हर आदमी उस कानून के अन्तर्गत इन्नोसेन्ट माना जाता है जब तक कि उसके खिलाफ गिल्ट नहीं साबित हो जाता, न्यायालय से सजा नहीं दी गयी है और कोई कारण नहीं है कि न्यायालय पूरी जांच करने के बाद उसको बरी कर दे । मंत्री महोदय का प्रभाव रहेगा । पुलिस से किसी के खिलाफ बना देना आसान है । मुकदमा बन गया, केस तैयार हो गया, ग्राउन्ड तैयार हो गया, मंत्री महोदय के लिये आधार तैयार हुआ और उसको सस्पेन्ड कर दिया जावेगा । मुकदमा चलेगा, तीन सात महीने लगेंगे ।

(१ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति पदासीन)

सात महीने में चुनाव की सब बातें समाप्त हो जावेंगी । उस परिस्थिति में उसके पश्चात् वह बरी हो गया, सात महीने का टाइम निकल गया तो उसके बाद उसको कौनसा पद प्रदान करेंगे ? इन सब बातों पर विचार करके आप कम से कम यह तो देखियेगा कि इस ऑर्डिनेन्स को लाने की कौनसी भावना थी । ऐसी भावन नहीं है जो विन्डिक्टिव हो , ऐसी कोई मूलभूत भावना नहीं है इसके पीछे तो यह ऑर्डिनेन्स ही क्यों लाना पड़ा इस पर जरा विचार कीजिये । यह आप को मालूम हो गया कि कितने दिन पहले से नोटिस हो गया कि २६ तारीख को विधान सभा का यह सेशन चलने वाला है । इस विधान सभा के सामने यह बात ला सकते थे, विचार प्रकट कर सकते थे । आपके नोटिस में ये सारी बातें होते हुए भी उस चीज को आपने अपने हाथ में लेने की कोशिश की । इसको एक बिल के रूप में प्रस्तुत करना होगा, पारित होने के लिये वह आवेगा, जो कुछ कहना है, वह कहना होगा । इसकी आपको परवाह नहीं है ।

बगैर कार्यवाही किये हुए आप चाहते हैं कि जिस प्रकार आप चाहें कानून बना देवें ।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो करप्ट प्रणाली आप अपनाते हैं, आप एक्जीक्यूटिव के हैड होते हुये इस प्रकार का कार्य करते हैं तो फिर आपके नीचे जो काम करने वाले हैं वे भी आपका ही अनुसरण करेंगे। इससे दूसरे लोग-बाग हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

आज जो भ्रष्टाचार है उसका कारण क्या है ? उसका एक मात्र कारण यह है कि आप निरंकुश रूप से इस आसन पर बैठ कर काम करते हैं। उसका असर आपके नीचे जो काम करते हैं उन व्यक्तियों पर भी पड़ता है। वे आपके कामों को देखते हैं। उन लोगों द्वारा किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप ही के द्वारा उनको श्रेय मिल जाता है ऐसी सूरत में यह सवाल नहीं रहता कि वे निर्भीक होकर काम करके भ्रष्टाचार को आगे बढाने से रोक सकें।

इस प्रकार की प्रणाली, इस प्रकार का आपका दृष्टिकोण, इस प्रकार की आपकी विचारधारा, जिसके द्वारा संविधान का अपमान करते हुए, उनमें दी हुई मर्यादाओं का पालनन करते हुए विधान सभा के आप माननीय अंग हैं उनकी भावना का भी विरोध करते हुए, उनकी भावनाओं पर कुठाराघात करते हुए इस प्रकार के कानून बनाने की परिपाटी अपनाते हैं तो कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं करेगा। जो अधिकार दिये गये हैं उनका सदुपयोग करते हुए आपको सोचना चाहिये कि हर पंचायत को जो उसका वाजिब हक है वह उसको मिल जाना चाहिये। हर पंचायत को जो सहूलियतें दी जानी चाहिये वे मिलनी चाहियें। ये बातें न करने के बारे में माननीय मंत्री महोदय स्वंय अच्छी तरह जानते हैं कि पंचायत राज प्रणाली ने प्रत्येक व्यक्ति में जाग्रति पैदा की है ? वह किस प्रकार की जाग्रति पैदा की एक दो भाईयों में जो पहले मेल मिलाप से रहने की भावना रहती थी उनमें आपस में बैर विरोध की भावनायें पैदा करदी हैं। आज हम देखते हैं कि गांव वालों में जहां भाई चारे का सम्बन्ध होता था आज इसके कारण द्वेष ईर्ष्या की भावना प्रबल होती जारही है, इसका एक मात्र कारण यह पंचायती राज है, आज प्रत्येक नागरिक के मन में द्वेष की भावना इसने पैदा कर दी है।

आज जो यह भावना फैल गई है उस भावना में सुधार लाकर वास्तविक रूप से डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम इस प्रकार का प्रचार करने की चेष्टा कीजिये ताकि इससे लोग सही रास्ते पर आयें। जो न्यायोचित बात हो, मांग हो उसका निराकरण करें। बीसियों केसेज मेरे सामने आते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं और यह मैं मानकर चलता हूं कि आज हम देखते हैं जो पंचायत का प्रधान एक पार्टी का आदमी हो जाता है, वह अधिकार में आने के बाद अपने विरोधियों के पक्के मकान, बाड़े आदि तोड़ने का फैसला कर देता है। जिसका नाजायज कब्जा है वह उसकी पार्टी का होता है तो उसे छुड़वाया नहीं जाता। जो ग्रुप एक बार सत्ता में आ जाता है वह दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने की हमेशा भरसक कोशिश करता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप, किसी भी जगह के पंच ने पक्के

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

मकान तुड़वाये हों, बाड़े इधर-उधर करवाये हों, उनके नाम बतलाइये ना ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): मंडावरा ग्राम में दो टूटे हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बतलाइये ना ! किस गांव में तोड़े हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप पूरा ब्यौरा चाहते हैं तो पूरा ब्यौरा दूंगा पूरी लिस्ट दूंगा। यही नहीं इस प्रकार के निर्णय जहां पंचायतों द्वारा लिये गये हैं उनको कलेक्टर द्वारा निरस्त भी कर दिया गया है लेकिन कलेक्टर के निर्णय को मान्यता नहीं दी गई। आप इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। गोकुलप्रसाद जी ! मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मन्त्री महोदय को सही रास्ते पर लेजाने के बजाय गलत रास्ते पर लेजाना चाहते हैं। आप यह बात अच्छी तरह से जान लें कि हमारे पंचायत मन्त्री इतने चिकने घड़े हैं आपके इस प्रकार से पानी डालने से उन पर कोई असर होने वाला नहीं। पंचायत मन्त्रीजी का प्रभाव है वे सही रास्ते पर आने की कोशिश करेंगे। आपके खुद के आदमी भी यदि उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो वे नहीं होंगे। आप समझदार हैं, सही लाइन पर चलेंगे माननीय सदस्यों के चक्कर में आनेवाले नहीं। पंचायत मंत्रीजी स्वयं अपनी भावनाओं के अनुसार कार्य करेंगे और जो सही बात होगी वही करेंगे।

इस वक्त माननीय मंत्री महोदय, आपको यह देखना चाहिये कि लोगों में पंचायत राज्य के प्रति किस प्रकार से आस्था बढ़े, आपके कार्यो द्वारा लोगों में आप यह भावना पैदा करने की चेष्टा करें कि पंचायत राज्य के क्या फायदे हैं। आज हो यह रहा है कि जो ग्रुप पावर में होता है वह दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। आज आप भले ही इसको न समझें। हो सकता है इससे आप आने वाले चार-पांच सालों के लिये इस भावना को बनाये रख सकते हैं, अपनी शक्ति को बनाये रख सकते हैं, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो आपकी इन कार्यवाहियों को वह न समझती हो। ये सारे मामले सामने आजायेंगे, जब आपके सारे कारनामों को जनता समझ लेगी तो आप यह मानकर चलिये जिस जनता के सामने बड़े-बड़े सम्राटों के तख्ते उलट गये तो आपके ये तख्ते भी उलटते देर नहीं लगेगी। ऐसी बात आपके द्वारा नहीं होनी चाहिये, आपके प्रति सद्भावना रखते हुए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं देखिये अगर आपकी कांग्रेसी सरकार जो बहुमत के आधार पर शासन चला रही है उसका पतन का कारण अगर कोई होगा तो आपके ये ही कार्य होंगे, आपके ये ही कर्म होंगे। आपकी जो इस प्रकार की कार्यप्रणाली है, आपका जो इस प्रकार आर्डिनेन्स लाने का ढंग है वे सब आपके पतन के कारण होंगे। आने वाले इतिहासकार इस बात को स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली में एक ग्रुप ऐसा शासन में बैठा था जिसने जनता की भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। जिसने निरंकुशता के साथ कार्य किया और यही कारण होगा कि हिन्दुस्तान जैसे देश में क्रांति

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

के निमन्त्रण का। आप यह जानते हैं यदि कोई इस प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसमें आप यह साफ समझ कर चलिये कि दुखी आदमी क्या नहीं करता, भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता; जैसे कहा है :

"बुभुक्षितं किं न करोति पापम्,
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति।"

इस प्रणाली के अनुसार मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोगों में इस प्रकार की भावनायें पैदा करने की कोशिश कीजिये, ताकि उनकी आस्था आप में बढ़े; अगर इस प्रकार आप नहीं कर सके तो जनता क्षुब्ध हो जायगी दुखी हो जायेगी, उनका जीना मुश्किल हो जायगा; तो निस्सन्देह आप लोगों के खिलाफ क्रान्ति की भावना जोर पकड़ेगी, हम तो आप लोगों का भला चाहने वाले हैं। आप जिस ढंग से चले आ रहे हैं आपमें कोई विशेष परिवर्तन आने वाला नहीं। हमारी आपसे सहानुभूति है इसलिये हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो आज जनता में भावना प्रबल होती जारही है उस भावना को बदल दीजिये अपने कारनामों से, उनको बदलने के बारे में, कानून बनाने के बारे में जो संविधायिनी पास करे उसी को बिल के रूप में लायें, आप अपनी मर्जी से ऑर्डिनेन्स बनाने के जो कदम उठाते हैं उनको रोकिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक ऑर्डिनेन्स लाने का सवाल है मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसमें कोई ऐसा कारण नहीं था जिसके कारण आपको यह ऑर्डिनेन्स लाना पड़ा। इसके साथ ही साथ, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस बारे में सोचना चाहिये, पंचायत राज की अगर आप वास्तविक रूप से उन्नति करना चाहते हैं, वास्तविक रूप से इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से अपनी भावनाओं को नहीं ढालना चाहिये।

आपको अपनी इनर्जी को इन छोटी २ बेकार बातों में, कामों में वेस्ट नहीं करना चाहिये। बल्कि लोगों को सुशिक्षित करने में, किसी पंचायत में कहां गबन हो रहा है इसको रोकने में, जो रुपया पंचायतों को दिया गया है उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकने में और लोगों में ऐसी भावना पैदा करने में कि जो पैसा जिस काम के लिये दिया जाता है उसमें उसका सही और पूरा पूरा उपयोग करने में अपनी इनर्जी को लगाना चाहिये। इन पर आप ध्यान देंगे तो जनता का वास्तव में कल्याण कर सकेंगे। पंचायत राज को आगे बढ़ा सकेंगे, इसकी नींव सुदृढ़ बना सकेंगे। ऐसा करके आप वास्तव में सही माने में जन नेता कहला सकेंगे। पंचायत राज का कल्याण इस तरह के कोरे कानूनों में निहित नहीं है, उस कानून को सही तरह से जन कल्याण में उपयोग करने में है। पंचायत मन्त्रीजा, अपनी आंखें खोलकर आगे बढ़ने में है। आप ऑर्डिनेन्स इस तरह से लाना बन्द करदें और स्वयं इसे अनुभव करेंगे कि आपने इस तरह का काम करके बहुत बड़ी भूल की है और इन सब बातों को सोच-समझकर पंचायत राज के काम को सद्भावना के साथ आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली): सभापति महोदय... ....

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा संकल्प है और इस ऑर्डर से इसे लिया जावे तो सुन्दर रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भाषण दिया था उससे क्या वे अपना दृष्टिकोण यह समझाना चाहते हैं कि अगर सरपंच की हैसियत से पंचायत के रुपये का एम्बेज़िलमेन्ट कर जावे और उसका कार्यकाल समाप्त हो जावे और फिर दुबारा चुनकर आ जावे तो ऐसे लोगों को उनके खयाल से सरपंच के पद पर कार्य करते रहना चाहिये और मौका उसको देना चाहिये कि वह वजह, सबूत वगैरह को भी गायब करदे ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उनका है या नहीं, आपका तो जाहिर है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा कहना यह है कि आपने मोरल टर्पीट्यूड की बात कही। आप खुद काबिल वकील रहे हैं। आप ही बताइये कि इस मोरल टर्पीट्यूड की डेफीनेशन आप कहां से लाते हैं ? यह तो आपके डिस्क्रिशन की बात हुई न ? तो आप जिसको चाहें उसको मोरल टर्पीट्यूड का ऑफेन्स कह दें, मन में आवे उसको नहीं कह दें। तो सही माने में अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देने की सोचते तो आप ऑर्डिनेन्स में यह भी खुलासा कर सकते थे कि फलां फलां तरह का ऑफेन्स मोरल टर्पीट्यूड में गिना जावेगा जैसा सतीशचन्द्रजी ने भी अभी आपको बताया था। और बहुत से ऐसे केस आपके नोटिस में भी लाये गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो यह लेकुना रखकर आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं। अपनी खुद की डेफीनेशन अपने हाथ में रखकर अपनी पार्टी के लोगों को छूट देना चाहते हैं और दूसरों को, अपने विरुद्ध पक्ष वालों को आप फंसाने की कोशिश इस कानून के जरिये करना चाहते हैं। यह कहा है मैंने। इससे आप बचिये और जैसा मैंने कहा आप अपना दिमाग सही दिशा में लगाइये।

श्री सभापति : श्री राधाकृष्णजी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदय, श्री राज्यपाल महोदय ने २२-१-६६ को राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश को प्रख्यापित किया। जिसको सदन की स्वीकृति हेतु माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया।

मेरा इस पर यह संकल्प है कि इस अध्यादेश को यह सदन अस्वीकार करे।

सबसे पहली बात तो यह है, सभापति महोदय, कि अध्यादेश जारी करने के लिये राज्यपाल महोदय को विशेषाधिकार दिया गया है जो असाधारण महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद २१३ के अन्दर इन्हें ऐसी परिस्थितियों का अनुभव करना आवश्यक होता है कि जिससे वे बाध्य होकर ही ऐसे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब राज्य सरकार ने वे क्या परिस्थितियां राज्यपाल महोदय के सम्मुख रक्खीं कि जिनसे बाध्य होकर राज्यपाल महोदय ने यह अध्यादेश जारी किया, वे परिस्थितियां और वे विशेष कारण राज्य सरकार ने सदन में नहीं रक्खे हैं जिससे हम भी विचार कर सकें कि राज्यपाल महोदय को बाध्य होने के लिये ये उचित कारण थे।

इससे एक और यह आभास मिलता है कि सरकार ने संविधान द्वारा प्रदत्त इस

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

राज्यपाल के अधिकार का दुरुपयोग करवाया है जो कि संविधान की तौहीन है और हमारे देश की जनता के साथ भी विश्वास-घात है एक प्रकार का।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अध्यादेश में इन शब्दों का उल्लेख किया है, "राजस्थान विधान सभा इस समय सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने योग्य परि-स्थितियां वर्तमान हैं।" वे परिस्थितियां क्या हैं? इनसे सरकार ने सदन को अवगत नहीं कराया।

दूसरे, सभापति महोदय, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया २२ जनवरी, ६६ को यह जारी किया गया। अक्टूबर में यह सदन स्थगित होकर फरवरी और मार्च में बैठने वाला था। इस अवधि में ही ऐसा कौनसा विशेष कारण हो गया जिसने राज्यपाल महोदय को असाधारण शक्ति का प्रयोग करने को बाधित कर दिया? यह बाधित करना तो मेरे खयाल से एक रुटीन वर्क सा हो गया है और इस तरह से आर्टिकल २१३ एक मखौल बन कर रह गया है। यह हमारे लिये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है इस जनतन्त्री कहलाने वाली सर-कार का।

आगे, सभापति महोदय, इस एक अध्या-देश के नाम से सरकार ने चार अध्यादेश जारी किये हैं। पहला यह कि कोई भी पंच, सरपंच या उप-सरपंच के खिलाफ जांच आरम्भ हो गई है या उनके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में ऐसे अपराध में, जिसमें नैतिक पतन शामिल हो के सम्बन्ध में, केस विचाराधीन है या पंच, सरपंच या उप-सरपंच के विरुद्ध उप-धारा ४ के अन्तर्गत जांच चल रही हो तो उसे सरकार निलम्बित कर सकेगी। और उसे ऐसे निलम्बन में रखेगी कि वह किसी पंचायत की किसी भी कार्य-वाही में या कार्य में भाग नहीं ले सकेंगे। इस अर्थ में यह अध्यादेश बहुत गम्भीर, बहुत प्रभाव डालने वाला और वाइड है और इतना ही वेग है। इसके द्वारा राज-स्थान सरकार ने ऐसी शक्तियां अपने हाथ में लेने की चेष्टा की है कि जिनका उपयोग या दुरुपयोग वह अपने मनचाहे ढंग से किसी भी प्रकार कर सकती है। सभापति महो-दय, इस अर्थ में इसे काला कानून भी कह दूं तो कोई अतिशियोक्ति नहीं होगी। इस कानून की तुलना रॉलट एक्ट से भी की जा सकती है बल्कि उससे यह कई कदम आगे है। इस तरह का कानून जनतन्त्री सरकार द्वारा जनता के इस सदन में लाना बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है।

इसमें तीन बातों की ओर हमारा ध्यान जाता है। पहला तो यह कि सरकार किसी भी पंच, सरपंच या उप-सरपंच को निलम्बित कर सकती है।

दूसरे यह भी अगर किसी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मोरल टर्पी-टयूड का केस चला गया उसे भी निलंबित करने की शक्ति सरकार में निहित होगी। सभापति महोदय, किसी भी सरपंच, उप-सरपंच या पंच के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अदालत के अन्दर ३७६ का दावा करदे, ३७६ का दावा करदे, ४५७ का दावा करदे, ४०६ का दावा करदे, ४०८ का दावा कर दे, ४०६ का दावा करदे और यह भी नहीं

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

वह दावा किसी पंचायत संबन्धी सरपंच की स्थिति में कार्य उसने किया हो उसके संबन्ध में हो या उसने व्यक्तिगत हैसियत से कोई कार्य किया हो उसके सम्बन्ध में वह दावा-इस्तगासा करे इसके लिऐ भी इस अध्यादेश में जिक्र नहीं है। साथ ही सरकार को यह अधिकार है कि जहां मजिस्ट्रेट ने १९० में काग्निजेन्स लिया सरकार यह अधिकार समझ लेती है कि हमें उसको निलम्बित करने का मौका है। इस प्रकार यह सरकार अपने ही द्वारा वह भयंकर अधिकार ग्रहण करती है जिससे पंच, सरपंच आदि भयावह हो जाते हैं और वह अपने स्वस्थ विचारों का जनता के विकास के लिए और अपनी पंचायत की और अपने क्षेत्र की भलाई करने के लिए उनका निष्पक्ष उपयोग नहीं कर सकते। प्रत्येक काम के लिए उनको राज्य सरकार की ओर से डरते रहना पड़ता है और इस तरह उनमें जो एक आत्मोल्लास की भावना है उसको दबाये जाने के लिए इस ऑर्डिनेन्स का उपयोग नहीं किया जा सकता था।

सभापति महोदय, इसके साथ ही जसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया क 'मॉरल टर्पीट्यूड' एक ऐसा शब्द है कि जिसकी व्याख्या अभी किसी प्रकार से आई० पी० सी० में या इस पंचायत एक्ट में नहीं की गई है और इसलिए यह एक ऐसी वेग टर्म है कि जिसका दायरा राज्य सरकार अपनी शक्तियों के माफिक और जैसी स्थिति हो उसके अनुसार तोड़-मरोड़ कर बदलती रह सकती है। इसलिए अगर इनके दिल में जरा भी ईमानदारी है तो इसका भी स्पष्टीकरण इनको सदन के सामने करना चाहिये और सदन से स्पष्ट आदेश और अनुमति लेनी चाहिये कि वह किन-किन अधिकारों को मोरल टर्पीट्यूड के अपराध समझते हैं।

साथ ही इन्होंने अपने आप एक डिस्क्रीशनरी पॉवर्स ग्रहण की हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि यदि यह अनुशासन इसके द्वारा करना चाहते हैं तो न्याय की समानता की बात इस सदन के सामने प्रस्तुत करते। यह अधिकार कि वह कर सकेगी चाहे तो करे, चाहे तो नहीं करे-यह भी एक बड़ी विडम्बना है। यह सदन उचित समझता है कि प्रत्येक पंच, सरपंच या जो भी राजस्थान का निवासी है उसके साथ समान व्यवहार हो और इस प्रकार यह डिस्क्रिशन जो इन्डीविजुअल डिस्क्रीशन हो सकता है, पॉलीटिकल डिस्क्रीशन बन सकता है यह हमारे पंचायती राज्य को और पंचायती राज्य के जो पंच, सरपंच आदि निर्वाचित व्यक्ति हैं उनको खोखला बना देगा और उनकी जो पहल करने की शक्ति है, समाज के निर्माण-कार्य करने की शक्ति है उससे वह दूर होकर वह राज्य सरकार का एक डरता हुआ ऐजेन्ट के तौर पर काम करने लगेगा।

सभापति महोदय, इस प्रकार दूसरा जो इसका हिस्सा है वह हिस्सा प्रधान और उप-प्रधान के लिये है, क्योंकि प्रधान और उप-प्रधान को भी इस प्रकार दण्डित करने का प्रावधान रखकर राज्य सरकार ने वह शक्ति अपने में ही ग्रहण करके बहुत ही बुरे रास्ते को प्रशस्त किया है। आवश्यकता यह थी कि यदि इन्हें इस प्रकार का कानून बनाना था तो यह शक्ति स्वयं राज्य सरकार में न ली जाकर इसके लिए एक इन्डीपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल बनाया जाता। सदन की सदा यह मांग रही है कि जो इस प्रकार के

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

निर्वाचित व्यक्ति हैं पंच, सरपंच, प्रधान और उप-प्रधान, आदि उनको किसी भी राजनैतिक आधार पर दण्डित नहीं किया जाये। उनको यह भय नहीं रहे कि हमारे विरुद्ध कोई और भी नेता, जो कि राजनैतिक पार्टी से संबंधित हो, किसी प्रकार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर यह भावना उनमें रही तो राजस्थान में एक नाजीवाद फैलेगा और नाजीवाद ही नहीं फैलेगा बल्कि जारशाही फैल सकती है जिसका रीएक्शन जनता में घोर रूप में हो सकता है और जो पंचायती राज्य राजस्थान में भूख, गरीबी और अज्ञानता को दूर करने के लिए आरम्भ किया गया था इसके परिणाम इसके विपरीत हो जायेंगे। इसलिए राज्य सरकार को इस संबंध में गंभीरता से सोचना चाहिए कि आया जो शक्तियां इन्होंने इस अध्यादेश के द्वारा या पंचायत एक्ट में संशोधन करके इस विधेयक के द्वारा ग्रहण करना चाही हैं उसके परिणाम क्या होंगे? सभापति महोदय, मनुष्य बहुत से काम करता है और उसको प्रत्येक कार्य दूरगामी परिणाम से संबंध रखता है। हो सकता है उन दूरगामी परिणामों को प्रत्येक व्यक्ति नहीं देख सके। लेकिन जो बातें साधारण रूप से प्रत्येक व्यक्ति की निगाह में आ सकती हैं उनके संबंध में अवश्य ही गंभीरता से विचार करना चाहिये और जो यह भय का वातावरण पंच, सरपंच, प्रधान और उप-प्रधान में और जनता में व्याप्त हो सकता है इन प्रावधानों के कारण उनको निर्मूल करने के लिये राज्य सरकार को कोई सक्रिय कदम उठाना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जो इसका तीसरा अंग है वह ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसके सम्बन्ध में २६ तारीख को जबकि राज्यपाल महोदय यहां पर भाषण देने आये थे उस समय एक दुःखद घटना हुई। अगर राज्य सरकार अपनी इस प्रकार की गलत नीतियों को इस अध्यादेश के द्वारा क्रियान्वित करने की नहीं सोचती तो राजस्थान आज इतना सर नीचा नहीं करता। राजस्थान में और राजस्थान के बाहर हर जगह चर्चा है कि २६ तारीख को राज्यपाल महोदय को अभिभाषण नहीं देने दिया गया। इसका उत्तरदायित्व जहां बहुमत से बनी सरकार कुछ विधायकों पर थोपती है उसके साथ ही उनको यह भी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि इसमें मूल में कारण क्या था? अगर हमारे पंचायत मन्त्री जरा जिम्मेदारी से काम लेते और इस तरह मन चाहा कानून अध्यादेश के द्वारा जारी नहीं करते तो वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने का कोई कारण ही नहीं था। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी २६ तारीख को दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे पंचायत मन्त्री की थी कि जिन्होंने अपने स्वार्थ को राजस्थान के हितों से ऊँचा समझा और यह उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता है।

(विराम)

सभापति महोदय, सदन में १७६ सदस्य इस विधानसभा के हैं। इसके अतिरिक्त २२ लोकसभा के भी सदस्य हैं और कुछ राज्यसभा के भी हैं। इन सबको उस कानून के अधीन शपथ ग्रहण करनी पड़ी और की भी। क्या कारण था कि इन्होंने अपने आपको कुछ सुपीरियर नेशनल समझ कर

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

ऐसे समय में जब वहां और वहां के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं था वहां एक वातावरण ऐसा बन रहा था तो अपने थोड़े से स्वार्थ और लाभ में इस अध्यादेश का इस्तेमाल किया और इसलिये इसका री-एक्शन भी स्वाभाविक है और यह री-एक्शन जो २१ तारीख को हमारे सामने सदन में आया वह ऐसी बात नहीं है जोकि वहीं तक सीमित हो जायेगा बल्कि प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिये वह चाहे राजस्थानी हो या बाहर का हो, इस प्रकार के जो कुछ भी कार्य राज्य सरकार की ओर से किये गये हैं उनकी निन्दा किये बिना नहीं रह सकता।

अब इससे आगे, सभापति महोदय जो इसका चौथा अंग है वह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है....

श्री सभापति: आखिरी है न?

श्री राधाकृष्ण गोयल: आखिरी और वह इस रूप में है कि एक ओर जहां पंचायत मंत्री ने कई बार इसी सदन में यह स्वीकार किया कि पंचायत सर्विस कमीशन के चेयरमैन कलेक्टर और जिला प्रमुख की बनी हुई समिति का कार्य जो ट्रान्सफर आदि के सम्बन्ध में है वह संतोषजनक है। लेकिन एक ओर जिसे संतोषजनक कहते हैं दूसरी ओर उनके कामों में बाधा और हस्तक्षेप करने की नीयत से अध्यादेश के द्वारा यह कानूनी अधिकार अपने आप में हस्तगत किये हैं। उन्होंने क्लर्क्स के, मास्टरों के, मास्टरनियों के और कई इस प्रकार के छोटे-मोटे मामले थे उनके ट्रान्सफर करने के सर्वाधिक अधिकार अपने आप में ग्रहण कर लिए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कानून बनाने की भी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस कानून को बनाने के लिए इस सदन में रखने से पूर्व अध्यादेश निकालने की आवश्यकता क्यों प्रस्तुत हुई? ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिससे उन्होंने जो एक समिति बनी हुई थी, ट्रिब्यूनल बना हुआ था उसका विश्वास नहीं किया और ऐसी साधारण बातों में अपनी शक्ति लगाने को समय निकालने की इच्छा व्यक्त की? इसके साथ ही साथ और भी भयावह बात तो यह है कि जिस समय पंचायत के कानून पर हमारे यहां पर विचार हुआ और हमने पंचायत कानून को बनाया और कानून बना कर निर्देश दिया, उस निर्देश को इग्नोर करते हुए उन्होंने यह अध्यादेश जारी किया जो मेरे ख्याल से संवैधानिक भी नहीं है। यद्यपि इसमें अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्डिनेंस को, इसके हिस्से को चैलेंज करने की बात आ भी सकती है लेकिन लिखा गया है कि उप-धारा ६ में किसी बात की समानान्तर अवस्था होते हुए भी राज्य सरकार को यह अधिकार है, यह उन्होंने यह किया है। इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त किया है। कल अध्यादेश द्वारा यह भी कानून बनाया जा सकता है कि राजस्थान में जितने भी कानून इस सदन ने पारित किए हैं उनके होते हुए भी राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह मन चाहे जो काम कर ले। यह तो भला कानून का राज नहीं है? सदन के बनाये हुए कानून को निर्लिप्त समझ कर, "notwithstanding anything contained in any law, the Government

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

will have full powers to do anything it thinks necessary." इस तरह का कानून बनाने की अध्यादेश के द्वारा क्षमता राज्यपाल को मिल गई। मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्णतया असंवैधानिक और इस सदन के अधिकारों पर भी भारी कुठाराघात है। जो कानून हमने सदन में अच्छी तरह से विचार करके पारित किया, उसका भी कुछ अर्थ था लेकिन उस कानून को इग्नोर करके राज्य सरकार ने अपने हाथ में सत्ता ग्रहण करनी चाही है और वह सत्ता भी क्या कि कुछ राज्य के, कुछ पंचायतों के और पंचायत समितियों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के अधिकारों से सम्बन्धित है। तो क्या इस प्रकार से राज्य सरकार ऐसे छोटेपन पर उतर कर राज्य का शासन चलाना चाहती है? इस प्रकार से अध्यादेशों के द्वाराऐसी गिरी हुई बातें कानून के रूप में राजस्थान की जनता पर थोपे, यह चाहती है?

सभापिति महोदय, यह प्रश्न था कि अध्यादेशों का उपयोग कम से कम होगा। गत सत्र में भी इसी सदन में माननीय योजना मंत्रीजी ने हमें इस सदन को विश्वास दिलाया था लेकिन जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में सात अध्यादेश इस राज्य सरकार ने जारी किए हैं और उनमें अधिकतर अध्यादेश कम से कम ऐसे थे कि जिनके लिए, जिनको जारी करने लिए कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं बताई कि जिससे राज्यपाल महोदय को या सरकार को बाध्य होना पड़ा। यह साधारण बुद्धि से समझा जा सकता था कि इसमें यह ऐसी अवश्यम्भावी आवश्यकता थी, इसके बिना राज्य सरकार को घाटा होगा, राजस्थान की जनता का कोई अहित होगा या और कोई ऐसी बात होगी कि जिससे यह अध्यादेश जारी करना नितांत आवश्यक है। इसलिए ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अपने दिए हुए वचनों का पालन नहीं करती है तो हमारे लिए यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और जो लोकतांत्रिक पद्धित है उसके लिए भी यह बहुत बुरी बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो सभापति महोदय, मैं केवल संक्षिप्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा तो अच्छा यह हो कि जो विधेयक जिसको कि सदन के सदस्य और जनता काला कानून से अच्छा नहीं समझ सकती, उसको राज्य सरकार वापिस ले ले और सोच-विचार के जो कुछ समय बाद, अगले सत्र में पंचायत संशोधन विधेयक या नया पंचायत कानून लावे उस समय इस संबन्ध में भी विचार करले कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी

जहां तक शपथ आदि की बात है वह स्टेज तो खत्म हो गई है और आगे के लिए शायद सब विधायकों को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़े लेकिन अगर सरकार यह समझती है कि एग्जीक्यूटिव की शक्ति इस राजस्थान असेम्बली की शक्ति से व्यवहार में कम नहीं हैं बल्कि भरपूर या अधिक हैं या ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर, जो ब्रूट मेजोरिटी यह समझ ही नहीं सकती कि इस सरकार के द्वारा अध्यादेशों के द्वारा क्या २ किया जा रहा हैं और कैसे किया गया है और अब यहां पर विधेयक के द्वारा

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

क्या पास कराना चाहते हैं, तो उनके भरोसे अगर यह करना चाहें तो राज्य सरकार को इस सदन को विश्वास दिलाना चाहिये कि इस विधेयक के पारित होने पर वह कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगी; कभी दलगत आधार पर इसका इस्तेमाल नहीं करेगी और कभी इसको राजनैतिक शोषण का एक हथियार नहीं बनायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिए मैं संक्षिप्त में, सभापति महोदय, जो कुछ भी ऑर्डिनेन्सेज़ निकाले हैं उनकी भर्त्सना करता हूं और जो पंचायत से सम्बन्धित ऑर्डिनेन्स निकाला गया है उसकी बहुत ही अधिक निन्दा करता हू और मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन से निवेदन करता हूं कि इस अध्यादेश को यह सदन अस्वीकार करे।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री सभापति: श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा हमारे पंचायत मन्त्रीजी से कि हमारे देश के अन्दर, जब हमने सबको संविधान के तहत राइट दिया है, फण्डामेंटल राइट दिया है कि वह अपने वोटों का इस्तेमाल अपनी मर्जी के अनुसार करेगा और उसी वोट के द्वारा आपको भी चुना जाता है और राजस्थान और दूसरी जगहों पर भी प्रतिनिधि चुन कर आते हैं। उसी प्रक्रिया के अनुसार पंचायतों के भी चुनाव होते हैं और चुनाव होने पर वह जन-प्रतिनिधि के रूप में, एक छोटी इकाई के रूप में वहां जाकर बैठते हैं। जहां तक उनके वोटों का सवाल है, वोटर अपने लिये ऐसा मान कर चले चाहे वह विधायक हों, चाहे मन्त्री हों या और कोई हों वह अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो उसको सस्पेन्ड करने का या उसको हटाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन वह वोटर जो सरपंच या पंच जो भी हैं उसे वोट देकर चुनता है, उसी वोट से जिससे कि वह आपको चुनता है और उसी वोट से पंच और सरपंच को चुनता है, आप उसके वोट की यह वकत करते हैं कि आप अपने अधिकार से उस पंच या सरपंच को जब आप चाहें हटादें। मैं यह समझता हूं कि यह पंच के प्रति या सरपंच के प्रति आपकी अश्रद्धा का प्रतीक ही नहीं बल्कि उनके वोटर्स की इन्सल्ट है जो अपनी दृष्टि से उस आदमी को अच्छा समझ कर चुनता है और चुन कर पंचायतों में जोकि डेमोक्रेसी के सेटअप में एक छोटी-से-छोटी इकाई है उसके अन्दर भेजता है और उसके ऊपर आप यह अध्यादेश लगाते हैं कि अगर राज्य सरकार यह समझेगी कि सरपंच ने या पंच ने दुरुपयोग किया है, उसका नैतिक पतन होरहा है तो उसके लिये आपने ऑर्डिनेन्स में यह प्रावधान रखा है कि जिसके तहत आप लोगों को पंचायत की सदस्यता से डिबार कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि जब हम एक डेमोक्रेटिक सैटअप में बैठे हैं तो उसको मद्दे नजर रखते हुए हमको यह चाहिये कि हम उस मतदाता की उतनी ही कद्र करें जितनी कि हम अपने वोट के लिये करते हैं। सभापति महोदय, आपने खुदने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि यदि

(श्री दिग्विजयसिंह)

ऐसा प्रावधान विधायक या ऊंचे पद वाले किसी मन्त्री, सेन्ट्रल या यहां वाले, के लिये रख दिया जावे कि किसी मन्त्री या विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की अनियमितताओं का आरोप हो, या उसके आचरण के सम्बन्ध में या उसके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोर्ट में केस चल रहा है तो यह अधिकार होगा कि तावक्ते इसका निर्णय न होजाये वह विधायक या मंत्री अपने पदसे सस्पेन्ड रहेगा। अगर यह प्रावधान आज इस केस में दिया जाता है तो यहां के सम्माननीय सदस्य, मंत्रीगण सब इस बातको अच्छी तरह जानते हैं और मैं कह सकता हूं कि यह आवाज यहां पर उठाई जायगी कि यह फण्डामेंटल राइट्स हैं उनका हनन करते हुए, कुचलते हुए यदि ऐसा प्रावधान देदिया जायेगा तो वह घातक होगा। वह नहीं होना चाहिये।

उसको मद्देनजर रखते हुए स्वयं मंत्रीजी इस बातको देखें कि बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ आज पंचायतों के पंच और सरपंच चुन कर आते हैं और जो प्रक्रिया या प्रणाली आपने बनादी है उसको देखते हुए किस मेहनत और कितना पैसा खर्च करके वे आते हैं। उसके बाद में अगर इतना परिश्रम करने के बावजूद आपकी दृष्टि में यह आया कि अमुक आदमी ने बदमाशी की है, या उसके ऊपर आरोप लगा दिया या किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ अदालत में दावा कर दिया और वह मोरल टर्पीट्यूड में आता है तो उसको सस्पेंड कर देंगे। इस तरह का जो प्रावधान आप इसमें लाये हैं उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें।

मैं जहां तक समझ पाया हूं इस ऑर्डिनेन्स का उद्देश्य यह है कि जो मोरल टर्पीट्यूड या क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स जिसके खिलाफ कोई अदालत में चल रहा है तो उसको सस्पेंड कर सकेंगे। आपने बताया है कि कोई सरपंच आज उस पद पर नहीं है और उसने कोई एम्बेज़लमेंट किया है उस वक्त जब कि वह पद पर था उस वक्त आपने एक्शन नहीं लिया है उसके लिए है। मैं निवेदन करूंगा कि इसका सवाल नहीं उठता है। मैं समझता हूं कि आप अभी तक कार्यवाहियां उनके खिलाफ करते चले आ रहे हैं। किसी सरपंच ने पहले एम्बेज़लमेंट कर दिया था और उसके तहत आपने उसको डिबार कर दिया है। इसको लाने के बारे में आपने कहा है कि इसको इसलिए लाना पड़ा है कि पहले वाले प्रधान या पहले वाले सरपंच या पंचायत के पंच ने अपने पद के दौरान में गड़बड़ियां की हैं उसको सजा दें, इसलिए इसका लाया जा रहा हैं तो यह आर्ग्यूमेंट आपका बेसलेस हैं, क्योंकि इसके पहले भी आप ऐसे २ सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही कर चुके हैं जो कि आज सरपंच नहीं हैं। इसलिए यह कहना कि इसलिए यह प्रोविज़न ला रहे हैं, इसको मैं मान्यता नहीं देता।

दूसरा निवेदन यह करूंगा कि १७(४ए) में ऐसा है कि यह ऑलरेडी स्पष्ट है पंचायत एक्ट में। वह साफ तौर से कहता है कि कोई सरपंच या पंच जिसके खिलाफ राज्य सरकार की जांच चलेगी और जांच के दौरान में अगर वह समझते हैं कि इसने गड़बड़ियां की हैं या उससे अनियमितताएं हुई हैं तो उसको सस्पेंड कर सकेगी। जब ऐसा प्रावधान आपने पहले ही एक्ट में रख-रखा है तो

(श्री दिग्विजयसिंह)

समझ में नहीं आया कि फिर यह क्यों लाया जारहा है ? आपने लिखा है।

"(4A) The State Government may suspend any Panch, Sarpanch or Up-Sarpanch against whom an enquiry has been started under sub-section (4) or the proviso thereto, or against whom any criminal proceeding in regard to an offence involving moral turpitude is pending trial in a court of law, and debar him from taking part in any act or proceeding of the Panchayat while under such suspension."

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि क्रिमिनल नेचर का यह मामला ले लें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का कोई केस उसके खिलाफ अगर कोर्ट में पेंडिंग है, माना हमने, तो मैं समझता हूं कि पहले आप ही अपना निर्णय दे दें और पंचायत का कार्य नहीं करने दें तो यह उचित नहीं है, क्योंकि यदि विधान सभा में कोई कार्यवाही होती है और वह मामला कोर्ट में चल रहा है तो कहा जाता है कि यह मामला सबजुडिस मामला है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कोई सबजुडिस मामला है उसमें आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं, और हस्तक्षेप करके डिबार करना चाहते हैं पंचायत की प्रोसिडिंग में भाग लेने से। तो कैसे आप कान्ट्रेरी टु लॉ एक्ट कर रहे हैं, यह आप खुद विचार करें ? जब यह बात है कि क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स के लिए कोर्ट आफ लॉ में केस मूव कर दिया गया, और कोर्ट ऑफ लॉ में वह केस चल रहा है और बाकायदा प्रोसिडिंग्स और एवीडेन्सेज हो रही हैं तो उसके बीच के अन्दर ही आपने खुद के दृष्टिकोण से यह समझ कर कि इसके खिलाफ मोरल टर्पीट्यूड या क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स चल रही हैं इसलिए सस्पेन्ड करते हैं लेकिन आपका मामला सबजुडिस है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पर सबजुडिस मामला है तो उसको डिबार कैसे कर सकते हैं या सस्पेन्ड कैसे करेंगे, यह समझ में नहीं आया। अगर आप करना चाहते हैं तो इन्डाइरेक्टली कोर्ट का इन्फ्लूएन्स करना चाहते हैं कि हमारी समझ में मोरल टर्पीट्यूड में आता है इस लिए आप भी इसके खिलाफ कार्यवाही करें।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो मोरल टर्पीट्यूड का आपने लिखा है वह मोरल टर्पीट्यूड एक वेग् टर्म है। उसको डिफाइन अवश्य करें कि मोरल टर्पीट्यूड में और क्रिमिनल ऑफेन्स में कौन कौन सी बातें आयेंगी की अमुक बातें सरपंच या पंच करेगा तो वह मोरल टर्पीट्यूड में आयेगी या ये एक्शन उनके मोरल टर्पीट्यूड समझे जायेंगे। तो आप अगर इसको क्लेरिफाई करदें तो ठीक हो सकता है, बजाय इसके कि एक वेग् टर्म दे दें जिसके मातहत जिसको आप चाहें और जिस समय चाहे परेशान करने की दृष्टि से या हटाने की दृष्टि से उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं। इसका उदाहरण तो यह है कि अभी हाल में ही थोड़े दिन पहले यहां एक सरपंच का जिक्र हुआ था जिस बेचारे ने एक माननीय

(श्री दिग्विजयसिंह)

विधायक को यह प्रमाणित करके दे दिया कि अमुक आदमी मर गये। उससे जबरदस्ती दबाकर लिखा लिया गया है कि किसी के कहने से उसने यह बात लिखी थी। उसके ऊपर प्रेशर डाला गया और उस प्रेशर की वजह से उसने लिख कर दे दिया है। इस बात के लिए मुझे निश्चित जानकारी है कि आप उस पर केस इन्स्टीटयूट करेंगे कि उसने झूठा प्रमाण-पत्र दिया है और यह मोरल टर्पीट्यूड की परिभाषा में आता है इसलिए तुमको सस्पेन्ड किया जाता है और तावक्ते सस्पेन्शन पचायत की प्रोसीडिंग्ज़ में भाग लेने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि कहीं आपने इसको डिफाइन नहीं किया है कि मोरल टर्पीट्युड किसको कहेंगे और जिस तरह से आप चाहेंगे उसको मोड़ लेंगे। यह आवश्यक है इसलिए कि आप मोरल टर्पीट्यूड को डिफाइन करें कि मोरल टर्पीट्यूड में कौन-कौन से ऑफेन्सेज आयेंगे और क्रिमीनल प्रोसीडिंग्ज़ में कौन-कौन से आयेंगे। इसलिए मोरल टर्पीट्यूड को डिफाइन करना परमावश्यक है। इस तरह के प्रावधान आप लाते हैं तो इस प्रकार से उन लोगों को परेशान करने के लिए आपने किया है। उसको देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो ऑर्डिनेन्स है, इस पर आप पुन: विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक निवेदन यह और अर्ज करना है कि ट्रान्सफर्स के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने पॉवर्स लिये हैं। पंचायत मंत्रीजी, अगर आप देखेंगे कि आपकी जो सादिकअली की रिपोर्ट थी पंचायतों के सम्बन्ध में तो उन्होंने साफ कहा है कि पॉवर्स को डिसेन्ट्रलाइज़ करना है, लेकिन आज इस एक्ट के द्वारा पंचायत मंत्री महोदय वापिस पॉवर्स को सेन्ट्रलाइज़ करने की बात करते हैं और इसी दृष्टि से यह ऑर्डिनेन्स हमारे सामने आये हैं। जहां हम एक तरफ यह बात कहते हैं कि अधिक से अधिक शक्ति पंचायतों में जाना चाहिए वहां आप उस शक्ति को वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ट्रान्सफर के मसले पर एक्ट में साफ प्रावधान है कि डिस्ट्रिक्ट के अन्दर दो पंचायत समितियें आपस में किसी व्यक्ति के बारे में म्युचुअली एग्री करती हैं तो उसका ट्रान्सफर जिला परिषद् कर देगी, और बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट में ट्रान्सफर की बात हो तो दो जिला परिषदों के प्रमुख आपस में निर्णय लेकर करलें और वह राजी हो जायें तो ट्रान्सफर हो जायेगा। वे पॉवर्स ऑलरेडी हैं। इस पॉवर को अपने हाथ में किस दृष्टि से आप लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं? यह मैं नहीं जानता कि क्योंकि मैं आपके मन की इच्छा, आपके मन की भावना नहीं कह सकता कि किस दृष्टि से आप यह करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन को आप वापिस सेन्ट्रेलाइज़ करना चाहते हैं। यह जो आपकी नियत है वह इस ऑर्डिनेन्स से स्पष्ट है।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि ऑर्डिनेन्स में लिखा गया है कि २२ तारीख, तो यह बहुत ही गलत था। ऐसे ऑर्डिनेन्स के द्वारा अगर आप प्रजातन्त्र के अधिकारों और विधान सभा के अधिकारों की मर्यादाओं को नष्ट करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। मुझे जहां तक जानकारी मिली है इस सम्बन्ध में मत्री महोदय कहेंगे कि

(श्री दिग्विजयसिंह)

मेरे पास पार्लियामेंट के एक मेम्बर का पत्र आया था उस पत्र की वजह से जांच कराकर हमने यह कहा कि किसी मेम्बर को ओथ लेने की आवश्यकता नहीं है। जब ओथ लेने की आवश्यकता का प्रावधान पहले नहीं था तो मेरे खुद के समझ में नहीं आया कि बीच में कैसे यह प्रोवीज़न लगा दिया कि एम० एल० ए० को भी ओथ लेनी पड़ेगी और ओथ लेने के बाद ही उनको राइट ऑफ वोट मिलेगा वहां पर।

आज एक दम बीच में यह बात कैसे आई जब कि सरकार ने यह बात मानी थी कि ओथ लेना परमआवश्यक है तभी उसको वोटिंग राइट होगा, लेकिन आज इस सरकार ने निर्णय ले लिया कि ओथ लेवें, नहीं लेवें by virtue of his being a member of Assembly or Parliament he is entitled to vote. यह नीति बजाय सरकार के व्यक्ति के साथ बदलती है, यह समझ में नहीं आया। इसके साथ साथ आप कृपया यह बतावें कि वह पत्र कब लिखा गया और जिसके कारण आपको यह करना पड़ा। सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं निवेदन करके पंचायत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जनतंत्र प्रणाली के बड़े हामी हैं और वे इन पंचायतों को अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं साथ ही साथ यह निवेदन करूंगा कि सरपंच और पंचों के साथ इस प्रकार का प्रावधान रखा हुआ है कि चाहे जब उनको हटा दो यह उचित नहीं है। जैसी आपकी विचार-धारा है और जैसा आपका विशाल हृदय है उसको मद्दे-नजर रखते हुए पंच और सरपंचों को काम करने की ज्यादा लिबर्टी देंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा बजाय इसके कि इसके जरिये उनको संकुचित विचारधारा में बांध दोगे तो उनको राइट ऑफ फ्री विल नहीं होगी। क्योंकि आप कभी उद्घाटन करने जायेंगे तो कोई पंच या सरपंच हिम्मत नहीं करेगा कि आपको वहाँ की सही हालत बतावे। यदि उसने कभी आपका विरोध किया तो फौरन उसके खिलाफ मोरल टर्पीट्यूड तैयार है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस पर विचार करे। मंत्री महोदय खुद ही इसको विदड्रॉ कर लेंगे तो यह उनका बहुत बड़ा क़दम होगा और उसके लिए मैं ही नहीं बल्कि पंच और सरपंच हज़ारों की संख्या में आपको शुभकामनाएं देंगे और कहेंगे कि वास्तव में प्रजातन्त्र की रक्षा करने वाले मन्त्री अब बने हैं, नहीं तो वे लोग आपको बददुआ देंगे और कहेंगे कि यदि किसी ने डुबाया है तो आप ही ने डुबाया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको अस्वीकार करें।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी, आप कई बार खड़े हो गये हैं; लेकिन आप भाषण छोटा ही दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने ऑर्डिनेन्स रखा उसकी जरूरत तो बहुत थी लेकिन उसमें भी दो-तीन बातों की कमी रखदी। एक तो न्याय पंचायतों पर भी इसको लागू करना था। जैसे पंच, सरपंच, प्रधान और उप-प्रधान पर पाबन्दी लगाई है उसी तरह की पाबन्दी न्याय पंचायतों के अध्यक्ष और मैंबर्स पर भी लगानी चाहिये थी। क्योंकि, सभापति महोदय, जैसा

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

राजस्थान सरकार ने सोचा था उस तरह से पंचायतें आज नहीं चल रही हैं इसलिये इस संशोधन को लाकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। विधान सभा के सदस्य यहां बैठे हैं। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तब वे हमसे पूछते हैं विधान सभा में कोई गलत बात हो जाती है। उसके बारे में जब हम चुनाव के समय या और समय गांवों में जाते हैं तब वे हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया ? पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान इस तरह के बने हुए हैं भले ही वे अपोजिशन के सदस्य हों या गवर्नमेन्ट पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी या दूसरी पार्टी के हों विधान सभा में कोई कार्यवाही होती है तो उसका असर सभी सदस्यों पर पड़ता है। जब यह पंचायत बिल सिलेक्ट कमेटी के पास गया था तब मैं भी उसका मेम्बर था और मैंने इस बात का विरोध किया था कि पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान को पॉवर्स इतनी ज्यादा न दी जावें क्योंकि मेरा विरोध इस बात के कारण था कि इनको पॉवर्स अधिक देने से आपस में वैमनस्य की भावना फैलेगी और लोगों को दिक्कत व परेशानी होगी और पैसे का अनापशनाप दुरुपयोग होगा उस समय मेरी यह भावना थी। आज यह ऑर्डिनेन्स लाने पर मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। पहले जो लोगों का मोरल गिरा दिया था उसको इसके जरिये और ऊंचा राजस्थान सरकार करेगी। क्योंकि, माननीय सभापतिजी, जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा था कि लोगों के खिलाफ इन्क्वायरीज बरसों तक पैन्डिग रहती हैं, मैं भी इससे परेशान हूं क्योंकि ६-७ वर्ष तक इन्क्वायरी पूरी नहीं होती है और जिन लोगों ने पैसा खाया वे दुबारा तिबारा पंच, सरपंच बन जाते हैं। अगर एम०एल०ए० और पार्लियामेन्ट के सदस्य इस तरह का काम करते हैं तो उनका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाता है इसलिये पंच, सरपंचों के लिये जो ऑर्डिनेन्स निकाला गया वह निकालना ही चाहिये था लेकिन इसमें जो कमियें रख दी हैं वे पूरी होनी चाहियें। यह एक्ट रात को १२ बजे पास हुआ था उस समय जब लोगों को नींद आ रही थी, मेम्बरों ने खाना नहीं खाया था। रात को १२ बजे सरकार ने जैसा चाहा वैसा पास हो गया, माननीय सदस्यों ने विशेष दिलचस्पी इसमें नहीं ली। इसलिये इसमें कमियां रह गईं। उनको दूर करने के लिये इस तरह का ऑर्डिनेन्स न्याय पंचायतों के लिये भी निकालना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में जो ग्राम सेवक हैं वे वहां पर पांच-पांच, सात-सात साल से काम कर रहे हैं। उनके पास वहां पर जो क्वार्टर हैं उनके पैसे तव दे दिये हैं लेकिन एक के बाद जब दूसरे पंचायत समिति के प्रधान आते हैं तब इनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। इसी तरह की बात सभी सेन्टर्स पर है। इस तरह से उनका ट्रान्सफर नहीं होना चाहिये। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि जिन-जिन बातों की कमी एक्ट में रह गई हैं उन बातों की पूर्ति के लिये भी संशोधन लाने चाहिये।

इसी तरह से कोई पंचायत समिति के मेम्बर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष के लिये खडे होकर चुन लिये जाने पर वे पंचायत समिति के सदस्य बन जाते हैं और न्याय पंचायत के भी मेम्बर बन जाते हैं इसके लिये भी

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

प्रावधान लाना चाहिये। इस तरह से इसमें जो कमियां हैं उनको जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक सच्चे माने में पंचायती राज नहीं होगा। पंचायत राज का मतलब यह था कि सारे पॉवर्स पंचायतों को दे दिये जावें और उनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जावे। दुरुपयोग को रोकने के लिये इसमें संशोधन लाने चाहिये।

(कुछ सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

मैंने अभी तक समाप्त नहीं किया है। मेरी पूरी बात तो सुनलें।

श्री सभापति : ये माननीय सदस्य वैसे ही खड़े हो गये, आप जल्दी ही समाप्त करिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी: जल्दी ही समाप्त करूंगा लेकिन पूरी बात तो बता दूं।

जब एक बार कोई एम० एल० ए० हाउस में शपथ ले लेता है और सारे राजस्थान के लिए कानून बनाने में वह भाग लेता है उसी तरह से कोई मेम्बर पार्लियामेंट में शपथ ले लेता है और सारे हिन्दुस्तान के लिए कानून बनाने में भाग लेता है तो उसको बार-बार पंचायत समितियों में और जिला परिषद् में शपथ लेने की क्या जरूरत है ? पंचायत समिति में भी शपथ लें, जिला परिषद् में भी शपथ लें इसकी क्या जरूरत है ? जब एक बार उसने धर्म उठा लिया तो बार-बार क्या धर्म उठाना ? सही आदमी होगा तो एक बार धर्म उठाना ही उसके लिए काफी है और वह सदा उसका पालन करेगा, वर्ना बार-बार धर्म उठाने पर भी कुछ नहीं होगा....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): बात तो आपने पते की कही।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त): हाड़ोहाड़ बैठ गई इनके।

(२ म० प०)

श्री मुक्तिलाल मोदी: अगर इस एक्ट में कोई कमी थी और उसको सरकार ने ऑर्डिनेन्स के द्वारा ठीक कर दिया है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं कर रही है सरकार क्योंकि एम० एल० ए० या पार्लियामेन्ट के मेम्बर, जब हाउस के अन्दर एक बार चुन कर आते हैं, ने शपथ उठाली और उस शपथ का पालन किया तब तो उसने सारी जगह शपथ का पालन किया, और अगर उस शपथ का यहां पालन नहीं किया तो फिर सारी जगह शपथ का पालन नहीं होगा। इसलिए बार-बार शपथ लेना मैं उचित नहीं मानता हूं। एक ही शपथ काफी है। माननीय सभापति जी, इसलिए जो सरकार ने ऑर्डिनेन्स निकाला है वह उचित निकाला है।

दूसरे जो ट्रांसफर की बात है, माननीय सभापति जी, पंचायत समिति में लिख देते हैं एक फरमान और जिला परिषद् में भी लिख देते हैं एक फरमान, और एक स्टेंडिंग कमेटी भी होती है—इस सबके बावजूद मास्टरों का एक तरह खेल बना रखा है इस राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार के सामने हम बार-बार चिल्लाते हैं और इस हाउस के अन्दर कहते हैं कि अगर नींव खराब होगी तो मकान साला कैसे ठहरेगा......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मकान साला कैसे होता है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी: मैं कह रहा हूं कि नींव खराब होगी तो मकान कैसे ठहरेगा।

श्री चन्दनमल बैद: जिसकी शादी होगी, उसी के साला होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी: और अगर नींव ठीक नहीं होती है तो मकान ढह जाता है।

तो, माननीय सभापतिजी, पंचायत समिति के अन्दर जो मास्टर हैं वह एक नींव की तरह हैं और उनके पास में जो छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं, कोई चार वर्ष का है, पांच वर्ष का है, छः वर्ष का है, सात वर्ष का है—इन बच्चों के दिमाग के अन्दर जो अच्छी २ बात डाल देंगे तो वह बात हमेशा के लिए उनके दिमाग में रहेगी। और अगर इस वक्त कोई खराब बात उनके दिमाग में डाल दें तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए खराब बात रहेगी। माननीय सभापतिजी, आप दुनियां के दूसरे कोनों में जाकर देखिये, आज प्राइमरी स्कूलों के ऊपर वहाँ की सरकार कितना रुपया खर्च करती है, किस तरह उन बच्चों का पालन करती है, किस तरह उनको खाना खिलाती है, किस तरह उनको पानी पिलाती है, किस तरह उनको कपड़े पहनाती है और किस तरह से उनको रखती है। आज राजस्थान के अन्दर इन प्राइमरी स्कूलों को पंचायत समितियों को देने के बाद राजस्थान के अन्दर पैदा होने वाले लड़के हैं, जो आगे बढ़ने वाले लड़के हैं, जो आगे पढ़ने वाले लड़के हैं उनको राजस्थान सरकार नीचे गिरा रही है, उनके स्तर को नीचा कर रही है। आज प्राइमरी स्कूलों के अन्दर जो लड़के पढ़ते हैं उनमें पढ़ाने वाले मास्टरों के दिमाग में जिस तरह की बातें होंगी उसी तरह की बातें उन लड़कों के दिमाग में बैठेंगी और वही चीजें आगे चलकर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज के अन्दर पढ़ने के वक्त तक रहेंगी। तो माननीय सभापतिजी, आज प्राइमरी स्कूलों को राजस्थान सरकार को अपने नीचे लेना चाहिये।

मैं यह मानकर चलता हूं, सभापतिजी, कि तब ही जाकर इस सरकार की उन्नति होगी, इस हाउस के अन्दर बैठने वाले लोगों की उन्नति होगी और इस हाउस के अन्दर कानून बनाने वाले लोगों की उन्नति होगी। ठीक है, अपोजीशन के लोग भी बहुत सारी बातें कहते हैं परन्तु वह यदि सही बातें कहें—आज जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग काफी गलती करते हैं, आप लोग गलती करें, कोई करे—लेकिन चुनाव के लिए अगर सरकार और इधर बैठने वाले लोग अच्छा कानून बनाते हैं और अच्छी चीजें करते हैं तो उससे हमारी और आपकी उन्नति हो सकती है।

आज कानून इधर बैठने वाले लोग बनाते हैं और वह सारे हिन्दुस्तान की सरकार को चलाते हैं। वह भी सोचते हैं कि जनता के सामने जाकर हम कोई अच्छी चीज कहेंगे तब जाकर हमारा नाम होगा, तब जाकर हम चुनाव के अन्दर जीतेंगे, और तब जाकर चुनाव के अन्दर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो, माननीय सभापतिजी, हिन्दुस्तान के अन्दर कई मंत्री हार गये, कई

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

एम० एल० ए० हार गये, कई पार्लियामेंट के मेम्बर हार गये—वह हारते हैं और चले जाते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने जब यह देखा कि पंचायत राज्य के अन्दर कमियां हैं, इस पंचायत राज्य के अन्दर जो सरपंच हैं, पंच हैं, प्रधान हैं और उप-प्रधान हैं उन्होंने पिछले इन छ. सात सालों के अन्दर काफी नाजायज फायदे उठाये हैं और इन लोगों ने नाजायज तरीके से पंचायत राज्य को काम में लिया है—तो उसके लिए आर्डिनेन्स निकालना इस सरकार का काम था, और उसको ऑर्डिनेन्स निकालने चाहिए। अगर ऑर्डिनेन्स नहीं निकालती है। अगर नहीं बनाती है सरकार तो क्या होता? आज आप और हम-सब-लोग चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं पांच साल के बाद, तो उनके सामने यह जाकर कैसे कह सकते थे कि आपका कर्त्तव्य यह है कि जो कोई भी सरपंच है वह आपका और हमारा है और जो कोई भी काम करना है वह काम अपना कह कर करो। माननीय सभापतिजी, मेरा यह कहना है कि जो ट्रान्सफर की पॉवर्स सरकार ने दी हैं, मैं मान कर चलता हूं कि माननीय मंत्रीजी तब तक प्राइमरी स्कूलों को सरकार के अन्डर में नहीं लेंगे, तब तक मैं समझूंगा कि, मैं माननीय मंत्री के लिए यह समझूंगा कि पंचायत मिनिस्टर बनने के बाद में इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ और राजस्थान के बच्चों के साथ, जो आगे पढ़ कर राजस्थान की उन्नति करने वाले हैं, एक बुरा काम किया है, न कि कोई भला काम किया है ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह दिखावटी विरोध है।

श्री मुक्तिलाल मोदी: मैंने इस बात का बराबर विरोध किया है।

श्री सभापति: मोदी जी, इधर बोलियेगा!

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): इधर तो बोलें, लेकिन इन दोनों को अलग अलग कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी: मेरे जो जंचता है वह बोलता हूं। अगर कोई गलत बात कहूं तो कह दो!

श्री सभापति: बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी: माननीय सभापति जी, यह चीज गलत है, अगर माननीय सदस्य यह कहते हैं तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं, मैं उनको प्राइमरी स्कूल दिखाने को तैयार हूं—कहीं पर मास्टर नहीं मिलेगा तो कहीं पर लड़के नहीं मिलेंगे—और वह स्कूल चल रहे हैं। कहीं कहीं पर दो-चार लड़के हैं और उन पर सरकार के द्वारा अनाप-शनाप खर्च हो रहा है। जो वहां पर एस० डी० आई० है वह प्रधान के नीचे रहता है। वह बेचारा क्या करे, उसकी रिपोर्ट लिखता है प्रधान। तो मेरा कहना है कि आप भले ही कुछ कहें लेकिन मेरी आत्मा सरकार के जिस काम को गलत काम समझती है वह मैं कहूंगा—भले ही वह आपके लिए गलत न हो, सही हो। माननीय सभापतिजी, अगर सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है, आज हम लोग जो इस हाउस के अन्दर बैठने वाले हैं, वे सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो मैं यह मान कर चलता हूं कि हम हमारे खून का दुरुपयोग करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

क्षेत्र के अन्दर जो ट्रान्सफर की पॉवर्स ली है वे अवश्य लेनी चाहिए क्योंकि वे उसका दुरुपयोग कर रहे थे। वैसे प्रधान और प्रमुख की कमेटी बनी हुई थी लेकिन उसमें प्रॉवीजन था कि प्रधान सिफारिश करदे तो उसको मानना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी ने जो इस तरह किया कि ट्रान्सफर की पॉवर्स ली—वह अच्छा किया है।

. मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं दो-तीन बातें और बताना चाहता हूं, और काफी बातें मुझे याद नहीं हैं......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): बाद कर लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी: इस एक्ट के अन्दर काफी कमियां हैं; काफी कमियां हैं और उन कमियों को इस एक्ट के अन्दर ठीक करना चाहिए और उसके लिए दूसरे ऑर्डिनेन्स की जरूरत हो तो वह भी बनाना चाहिए।

न्याय पंचायत के लिए कहा, उसके लिए भी सरकार को ऑर्डिनेन्स बनाना चाहिए। और दूसरे मैंने कहा कि जो गावों के अन्दर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स हैं और सब-सैन्टर्स हैं और प्राइमरी स्कूल की पॉवर पंचायत समिति को दे रखी हैं वह भी ऑर्डिनेन्स के द्वारा लेनी चाहिए। और जो पंचायत में कमी है या जिला परिषद में कमी हैं या पंचायत समिति में कमी है इसके लिए भी ऑर्डिनेन्स लाना चाहिए। इस तरह से और भी जो चीजें हैं उनको ऑर्डिनेन्स के द्वारा ठीक करना चाहिए। एक जो मैंने एस० डी० आई० के लिए कहा कि उसकी रिपोर्ट प्रधान के द्वारा लिखने की पॉवर दी है वह भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एस० डी० आई० शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टर के नीचे है तो इन्सपेक्टर को उसकी रिपोर्ट लिखने की पॉवर देनी चाहिए और भले ही पंचायत मंत्री उसकी रिपोर्ट मंगाये तो भी इन्सपेक्टर के द्वारा मंगानी चाहिए। लेकिन इन्सपेक्टर कभी एस० डी० आई० के लिए कुछ नहीं बोलता है, कभी उन स्कूलों में जाकर देखता नहीं है और कभी उनको सम्भालता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, जो आज पंचायत मंत्री हैं, वह जब पंचायत मंत्री नहीं बने थे, उसके पहले की प्रोसीडिंग्ज भी आप उठा कर देख लीजिये, जैसा ज्वालाप्रसादजी ने कहा, वह बात नहीं है। मैं बार-बार चिल्लाता रहा हूं। मेरे तो कोई लड़का-बड़का नहीं है, आप लोगों के ही हैं और आप लोग......

श्री भैरोंसिंह: आपके बीबी तो है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आपके बीबी है, बच्चे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी: मेरे तो बीबी और बच्चा कोई नहीं है। आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरे बच्चे हो और आप ही.......

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त): आप भी मेरे बेटे हो।

श्री मुक्तिलाल मोदी: मेरा कहना है, माननीय सभापतिजी, पंचायत राज्य से कम से कम प्राइमरी स्कूलों को सरकार को ले लेना चाहिए। यह मेरा माननीय मंत्री से कहना है कि इस पंचायत एक्ट के अन्दर काफी कमियां हैं, उनको आप ऑर्डिनेन्स

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

लाकर दूर करें और राजस्थान के अन्दर जो पंचायत राज बनने के बाद, एक्ट बनने के बाद सरकार दिन पर दिन बदनाम होती जा रही है उसकी इस बदनामी को दूर करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय......

श्री सभापति : आप किस पर बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं ऑर्डिनेन्स पर बोलूंगा।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला बोल लें, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, यह वर्ष ऑर्डिनेन्स का वर्ष रहा है और मैं समझता हूं कि बहुत से मिनिस्टरों ने एक-एक ऑर्डिनेन्स अपनी इच्छा से बगैर किसी आधार के निकालने का प्रयास किया है और इसी कारण इस वर्ष हमारे विधान सभा में इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिये थीं। सभापति महोदय, खास करके इस ऑर्डिनेन्स को लेकर जिस प्रकार इसका पहले विरोध हुआ, इस ऑर्डिनेन्स को निकालने के पूर्व भी माननीय पंचायत मंत्री के सामने एक डेप्यूटेशन गया था और राज्यपाल महोदय के सामने भी डेप्यूटेशन गया और इस ऑर्डिनेन्स को निकालने का कारण जानना चाहा कि इसके लिये कौनसा आधार था जिसके लिये यह छोटे से ऑर्डिनेन्स को निकालने की आवश्यकता पड़ी। मगर अफसोस है कि विरोधी पार्टी के लोगों ने प्रजातन्त्र के युग में शासन करने वाली पार्टी से इसको निकालने का आधार जानने के लिये जो जो कदम उठाये और प्रजातन्त्र के आधार पर, उन कदमों की तरफ राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और न राज्यपाल महोदय ने कुछ ध्यान दिया। मैं समझता हूं कि जब एक डेप्यूटेशन जब उनके पास ज्ञापन लेकर गया था उस वक्त यह जरूरी होता है कि विरोधी दल के लोगों को स्पष्ट करते कि कौनसा आधार था जिसके कारण यह ऑर्डिनेन्स लाया गया। मगर अफसोस है कि इस प्रजातन्त्र में प्रजातन्त्रीय तरीकों पर उठाये हुए कदमों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और प्रजातन्त्र की हत्या की गई। जब पंचायत मंत्रीजी को यह मालूम है कि इससे जनता में असंतोष है और वह इस बात पर कि यह व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिये लाया गया है। किसी ने पत्र लिखा और उसके आधार पर यह आधार बनाया गया कि किसी खास प्रमुख को हटाने के लिये इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लाया जाय। जब तक यह ऑर्डिनेन्स नहीं निकलता उसको हटाया नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूं कि पंचायत समिति मिनिस्टर जो दरअसल प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, जिन्होंने यह आवाज उठाई कि यह ऑर्डिनेन्स दामोदरलाल व्यास के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिये लाया गया है। उस समय जब हम ज्ञापन लेकर गये थे उस समय हमें इसके लिये संतुष्ट किया जाता, मगर अफसोस इस बात का है कि उस समय हमें संतुष्ट नहीं किया गया। हम चीफ मिनिस्टर के पास गये मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसलिये जब राज्यपाल महोदय, यहां भाषण

(श्री विजयसिंह झाला)

देने आये उस वक्त उसके विरूद्ध आवाज उठाई गई और वह सारी अप्रिय घटना हुई।

यह शुरू क्यों हुआ? यह सारा डेकोरम विधान सभा में कायम रखने की सारी जिम्मेदारी विरोधी दल पर नहीं डाली जा सकती है। मैं समझता हूं कि विधान सभा में अनुशासन रखने की दृष्टि से यह अच्छी बात नहीं थी, मगर विरोधी दल की तरफ से जो आवाज़ उठाई गई थी, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया था, क्या उसको सही रूप से आप नहीं बता सकते थे? क्या दामोदरलालजी पंचायत मंत्री जनता में नहीं बता सकते थे, और अगर उस समय बता देते तो यह विधान सभा में यह अप्रिय घटना और हंगामा हुआ नहीं होता और जिसके लिये राज्यपाल महोदय को इस प्रकार लज्जित होना पड़ा। यह सब इस ऑर्डिनेन्स की वजह से हुआ और राज्यपाल महोदय को लज्जित होना पड़ा और विरोधी दल के लोगों ने जो प्रजातन्त्र में कदम उठाये थे उन कदमों से भी आगे कुछ इस प्रकार के कदम उनको उठाने पड़े जो उनको नहीं उठाने चाहिये, और चूंकि उन्होंने उठाये उनको उसके दिये दंड मिला, और उनको इस सदन से निलम्बित होना पड़ा। मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायत मंत्री को भी निलम्बित कर देते जिन्होंने इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स निकाल कर लोगों को संतुष्ट नहीं किया। अगर ऐसा होता तो उनको भी बराबरी का दंड मिल जाता। मगर अफसोस है कि इसके लिये विरोधी दल को ही जिम्मेदार माना गया और उधर बैठने वालों में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली। इस प्रकार प्रजातन्त्र में ऑर्डिनेन्स निकले और उसकी सारी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष पर थोपी जाए, और जब ज्ञापन लेकर जायें तो उनको कोई जवाब नहीं दिया जाये, और उसकी वजह से राज्यपाल महोदय को लज्जित होना पड़े। और मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की हत्या हुई है और उस कारण इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हुईं जो पहले कभी नहीं हुईं और भविष्य में भी कभी नहीं होंगी। अतः जहाँ तक इस ऑर्डिनेन्स को स्वीकार करने का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको अस्वीकार किया जाए।

जहाँ तक इसमें दूसरी बातें हैं, मैं समझता हूं कि कोई एक भी ऐसा आधार नहीं है कि २२ जनवरी को आपने यह ऑर्डिनेन्स निकाला है जब कि फरवरी में असेम्बली का अधिवेशन होने वाला था। इसके लिये केवल एक ही आधार था और वह यह कि पंचायत मंत्री जिस जिला प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते थे उसमें दो वोटों की वृद्धि हो सकती है। इसके सिवाय दूसरा कोई भी आधार नहीं था जिससे यह ऑर्डिनेन्स लाया गया है।

जहां तक ट्रान्सफरों का प्रश्न था, मैं यह कहूंगा कि २२ जनवरी से लगाकर जब विधान सभा मीट हुई, आपने कितने ट्रान्सफरों को रोका जिसे किसी जिला प्रमुख या प्रधान ने किया हो उनकी इच्छा के विरूद्ध किया हो। मैं समझता हूं कि एक भी ट्रान्सफर की नौबत आज तक नहीं आई है। इसके बाद में आपने सरपंच,

(श्री विजयसिंह झाला)

उप-सरपंच, प्रधान आदि को सस्पेण्ड करने के पॉवर आपने लिये हैं। मैं समझता हूं कि सरपंच, उप-सरपंच या जिला प्रमुख आदि, जिस प्रकार की राजनैतिक कार्यवाही चल रही है, आप जिसे चाहें सस्पेन्ड इन पॉवर्स के अन्तर्गत कर सकते हैं, यह मैं मानता हूं और जब तक........

एक माननोय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घंटी)

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जिस जोम में पॉवर आप ले रहे हैं, उससे आपके व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति होगी।

(पुनः गण-पूरक घन्टी)

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : पंचायत राज्य खाली पड़ा है।

श्री विजयसिंह झाला : (गण पूर्ति के पश्चात पुनः) तो, सभापति महोदय, जो आपने प्रधान को सस्पेन्ड करने के पॉवर्स लिये हैं उसमें आपने ट्यून रखा है, आप कर सकेंगे। इसका मतलब यह कि जिसको सस्पेण्ड करने की आपकी इच्छा होगी आप उसको सस्पेन्ड करेंगे और जिसको नहीं करना होगा आप उसको सस्पेन्ड नहीं करेंगे। आप यह क्यों नहीं कहते कि जिसके खिलाफ इन्क्वायरी होगी उसको तुरन्त सस्पेन्ड कर देंगे। आपकी इच्छा होगी उसको आप सस्पेन्ड कर देंगे और आपकी इच्छा नहीं होगी उसको सस्पेन्ड नहीं करेंगे। इस प्रकार सही तरीके से प्रजातन्त्र नहीं चल सकता। प्रजातन्त्र जिसकी पवित्रता को हम मानते हैं मगर हम यह चाहते हैं कि राजनैतिक पार्टी बाजी पंचायतों में नहीं हो जो आप पंचायतों में लाद देना चाहते हैं। आप यह करदें कि जिसके खिलाफ इन्क्वायरी होगी उसका सस्पेन्ड कर दिया जावेगा। अन्यथा यह होगा कि मंत्री मंडल ने समझ लिया कि यह विरोधी पार्टी का है उसको सस्पेन्ड कर दिया जावेगा और दूसरी पार्टी का होगा उसको सस्पेन्ड नहीं किया जावेगा, क्योंकि यह उनकी इच्छा पर निर्भर है चाहे जिसको सस्पेन्ड करें और चाहे जिसको सस्पेन्ड न करें। आपने इसमें 'May' नहीं रखा है 'shall' रखा है। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप सही रूप से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये यह करते हैं तो उसको इन्क्वायरी होते ही सस्पेन्ड कर दिया जाना चाहिये ताकि सही इन्क्वायरी आपके सामने आए। मैं समझता हूं कि आपने ये पॉवर्स अपने हाथ में लिये हैं चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आप किसी को भी सस्पेन्ड इन्क्वायरी कोर्ट में चला कर कर सकते हैं। इसलिये मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि आप बिल सस्पेन्ड रख दें ताकि तुरन्त इन्क्वायरी शुरू हुई और आप उसको सस्पेन्ड कर देंगे।

इसके साथ ही साथ आपने ट्रान्सफर के पॉवर्स भी लिये हैं। सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि आज अध्यापकों के ट्रान्सफर्स के मामले में या पंचायत समितियों में जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके मामले में ट्रान्सफर को दबाने के एक प्रकार के हथियार के रूप में काम में लिया जा रहा है। अध्यापकों और कर्मचारियों को सरपंच और प्रधान के

(श्री विजयसिंह झाला)

दबाव में आकर उनकी इच्छानुसार कार्य करना पड़ता है, अगर ये लोग प्रधान की इच्छानुसार कार्य नहीं करते हैं, उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। क्यों नहीं यह सारा अधिकार एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट के हाथ में ही रख कर इस सारे झगड़े को समाप्त किया जाता ? इसी प्रकार का यह पावर आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि आप दरअसल सुधार लाने की दृष्टि से, पंचायती राज्य में सुधार लाने के दृष्टि से पंचायती राज को आगे बढ़ाने की भावना से बिल नहीं ला रहे हैं। आपका उद्देश्य यही था कि जिला प्रमुख को हटाया जाय। इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लाने के पीछे आपका एक मात्र यही आधार था और उसी आधार के कारण राज्यपाल को नीचे देखना पड़ा, विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। मंत्री महोदय अगर प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं तो जिस प्रकार स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना को लेकर रेल मंत्री के पद से स्तिफा देदिया था, तो यह तो सारी दुर्घटना आपके सामने हुई है। आपही इस सारी दुर्घटना के आधार थे। मैं इस सदन में एक मांग करना चाहूंगा और वह यह है कि यह सारी घटना इसी के लिये हुई थी। इसी ऑर्डिनेन्स के खिलाफ जिन्होंने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। एक डेपुटेशन पंचायत मंत्रीजी से मिला। इस सबसे कुछ नहीं हुआ तो राजस्थान विधान सभा में हंगामा हुआ। तो इस ऑर्डिनेन्स पारित करने से पहले, इस बिल को पास करने से पहले जिन माननीय सदस्यों को निष्कासित किया गया उनको वापिस बुलाया जाय, उनकी प्रजेन्स में इस बिल को पास करें और मन्त्री महोदय, अगर आप उनको वापिस नहीं बुलाना चाहते तो आप स्तिफा दे दें ... ..

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): क्यों ?

श्री विजयसिंह झाला : क्योंकि यह सारा झगड़ा इसी ऑर्डिनेन्स को लेकर हुआ था। इस ऑर्डिनेन्स के विरूद्ध जो असंतोष विरोधी दल के माननीय सदस्यों में था वे आपके पास गये उसी समय उनको संतोष करा देते...............

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : संतुष्ट कैसे कर देते ? आप जो कहें वही मान लेते।

श्री दामोदरलाल व्यास: : मेरे पास आये ही नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : ज्ञापन दिया था मन्त्री महोदय को...........

श्री ललितमोहन (गोगू दा-मु.) : माननीय सदस्य जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यह ऑर्डिनेन्स उन माननीय सदस्य के खिलाफ जारी किया गया जब की माननीय रामकिशनजी ने स्वयं ने यहाँ माना था कि मेरे खिलाफ यह ऑर्डिनेन्स नहीं जारी किया गया, आप उस दिन का अखबार देखिये।

श्री विजयसिंह झाला : आपको बोलने का अवसर मिले तब आप अपनी बात कहना। श्री रामकिशनजी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो यह कहता हूं

(श्री विजयसिंह झाला)

हूं कि जब ज्ञापन दिया गया था तो विरोधी दल को सतुष्ट करना चाहिये था। उनको संतुष्ट नहीं किया गया इससे मजबूर होकर उनको यह करना पड़ा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस ग्रॉडिनेन्स को (बिल को) पास करने से पूर्व उन निष्कासित सदस्यों को वापिस बुलाया जाय तो सही रूप में आप प्रजातन्त्र के साथ न्याय करेंगे, अन्यथा यह बिल प्रजातन्त्र का हत्यारा बिल कहा जायगा, राज्यपाल की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाले बिल कहा जायगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सभापति महोदय, यह ग्रॉडिनेन्स जो अब बिल की शकल में सदन के सामने है इसके बारे में मेरे जो विचार ग्रॉडिनेन्स के बारे में हैं वे तो हमेशा मैं सरकार के सामने रखता रहा हूं, और मेरी मान्यता यह है कि ग्रॉडिनेन्स उस जगह और स्थान पर व्यवस्था करने का नाम है जहां कि सरकार फेल हो रही हो, जहां सरकार चल नहीं सकती हो बगैर ग्रॉडिनेन्स के निकाले, ऐसी अचानक बात आ जाय तो हमारी सरकार को संविधान ने ताकत दी है कि उस चीज को ठीक कर दे, जिससे कि कोई अव्यवस्था नहीं हो। आज साधारणतौर पर इसको काम में लाना, मैं समझता हूं, गलत है। इसके साथही साथ कानून बनाने के लिये इस सदन को जहां अधिकार मिले हैं वहां और भी बात है, इस जनतन्त्र की सबसे बड़ी जान इसी में है कि जो कानून यहां से पास किये जाते हैं, उन कानूनों को लागू करने के बाद वे कानून किस प्रकार चल रहे हैं, उन कानूनों का असर आम जनता पर किस प्रकार पड़ रहा है, जिस मकसद से कानून बनाया गया, वह मकसद पूरा हो रहा है या नहीं, लागू होने के बाद वह कानून किस तरह से चल रहा है, क्या उसका असर है, यह सब देखना इस सदन के हर एक माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है। और यह सब देखने के बाद जो जो कमियां हों उन कमियों को इस सदन में लायें और इस पर भी सरकार नहीं माने तो अमेंडमेंट्स लाकर कानून में बदलावा लायें।

हम सब कोई कानून के पण्डित नहीं, क्योंकि यहां कानून बनाते हैं इसलिये कानून के पण्डित ही आयें तो विधान में इस प्रकार का प्रावधान होता कि जितने एम.एल.ए. आते हैं वे सब कानून के जानने वाले होने चाहिये, पर ऐसा प्रावधान नहीं है। जो कानून यहां बनता है, बन कर लागू होता तो उसके लागू होने से क्या खराबियां या अच्छाइयां पैदा होती हैं, जो मकसद कानून बनाने का था वह कानून को लागू करने के बाद पूरा हुआ या नहीं, आम जनता पर उसका क्या असर हुआ ? यह सब बातें देखना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इन सब मसलों को देख कर सरकार को राय दें और उन कानूनों में समय-समय पर आवश्यक सुधार किये जायें। पर सदन की मीटिंगें देरी में होती हैं, जल्दी जल्दी नहीं बुलाई जातीं क्योंकि एक वैधानिक कार्य को पूरा करना बिल्कुल मेण्डेटेरी हो तभी यह सदन बुलाया जाता है। मैं समझता हूं संविधान में यह धारा जोड़ दी जाय प्रोक्सी से वोट डाल दिये जायेंगे, जेब में रख कर वोट डाल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दिये जायेंगे तो फिर इस सदन को बुलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। विधान ने तो एक नेगेटिव बात कही है कि ६ महीने में तो जरूर बुलावें ही। इसका मतलब यह नहीं कि अब तो ६ महीने खत्म होने आरहे हैं, बजट आदि जरूरी चीजें पास कराना जरूरी हैं, इसलिये अब तो सदन को बुलाना ही पड़ेगा, अनिच्छा से सदन को बुलाया जाता है। तो यह जो अनिच्छा की स्प्रिट है इससे सरकार को ऊपर उठना चाहिये। सरकार की यह स्प्रिट होनी चाहिये कि सरकार खुद अपने ऑफिसर्स और सरकारी मशिनरी से यह जांच कराये कि जो कानून पास किये उनमें क्या २ दिक्कतें आरही हैं? उनकी खराबियों को दूर करके हम ठीक तरह से चलायें। इसके लिये जल्दी २ सदन को बुलाना चाहिये। नहीं तो यह तो एक कंकालमात्र है। कानून के पंडित एक कानून का मसविदा बना लायें, उसको यहां पेश कर दिया, मिनिस्टर इंचार्ज जैसे-तैसे समझा कर पास करादे, उसके बाद कोई गलतियां हों, हम रोयें, उसके बाद भी कुछ नहीं हो। हम तो कानून बनाने वाले हैं, तुम जानो और सरकार जाने, इस प्रकार सदन के सदस्य जनता को नहीं कह सकते। इसलिये यह आवश्यक है कि जल्दी २ सदन को बुलाया जाय।

जहां तक ऑर्डिनेंस का सवाल है, ऑर्डिनेन्स साधारणतया निकालने के मैं खिलाफ हूं। जब अत्यन्त आवश्यक हो, इसके सिवा और कोई चारा न हो, तभी ऑर्डिनेन्स निकालना चाहिये। सैन्ट्रल गवर्नमेण्ट जो हमारे देश का शासन चलाती है, जब सारी रेल्वे, पी०एन०टी० वालों ने कहा कि हम हड़ताल करेंगे, उनको समझाया गया, फिर भी नहीं समझे तो मजबूर होकर एक मर्तबा ऑर्डिनेन्स निकाला। पर हमारे यहां तो फीचर होगया है।

आप चाहें जब सदन को बुला सकते हैं, सदन हमेशा तैयार रहता है, पर सदन को बुलाने के बजाय एक शार्टकट निकाल दिया है कि ऑर्डिनेन्स बनादो। मैं समझता हूं कि इस बातको पहले भी सरकार ने माना है कि कमसे कम इसका उपयोग करना चाहिये और सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान देगी। इसके साथ अब मैं इस ऑर्डिनेन्स के विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

यह पंचायती राज क्या है? जहां तक सरकार का सवाल है, सारा देश इसके साथ है। हम भी मानते हैं कि गांव के स्तर पर किसी तरह की जनतांत्रिक व्यवस्था दें और इस सिद्धान्त के नाम पर क्या पगड़ी बांधी है, वह भी जाकर देखते हैं। जनतन्त्र का माना हुआ सिद्धान्त है कि चुनाव में जीता हुआ आदमी चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान या प्रमुख, वह कभी रुपये को नहीं देखता, रुपया कभी उसके हाथ में नहीं आता। आप करोड़ों-लाखों रुपया खर्च करते हैं, दामोदरलालजी क्या आपने कभी मेज पर रुपया देखा है? सिर्फ तनख्वाह का कभी नकद रुपया आपने देखा है? आपका पी०ए० जो आप के ड्यूज हैं वह आपसे दस्तखत लेकर देता है। आप सबको अनुदान देते हैं लेकिन कभी रुपये की शक्ल देखी? जो भी चुने हुए आदमी हों, चाहे नगरपालिका के या दूसरी जगह के, उनका नकद रुपये से वास्ता नहीं और न होना ही चाहिये।

इस देश के अन्दर मुख्यमन्त्री ने वायदा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

किया था जब सादिकअली रिपोर्ट आई तब उन्होंने कहा था कि क्योंकि चुनाव कराने हैं अभी तो पास करदें और जो सिफारिशें हैं उनको बाद में देखेंगे। उन सिफारिशों को सदन ने माना है, उसमें यह है कि चुने हुए आदमी के पास पैसा नहीं होना चाहिये, उसका हुक्म चलना चाहिये, उसका ऑडिट कराने वाले केवल नौकर होने चाहिये और बेईमानी होती है तो नौकर को निकालना चाहिये। उसके बजाय आपने घोड़े की सवारी कर रखी है। सरपंच को रुपये पकड़वा रखे हैं, उससे हिसाब मांगते हैं। आपकी यदि फाइल चली जाय तो कौन जिम्मेदार है? सैक्रेटरी अखबार लेजाता है। आप कस्टोडियन नहीं है रिकार्ड के, तो फिर कौनसा कानून पास कर लिया कि रिकार्ड का कस्टोडियन सरपंच होगा? कोई आदमी जन्म से बेई-मान नहीं होता। ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। आपने परिस्थितियां पैदा करदी हैं राजस्थान में इन सरपंचों को नकद रुपये देकर कि तुम खर्चा करो, अनुदान लो, लेबर लो और नौकर ने दो वाउचर्स गलत बना लिये तो कहते हैं कि गबन हुआ है। चुने हुए लोगों को सस्पेन्ड करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर सैक्रेटरी को तनख्वाह नहीं दे सकते तो चुने हुए आदमियों को जलील क्यों कर रहे हैं? उनको नकद रुपये पकड़वा कर कहते हो कि खर्चे का हिसाब रखना।

यह लोकल फण्ड ऑडिट कौनसी बला है? चुने हुए आदमियों पर लोकल फण्ड थोप रखा है, उनकी टांग क्यों फंसा रखी है? ये ऑडिटवाले जितने ठेके होते हैं उनके अन्दर उनकी दलाली होती है। वे नाजायज़ तरीके से सरपंचों को दबाते हैं। ऑडिट फण्ड वाले जाकर चुने हुए आदमियों को पकड़ते हैं और अकाउण्टेन्सी एक्ट में जांच करते हैं और उनको बेईमान बतलाते हैं; वे इनको डराते हैं, कहते हैं कि किताब फलानी जगह से खरीद कर लाओ। यह सब तमाशा राजस्थान के अन्दर चल रहा है। ये ऑडिटवाले किताबों और फाइलों को बगलों में लेकर चुनाओं के अन्दर दिखा कर कहते हैं कि इन रुपयों की तुमसे वसूली की जायगी, नहीं तो हम कहते हैं उनको वोट दे। सारे पंचायती राज का सत्यानाश कर रहे हैं। मुझे पिछले चुनावों का अनुभव है। आप कहते हैं कि आधा अनुदान देंगे, आधा लेबर गांववाले लगायेंगे, आधा पैसा सरपंच को पकड़वा देते हैं, गांव वालों से रुपया लेते हैं। उसके बाद ओवरसीयर कहता है ला मेरे लिये नहीं तो पी०डी०आर० के तहत तुमसे वसूली करवाऊंगा। क्योंकि वह जब तक नहीं लिखता कि इतने रुपये का काम होगा तब तक काम नहीं होता। क्या जांच है? मैं सबके लिये नहीं कहता। वे चुनावों के समय घूमते हैं और दबाते हैं कि पी०डी० आर० के तहत कुर्की करायेंगे। पहले चुनाव में जो सड़कों के काम थे वह आज तक नहीं हुए, ओवरसीयर ने खर्चा नहीं किया है, क्योंकि वह सरपंच को ही गले के अन्दर बंसी डाल कर मछली की तरह तड़फा रहा है और ऐसे पंचायती राज पर आप गौरव करना चाहते हैं!

आपने एक अमेंडमेंट किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। एक गांव के अन्दर अलॉटमेंट के लिये तहसीलदार जाता है और अलॉटमेंट के समय ६० सेक्शन के मुकद्दमे करने के लिये जाता है, तो क्या हाल होता है। तहसीलदार पूछता है कि वह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जमीन क्यों लेली ? वह कहता है जमीन मेरे पास नहीं थी इसलिये हमें एलॉट कीजाय। बहां किसानों की लूट शुरू होती है वहां अगर किसानों की रक्षा के लिये चुना हुआ आदमी या सरपंच पहुंचता है तो तहसीलदार कहता है नहीं। उस पर तहसीलदार रिपोर्ट करता है कि इन लोगों ने शराब पीकर अदालत नहीं करने दी। अगर ऐसा है तो कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकद्दमा क्यों नहीं चलाते हो ? आपका कलक्टर बगैर जानकारी के सरपंच और पंच को सस्पेन्ड कर देता है। क्या अधिकार है उनको सस्पेन्ड करने का ? अगर झगड़ा होता है तो सस्पेन्ड करने का अधिकार रखते हो। लेकिन तहसीलदार के ग्रेड का अधिकारी गलत रिपोर्ट करदे और उस पर आप एक्शन लें तो मुनासिब नहीं है। अगर वाकई केस बनता है तो कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाओ। लेकिन बंसी डालदी जुर्म होगया। जरा थोड़ा ही ऑफीसर नाराज हुआ तो चुने हुए आदमी को सस्पेन्ड कर दिया। मैंने मन्त्री महोदय से कहा, उन्होंने कहा सरपंच को नहीं किया जासकता, उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जासकता है। पंच को कलेक्टर कर सकता है, क्यों कर सकता है ? चुनाव का मतलब क्या है ? हम सही बात करने के लिये खड़े हों तो आप कहें कि खड़े क्यों हुए, फिर सस्पेन्ड कर दिया। जैसे तुम इलेक्टेड हो उसी तरह से उसी जनता से पंच और सरपंच इलेक्टेड हैं। उसके साथ इस तरह की बदतमीजी और बेइज्जती हमारे रुपये और टुकड़े खाकर चलने वाला नौकर चुने हुए आदमी के साथ करे और आपके पास कागज भी नहीं आयें और आप उसके बारे में सपोर्ट कर रहे हैं। वहां वह नहीं जासकती। खुली अदालत में कौन नहीं जा सकता ? उसको सस्पेन्ड कर दिया जाय यह कहां का न्याय है ?

मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूं मोरल टरपीट्यूड की बात हो। रजिस्ट्रेशन होजाय उसके बाद हो। किसी भले आदमी पर प्राइवेट कम्प्लेन्ट पर मुकद्दमा दर्ज होजाय। आपने इस बातको पास किया तो आप देखेंगे सरपंच, प्रधान, प्रमुखों के खिलाफ झूठे केसेज़ बनेंगे। उनको गिराने के लिये उनके खिलाफ झूठे मोरल टरपीट्यूड के केसेज बनेंगे। उसने इस लड़की को पकड़ लिया, ४०९ और ४०६ होगया। इस तरह प्राइवेट शिकायतें चलती रहेंगी और सस्पेन्शन चलते रहेंगे। मोरल टर्पीट्यूड और इलेक्टेड आदमी का क्या ताल्लुक ? लोगों ने सपोर्ट किया है, इलेक्ट किया है। आपको इसकी गहराई में जाने के लिये कहता हूं। आप इससे तो ऐसी स्थिति ऐसी भिखमंगाईयत फैलाना चाहते हैं कि जिससे इलेक्टेड इन्सटीट्यूशन्स बदनाम हों। मैं यह नहीं कहता कि डिस्क्रीशन सरकार के पास नहीं रहना चाहिये? लेकिन डिस्क्रीशन रोजाना काम में लेना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप की बात नहीं है। डिस्क्रीशन की बात है, दामोदरजी साहब ! राजस्थान इतना बढ़ा है, आपकी पर्सनली जानकारी नहीं होगी, चुने हुए लोगों की बेइज्जती की जावेगी आपके नौकरों के द्वारा। इसलिये इसका विरोध करता हूं। जहां माइनोरिटी और मेजोरिटी बनाने के लिये किन्हीं को जरूरत पड़ेगी और इस कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी तो हमारा सिर शर्म में नीचा होगा। मैं मानता हूं आप नयी बात नहीं लाये हैं। पॉवर ली है तो यह भी जानता हूं कि उसके पीछे आपकी बदनियत नहीं है। कानून में

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कोई खामी है उसको आपने दूर किया है, यह भी मैं जानता हूं। आपने इसको लॉजीकल बनाने के लिये किया है। मैं सपोर्ट कर सकता हूं। कानूनी जानकारी से यह बात ध्यान में आई। पहले हम चिल्लायें तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। चुने हुए लोगों को दुबारा कसमें दिलाने की जरूरत नहीं है। बाई वरच्यू है। उसको हटाने वाली बात नहीं थी, आपने किया, उसका स्वागत करता हूं।

लेकिन तीसरी बात कहना चाहता हूं। हम टैक्स लगायें जनता पर। हमसे टैक्स पास कराओ। हम क्रिटिसिज्म करें, आप माने नहीं। २० परसेन्ट से २५ परसेन्ट टैक्स का हमारे हाथ उठवा कर पास कराओ। लेकिन पैसा किसको बांटा ? प्रमुखजी के पास भेज दो, सरपंच के पास भेज दो। यह आपने एक मशीन बना रखी है। गोली चलायें हम जनता पर टैक्स लगाकर। करोड़ों रुपया इक्ट्ठा हो स्टेट एक्स्चेकर के लिये और आप बने हैं बीच में सर्वे-सर्वा बैठे, उनको बांट देते हों। सरकार टैक्स लगाये, हमसे हाथ ऊंचा करवालो, सारा रुपया इकट्ठा हो और उनको बांट दो। आज तो हम जिम्मेदार भी थे। हमारे आप चुने हुए हैं, आप खर्च करते थे, आप गलती भी करते थे तो हम मान लेते गबन हो जाता तो भी हम मान लेते। लेकिन आज इस पैंतरे से भी निकाल दिया। आपने इस सदन को मखौल बना दिया। फाइनेन्सेज हम इकट्ठा करें और और आप उनको दे देंगे वे फाइनेन्सेज जो वहां बैठे हैं। विकेन्द्रीकरण का मतलब यह नहीं है। चाहें दुनियां में कहीं भी देख लीजिये म्युनिसिपेलिटीज हैं, एक ही सिद्धान्त है, जो माना हुआ है कि डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्युशन्स कायम करते हैं तो उनके रिसोर्सेज देखिये। आप पूरा का पूरा रेवेन्यू उनको दे दीजिये, और कोई टैक्सेज लगाने कि ताकत उनको दे दें, वे कोई विकास का और भलाई का काम करें और अनुदान की आवश्यकता हो तो आप उनको दे दें, हम इसकी ताईद करेंगे उनकी फाइनेन्सेज को सपोर्ट करने के लिये, लेकिन इस प्रकार हमसे टैक्स लगवा कर, सारा का सारा रुपया इकट्ठा कर दिया। और फिर चुने हुए लोगों को कहते हैं इन पंचायतों के जरिये कि बीज बांट दो, यह कर दो वह कर दो। वह कहती हैं, यह करते हैं, वह करते हैं। रुपया इकट्ठा करते हैं, कोआॅपरेटिव खा जाती है, बेईमानों को पकड़ने के लिये आप बैठे हैं, वह पकड़ा जाय तो वह निकल जाय और वह निकल जाय तो वह पकड़ा जाय। आपकी स्थिति यह है कि 'अंधी पीसे और कुत्ता खाये'। टैक्स लगाते हैं। "अंधी पीसती है और कुत्ता खा जाता है"। पता ही नहीं है। कोई वाइन्डिग अप हुआ है ? आपने चीज दी, रियेलाइज नहीं हुई, कोई रियेलाइजेशन नहीं; कोई वेल्युएशन करने के लिये कमेटी नहीं। करोड़ों रुपया फालतू गया। क्या वेल्यूएशन किया कभी ? जनता पर प्लानिंग के नाम पर टैक्स लगाते हैं, हमने आपको सपोर्ट किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कभी आपने जायजा लिया है या नहीं। पंचायत समितियों को दे दिया, आपने फाइनेन्स दे दिया। पूछते हैं तो कहते हैं अकाउन्ट्स हो रहे हैं। आपने हमसे शिकायत क्यों नहीं की ? यह और मजाक ! हम कोई आपके एजेन्ट हैं, एन्फोर्समेन्ट हैं ?

सभापति महोदय, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस सिलसिले में एक नया क्रान्तिकारी सोचने का तरीका होना चाहिये आॅटो-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नॉमस बॉडी। संविधान का तीसरा चेपटर। गवर्नमेन्ट क्या चीज है ? लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट रूपी संस्थायें हैं उनका मामला उन्हीं के द्वारा लगाये टैक्सेज पर है। पंचायतों का जहां तक मामला है उसका मौलिक रूप और उसकी मौलिक स्थिति और चित्र साफ है। हमारे फन्कशन्स का बाइफर्केशन बराबर होना चाहिये। ड्यूअल नीति, नवाब और अंग्रेज दोनों को टैक्स चुकाने की जो नीति थी, उसको काम में लेकर किस प्रकार से इस देश को उठायेंगे, यह तो राज्य करने वाले ही जाने ? लेकिन इस ड्यूअल गवर्नमेन्ट कहना चाहता हूं कि इसको एक गवर्नमेन्ट को करिये। आपकी लकीर साफ होनी चाहिये। आपके ऊपर मोरल टर्पीट्यूड का केस कर दिया जाय और वहां पर बैठा हुआ कोई आदमी है उसको आप मोअत्तिल करदें और जिसको चाहें उसको रखलें, इस प्रकार की स्थिति है। यहां पर मोरल टरपिट्यूड की बात होगी तो कोई एम. एल. ए. नहीं छोड़ा जावेगा और उनके विरुद्ध केसेज चलते जावेंगे। जो मोरल टर्पीट्यूड की बात करेंगे, बेईमानी की बात करेंगे तो जेल जावेंगे, फैसला हो तो सस्पेन्ड कर दीजिये और कुछ कर दीजिये लेकिन उसके पहले उसको सस्पेन्ड कर देना, उस सरपंच और पंच के अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है ? जिसने उसके लिये वोट डाला उसको भी सजा देना हुआ। उन सब लोगों को मशगूरी बात पर सजा नहीं होनी चाहिये। प्राइमरी स्कूल आपके होने चाहिये, सर्विसेज आपकी होनी चाहिये। वे देने वाले पैसा कोई नहीं हैं। हम पे कर रहे हैं। पंचायत और सरपंच क्यों दें ? वे मर्जी आये सो करें रुपयों का। टैक्स हम लगाते हैं जनता पर। नौकर रहते हैं उनके साथ ज्यादती करने का क्या अधिकार है ? उनकी डिस्क्रीशन पर आपने छोड़ रखा है ओवरसियर, इन्जीनियर इर्रीगेशन वाले, बिजली वाले ये सबके सब वहां पर आपने रख रखे हैं बजानकार लोगों के साथ आप उनको तनख्वाह देते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यहां पर जो बैठे हैं वे कितने जानकार हैं ? माननीय मंत्री महोदय, कितने जानकार हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी टैकनोलॉजी को हम सब जानते हैं और समझते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): ये तो मन्दिर में पूजा करना जानते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इन पंचायतों के जो टैक्स हैं वे अलग करदो। प्रमुख को अलग करदो। उनको तीन सौ रुपया तनख्वाह हम देंगे, अलाउन्सेज हम देंगे। यह आपने जो एपेन्डिक्स लगा रखा है, यह जो पिद्दी पैदा कर रखी है, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट जिसका नाम रख रखा है इनका एक्सचेकर होना चाहिये। इनके अपने टैक्सेज होने चाहिये जिस प्रकार के म्युनिसिपल कमेटी के होते हैं। अगर कोई काम के लिये पैसे की जरूरत हो तो आप जिस प्रकार दूसरों को अनुदान के रूप में देते हैं योजना के अन्दर खर्च करने के लिये इनको भी अनुदान के रूप में दीजिये, हमें कोई एतराज नहीं।

आपका यह जो ढांचा है इसको आज बदलिये, कल बदलिये। आप जो इस प्रकार ड्यूअल गवर्नमेंट रखते हैं यह कभी देश को ऊँचा नहीं उठा सकती। यह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

एस्केपिस्ट मेन्टेलिटी है इससे बाज आईये। कोई चीज गड़बड़ा जाय तो उस ओर देखना ही नहीं। जैसे शुतुर-मुर्ग होता है जब वह हार जाता है तो वह अपनी गर्दन जमीन में दे देता है और मुँह पर एक प्रकार से जब मिट्टी चढ़ जाती है तो वह समझने लगता है कि शिकारी मुझे नहीं देखता मैं भी शिकारी को नहीं देखता, उसी प्रकार आपने इस समस्या के प्रति अपना रुख बना रखा है। आपके जब समस्यायें पीछे पड़ीं तो उससे मुँह मोड़ने से काम चलने वाला नहीं यह जो एस्केपिज्म की मेन्टेलिटी है उससे देश का उत्थान नहीं होने वाला है। जिम्मेदारी आपकी होगी। आपका जो पैसा लगता है, आप जो पैसा जनता से टैक्स वसूल करके उनको खर्च करने के लिये देते हैं उस गरीब की कमाई का पूरा उपयोग सारे राजस्थान के उत्थान के लिये होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिये कि कुछ लोग उन पैसों को लेकर बैठ जायें, पॉपुलेरिटी के नाम पर बैठे रहें, यह नहीं होना चाहिये।

यहां पर हम देखते हैं, हाउस टक्स का विरोध होता है जो मेन्डेटरी टैक्स हैं। मकान जितने लोगों के हैं वे पैसे वाले लोग हैं वे असर कर सकते हैं। टीनेन्ट बेचारा गरीब है। उसका हिमायत कोई करने वाला नहीं। इस तरह से टैक्स नहीं ले सकते। हम लोग गांव वालों से टैक्स लेकर के इकट्ठा करें। उस टैक्स को इनको दें और हम एम० एल० एज़० भी उस पैसे का हिसाब नहीं देख सकते। इस तरह से करोड़ों रुपया आप सबको बांटेंगे जिससे लोग जीप चलायेंगे। जैसा अबके बी० डी० ओ० का विरोध हुआ उसी प्रकार फिर होगा, आप यह ज़ंजाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? आखिर इस पर हमारा क्या सुपरवीजन है? जांच के लिये फाइल हम देखते हैं तो हमें कहा जाता है कि कुछ नहीं। उसके बाद जब आप से पूछते हैं तो नीचे से जो लिखकर आजाय वह सही। हमारा रिप्रेज़ेन्टेटिव कोई कलेक्टर वगैरा वहां नहीं। पंचायत समिति इसके लिये हाईकोर्ट बनकर बैठ गयी। किसी में गबन हो जाय उसके सबूत के लिये कोशिश करें तो फाइल पर हाथ रखने नहीं देते। बी० डी० ओ० उठा कर ले जाय। कस्टोडियन बने हुए हैं। क्या आपने पंचायती राज इसलिए रखा है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं पूछें? क्या आप इससे देश का भला चाहते हैं? आप पंचायती राज की सफलता चाहते हैं तो जो घुन लगा हुआ है, शुरू से जो इस को टी० बी० हो गई है जिसकी ओर मैंने इशारा किया हर सरपंच को नौकर मिलना चाहिये, रुपये पैसे उसके हाथ में रहे। इलेक्टेड आदमी उस पैसे के हाथ भी नहीं लगाये। सेक्रेट्रीज़ आदि जो हैं उनके पास उसका हिसाब रहे, वे ही ऑडिट करायें, गबन के मामले हों तो नौकरों को सजा दें। उन बेचारे लोगों को छोटे-छोटे लोगों को जो चुने हुए हैं, पंच-सरपंच, उनकी इज्जत को बचाइये। उनको मौका ही न दें जिससे वे पैसा उठा सकें, वे पैसे के हाथ भी न लगा सकें। लेकिन आप नहीं चाहते कि उनको इससे डिबार कर दिया जाय।

ऑर्डिनेन्स के बारे में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जब बोर्डर की पंचायतों द्वारा गड़बड़ होते देखा, जब पंच, सरपंच को आपने देखा कि दुश्मनों से जाकर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मिल रहे हैं, उसके बारे में तो आपने ऑर्डिनेन्स नहीं निकाला। मैं पूछता हूं आपने उनके लिये ऑर्डिनेन्स क्यों नहीं निकाला? बोर्डर की जितनी भी पंचायतें हैं जो आदमी हमारे शत्रु से मिले हुए थे, मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं आप इस एक्ट में अधिकार दें ऐसे लोगों को पंचायतों से निकाल दिया जाय। आप इसके लिये इसी के साथ संशोधन लाइये। जिन लोगों ने बोर्डर पर रहते हुए हरामीपन किया है, चुने हुए होने के नाम पर बदमाशी की है उनके लिये आप ऑर्डिनेन्स नहीं लाये। आप अपने हाथ में इस प्रकार के अधिकार रखिये, न मालूम किस समय क्या स्थिति आजाय। ऑर्डिनेन्स के बजाय आप सारे अधिकार लें, ऐसी पंचायतों को खत्म कर दें, ऐसे सरपंच जिनके खिलाफ इस प्रकार के आरोप हैं उनको निकाल दें। आप इसके लिये कानून में अमेन्डमेंट मूव करिये। इन शब्दों के साथ मैंने जो अपने विचार रक्खे मौलिक रूप से वे बहुत जरूरी हैं जो अमेन्डमेन्ट सरकार द्वारा साधारण तौर से जो किये जा सकते हैं उनके औचित्य को मैं सपोर्ट करता हूं। ऑर्डिनेन्स जो आप लाये हैं वह आपको साधारण व्यवस्था नहीं बनानी चाहिये इस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिये। ऑर्डिनेन्स के बजाय सदन को बुलाकर आपको कानूनी राज्य कायम करना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): माननीय सभापति महोदय, पंचायत ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया है कि इसको अस्वीकार कर दिया जाय इसके सम्बन्ध में मुख्तलिफ तौर पर विचार सुने। जहां तक इस पंचायत ऑर्डिनेन्स का सम्बन्ध है यह तीन-चार मुद्दों से ताल्लुक रखता है। पंच, सरपंच, प्रधान और पंचायत समिति के मेम्बर इनके खिलाफ मोरल टर्पीट्यूड के केसेज़ हैं उनकी इन्क्वायरी हो जाने के बाद उनके कोर्ट्स में जाने के ऊपर उन लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमें लागू कर दिये गये उनको किस प्रकार सस्पेन्ड किया जाय, उस सम्बन्ध में इसमें विवरण दिया गया है।

खास तौर से अपोजीशन की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों द्वारा समय समय पर पंचायतों के सदस्यों के ऊपर, पंच-सरपंचों के ऊपर, कई प्रकार के आरोप लाये जाते हैं। यह कहा जाता है कि अमुक पंच-सरपंच ने गबन घोटाले किये हैं, अमुक पंच ने गबन किया है फिर भी सरकार उनके खिलाफ किसी प्रकार का कदम नहीं उठाती। उस हालत में इस प्रकार का कदम उठाया जाय जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें कायम हैं, केसेज़ अन्डर ट्रायल हैं वैसे व्यक्तियों को सस्पेन्ड करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई ऑर्डिनेन्स निकाला जाय तो उसके लिये भी यह कहा जाय कि यह तो पंचायत राज को खत्म करने वाली चीज है। पार्टीबाजी के आधार पर ऐसे लोगों को दवाकर उन लोगों को अपने पक्ष में करने के साधन उपलब्ध किये जा रहे हैं। इस तरह से दोनों हाथों में लड्डू रखने से लाभ नहीं होगा। एक प्रकार की बात करनी पड़ेगी पंच-सरपंच, प्रधान गड़बड़ या घोटाले गवन करता है उसके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाये, सरकार के हाथ को मजबूत करने के लिये इस प्रकार के प्रावधान जो लाये जाते हैं उसमें सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। एक तरफ एक बात, दूसरी तरफ दूसरी बात यह नहीं चलने वाली है, अपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लिये आप इस प्रकार से जो सरकार द्वारा उठाये गये कदम का विरोध करते हैं और उसको प्रजातंत्र की हत्या करने वाला कार्य कहते हैं, यह आपका कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपके द्वारा जो इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है वह केवल राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया जा रहा है। इस प्रजातंत्र में पंचायत राज को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपका यह सुझाव कोई ठोस सुझाव नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप, इस आॅर्डिनेन्स को अस्वीकार किया जाय, इस पर बोल रहे हैं या किस पर ?

श्री गिरधारीलाल व्यास: जो प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्रजी ने रखा है कि इस आॅर्डिनेन्स को अस्वीकार किया जाय उसके खिलाफ बोल रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं कि इस आॅर्डिनेन्स में जो प्रावधान रखा गया है कि पंच, सरपंच, प्रधान उप-प्रधान या पंचायत समिति के स्टाफ के जो लोग हैं उनका ट्रान्सफर करने का अधिकार एक्स-आॅफिशियो शपथ लेने देने का प्रावधान उचित है, यह मैं निवेदन कर रहा हूं।

जैसा कि मैंने पंच-सरपंच के बारे में निवेदन किया। जहां इनके खिलाफ शिकायत हो कि इन्होंने पैसे का दुरूपयोग किया या गबन किया, जैसा ज्वालाप्रसादजी ने कहा अगर पंचायतों को मजबूत बनाना है, पंचायत राज को कायम रखना है, उनका कहना था कि पंचायत राज के अन्दर सरपंच के हाथ से अर्थ व्यवस्था अलग निकाल दें ताकि सरपंच के ऊपर आरोप कोई नहीं लगा सके। इस प्रकार का प्रावधान पहले से होजाना चाहिये। पंचायतों के अन्दर क्लर्क, चपरासी आदि को तनख्वाह देने के लिये पैसा नहीं है। वह अपने क्षेत्र में विकास के द्वारा कुछ तरक्की करना चाहता है उसके लिये श्रमदान मांगा जाता है तो उसकी पूर्ती नहीं हो पाती, जब इस प्रकार की व्यवस्था है तो जब हम चाहते है कि सरपंच द्वारा अपने क्षेत्र का डेवलपमेन्ट कराया जाय तो उसके हाथ में इस प्रकार की व्यवस्था देते हैं तो यह मुमकिन है कि जहां इनसे पचास प्रतिशत श्रमदान मांगा जाता है वह पूर्ति नहीं कर पाते तो सरपंच उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। असल में श्रमदान मिलता नहीं, अपना हिसाब पूरा करने के लिये तरह तरह की नई योजनायें बनाकर पूर्ति करने की कोशिश करता है। फरजी हिसाब बनाता है, कोई भी अधिकारी के ध्यान में आ जाता है, तो उसके लिए वह घबरा जाता है। इस प्रकार की चीजों से हमें बचाना है। पंचायत राज को मजबूत करना है तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी जिसकी वजह से आज हमारे पंचायत राज के कार्यकर्त्ता हैं— सरपंच हैं, प्रधान हैं ऐसे लोग बन्दिश में न आयें, उनके केसेज़ झूंठे होते हुए सच्चे साबित नहीं हो सकते, असलियत में गलत है और जान-बूझ कर उस कुर्सी पर इसलिये जाकर बैठे हैं कि धन का दुरुपयोग करें, गड़बड़ करें, घोटाले करें उनके लिये सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान होना चाहिये।

सेक्शन १७ (४) की तहत में जो प्रावधान हैं उसके तहत पंच-सरपंच के खिलाफ कार्यवाही कर सकते थे, उस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि ड्यूरिंग इन्क्वायरी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ट्रायल उसको सस्पेन्ड किया जा सके।

(३ म० प०)

तो सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। आप सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में देखें। उनके खिलाफ ग़बन-घोटाले आदि के मामले आते हैं ४०६ में और ४०९ में, इन्क्वायरी होकर उनका चालान कर दिया जाता है तो उससे पूर्व पुलिस में रिपोर्ट जाती है तब से सस्पेन्ड कर दिया जाता है। तो उसी तरह का जो प्रावधान इसमें है वह नितान्त आवश्यक है। इसके अभाव में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सक रही थी और इसी की वजह से अपोजीशन वाले सरकार को कोसते थे कि वह पक्षपात करती है और जांच नहीं कराना चाहती और सरकार मजबूरी महसूस करती थी कि उसके पास कोई प्रावधान नहीं था कि वह उसे सस्पेन्ड कर सके, तो इन सारी बातों से पंचायती राज के सही संचालन में गड़बड़ी हो रही थी। तो इन कारणों से यह वास्तव में बहुत उचित है। आजकल पंचायतों में जो समस्यायें पैदा हो गई हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी जो खराब थी और खराब हो गई है, उन समस्याओं का इलाज इसमें निहित है। इससे उन समस्याओं का हल निकल सकेगा।

फिर पंचायतों में एक बहुत बड़ी खामी भी है। आपने क्लर्क और चपरासी तो दे दिये पर उनकी तनख्वाह का प्रबन्ध नहीं किया। इससे अव्यवस्था हो रही है। तो इनके पैसे का प्रवन्ध या तो सरकार स्वयं करे या कोई साधन पंचायतों को दे ताकि न्याय पंचायतों का काम भी सुचारु रूप से चले और सेक्रेटरी, वगैरह--जिनके खिलाफ तरह २ के आरोप हैं उनको भी आरोप लगाने का अवसर न रहे। अवसर तो इसलिये मिलता है कि उनको समय पर वेतन नहीं मिलता तो अपनी जीविका उपार्जन करने के लिये अपने अधिकारों का दुरुपयोग मजबूर होकर करते हैं। तो इसके लिये या तो सरकार सेक्रेटरी वगैरह मुकर्रर करे या वह स्वयं तनख्वाह दे। वरना इस तरह की अव्यवस्था से पंचायती राज की संस्थायें कमजोर होती जावेंगी दिन ब दिन। इसकी व्यवस्था भी कमजोर होती जावेगी।

आज एक बात और है। सरपंच के हाथ में पंचों के खिलाफ एक कुल्हाड़ा सरकार ने दे रखा है। कोई भी पंच से अगर सरपंच मुखालफत रखता है तो पांच बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप लगाकर उसे पंच से अलहदा कर दिया जावेगा। अब चाहे पाँच बैठकों की सूचना उसे मिली हो या न भी मिली हो, तो यह कोई सुनने वाला नहीं। इस प्रकार के आरोप में जगह जगह सरपंच पंचों पर कुठाराघात कर रहे हैं।

(३.०२ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भीलवाड़ा जिले में बदनोर के ऐसे ही कई मामलों की शिकायत की गई। अब उनकी शिकायत बी०डी०ओ० के पास की जाती है तो वह कहता है एस०डी०ओ० जाने, कलेक्टर जाने, उनको कहा जाता है तो कह देते हैं कि बी० डी० ओ० जाने। अभी उनको अपने अपने अधिकारों का भी भान नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि प्रधान, उप-प्रधान के खिलाफ आरोपों के लिये जो

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

दोनों अमेण्डमेन्ट्स हैं वे स्पष्ट नहीं हैं। जैसा राधाकृष्णजी ने कहा था कि ये आरोप लगाये जावेंगे वे उनके कार्य-काल में लगाये जावेंगे या कोई सच्चा झूठा मुकदमा लगा दिया तो उस कैपेसिटी में भी उन पर ये आरोप लगाये समझे जावेंगे और उसी पर एक्शन लिया जा सकेगा ? तो यह स्पष्टीकरण होने की आवश्यकता है। इसमें बहुतों के विक्टिमाइज़ होने की सम्भावना है। अगर ऐसा स्पष्टीकरण कर दिया जावे कि जो भी एक्शन लिया जावेगा पंचायत के कार्यकाल में या अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए जिस आदमी ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो और उसके सम्बन्ध में इन्क्वायरी ट्रिब्यूनल में मुकदमा जावेगा तो उससे ताल्लुक रहेगा। तब जाकर इसका स्पष्टीकरण हो सकता है।

एक्स-ऑफिशियो मेम्बर्स के बारे में जो ऑर्डिनेन्स में प्रावधान दिया गया है, जो एम० एल० ए०, एम० पी० और दूसरे लोग जो एस० डी० ओ० और कलेक्टर हैं जो कि इसके सदस्य होते हैं उनको अपने स्थान पर, जैसे एम० एल० ए० विधान सभा में और पार्लियामेन्ट का मेम्बर पार्लियामेन्ट में और दूसरे लोग जो भी नौकरी से आते हैं उनको कॉन्सटीट्यूशन को मानने की शपथ दिलाई जाती है तो एक स्थान पर एक आदमी शपथ ले लेता है तो उसको जगह जगह जाकर शपथ लेनी आवश्यक नहीं है और इसका खास कारण यह जो चीज रखी गई है इसलिए भी आवश्यक थी कि एक एम० एल० ए० दो-तीन पंचायत समितियों का मेम्बर होता है और जिस पंचायत समिति का क्षेत्र ज्यादा पड़ता है वह वहीं जाकर शपथ ले लेता है और दूसरे स्थानों पर वह नहीं जा पाता है। इसी प्रकार एम० पी० कई जिला परिषदों का मेम्बर होता है तो जिसका मेजर पोरशन पड़ता है वहां तो वह कार्यवाही में हिस्सा ले लेता है लेकिन जहां एक दो पंचायतों का ताल्लुक पड़ता है वहां वह कभी नहीं आ पाता और न कोई वह दूसरी जगह शपथ लेता है। इसलिए जो उसको अधिकार मिला है वहां सदस्य बनने का उससे वंचित रखना किसी माने में ठीक नहीं है। इसलिए जो प्रावधान रखा गया है कि जो सदस्य अपने तौर पर एक बार शपथ ले लेता है जिस सीट के लिए वह चुना गया है तो उसको दूसरी जगह जाकर लेने की आवश्यकता नहीं है और यह अत्यन्त आवश्यक प्रावधान था कि जिसके द्वारा सदस्य एक ही स्थान पर पद ग्रहण कर सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से पंचायत समितियों के स्टाफ के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज इस प्रकार का प्रावधान है कि एक जिला परिषद् से दूसरे जिला परिषद् में तबादला करना हो तो दोनों जिला परिषदों की स्वीकृति लेनी होती है। अगर वह दोनों रज़ामन्द हैं तभी ट्रान्सफर पब्लिक सर्विस कमीशन जो जिला परिषद की है उसके द्वारा किया जा सकता है। वहां उन दोनों की सम्मति नहीं मिलती है तो ट्रान्सफर करने का अधिकार नहीं है। कई जगह ट्रान्सफर्स के लिए अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। इन सबको रोकने के लिए और जो कमियां हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जैसे मैं अमुक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पंचायत समिति का क्लर्क या चपरासी हूं या मास्टर हूं, कम वेतन पाने वाला हूं—सरकार का प्रावधान है कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रखा जाये वैसे लोग दूसरी जगह नौकरी कर लेते हैं तो उनका ट्रान्सफर कम वेतन पाने वाले लोगों को इस तरह से सुविधा प्रदान नहीं की गई तो उससे बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसलिए इस प्रावधान के द्वारा भी यह भी अत्यन्त आवश्यक प्रावधान था जिसकी वजह से पंचायत समिति और जिला परिषद् के कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी और जो प्रधान या प्रमुख या जो लोग राजनैतिक दृष्टिकोण से किसी का ट्रान्सफर कर देते थे उसमें भी रुकावट आयेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी, इसलिए इस ऑर्डिनेन्स के अन्दर जो वर्ड्स रखे गये थे वह बिल्कुल वाजिब थे और इसके अलावा भी जो मेरा प्रस्ताव जनमत जानने के लिए प्रसारित करने हेतु था उसके संबंध में मैं बाद में बोलूंगा अगर माननीय उपाध्यक्षजी इजाजत दें तो अभी बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बोल दें। अलावा अलावा करते बहुत ही देर हो जायेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके अलावा मेरा यह कहना है.... ...

श्री उपाध्यक्ष : दो विधेयक हमें पारित करने हैं ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो १० मिनट में बोल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो मैं आपको ५ मिनिट देता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऑर्डिनेन्स में या इस संशोधन विधेयक के अन्दर जिस प्रकार के प्रावधान दिये गये हैं वह भी हमारे पंचायत कानून की पूर्ति नहीं करते। उसके अलावा भी हमें बहुत सारे नियम बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रावधान रखने पड़ेंगे जिससे हम पंचायती राज्य को व्यापक बना सकें या उसको ज्यादा से ज्यादा तरक्की दिला सकें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पंचायतों के अन्दर इस कानून के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए जिससे पंचायतों को वहां के क्षेत्र की इन्कम का सारा पैसा मिलने का सवाल है, रेवेन्यू की आय है इस प्रकार के सारे के सारे इनकम के सोर्स वहां पंचायतों को मिलने चाहिये ताकि वह लोग अपने क्षेत्र का विकास अपने तरीके से कर सकें। सरकार की ओर से कोई पैसा दिया जाय और वहां की पंचायतों का इन्टरेस्ट नहीं हो तो वह पैसा देना बिल्कुल बेकार है। इसी तरह से पंचायतों के अन्दर जो पैसा आता है और वह अपने क्षेत्र को डेवलप करना चाहते हैं तो उनकी राय के मुताबिक उनको पैसा मिलना चाहिए। आज प्रावधान इस प्रकार का है कि पैसा दे दिया और उस पैसे का उपयोग नहीं होता है और वह पड़ा रहता है और बिल्कुल बेकार चला जाता है। इसलिए पैसा उनकी राय के मुताबिक ही देना पड़ेगा। इसी प्रकार से पंचायत समितियों, जिला परिषदों और पंचायतों का आज हमारे यहां जिस प्रकार से गठन हुआ है और जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहां पर है उसमें बहुत बड़ी खामी है। जिला परिषदें तो एक एडवाइज़री बॉडी सी बना दी गई हैं और उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लेवल ऑफिसर्स जितने भी हैं वह जिला परिषदों के तहत में सहयोग नहीं रखते जिस प्रकार का होना चाहिए। आज विकास के युग में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं खास तौर से इन्डस्ट्रीज़ के, डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के, एग्रीकल्चर के, इलेक्ट्रिसिटी के और जो भी प्रोडक्शन से ताल्लुक रखने वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं इन सब पर कन्ट्रोल तो जिला परिषदों का होना चाहिए ताकि वह उनका उपयोग जिस प्रकार से करना चाहें कर सकें। जिससे वह अपने क्षेत्र का विकास जिस प्रकार से करना चाहें वह उनकी सलाह से कर सकें। आज गुजरात और महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि वहां की जिला परिषदें इतनी सक्षम हैं कि वह डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स से काम लेती हैं। और हम जिस प्रकार से देखते हैं कि आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जिनको कि खेतों में जाकर काम करना चाहिए आज वह जीपों के अन्दर घूमते फिरते हैं और अच्छे अच्छे सूट पहन कर खेती का काम करना तो दूर रहा उनकी पतलून और कोट पर धूल तक नहीं पड़ती ......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): गांव में जो कुछ काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। उनकी सेवाओं को नहीं भुलाया जा सकता।

श्री गिरधारीलाल व्यास: हमें एग्रीकल्चर के अन्दर ज्यादा से ज्यादा जुट कर काम करने की आवश्यकता है और यह तभी हो सकता है जब कि जिला परिषदों के तहत इस प्रकार के लोग आयें।

श्री उपाध्यक्ष : यहां संशोधन विधेयक को लिया गया है और आर्डिनेन्स के आब्जेक्ट्स पर बोलना है। आप तो जनरल पालिसी के ऊपर डिसक्शन कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: मैं यह कह रहा हूं कि इसके साथ में यह भी आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन इससे संबंधित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: बिल्कुल संबंधित है। मेरा प्रस्ताव तो यह है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये और आपने कहा कि दोनों साथ साथ बोल दो इसलिए बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो ठीक है, लेकिन जनमत जानने के लिए इसको कैसे प्रसारित करेंगे, जब कि ऑर्डिनेन्स को रेगुलेराइज़ करने की बात है?

श्री गिरधारीलाल व्यास: इसलिए कह रहा था कि इसमें इतनी कमियां हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप आरम्भ रखिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास: ५ मिनट में खत्म कर रहा हूं।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोकल ऑडिट फण्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो १ परसेन्ट और २ परसेन्ट पंचायत समितियों से ऑडिट की फीस ली जाती है यह बहुत बड़ा खर्चा पंचायत समितियों के ऊपर रखा गया है, पंचायतों के ऊपर रखा गया है जब कि यह लोकल ऑडिट फण्ड आज पंचायत समितियों और पंचायतों के ऊपर इस प्रकार से कुठाराघात कर रहा है और सबसे ज्यादा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कोई शोषण कर रहा है तो यह लोकल ऑडिट फण्ड है। अजमेर के अन्दर जो लोकल ऑडिट फण्ड के सदस्य हैं....

श्री उपाध्यक्ष: Again it is irrelevant.

श्री गिरधारीलाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल क्षेत्र की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहें, otherwise we are leading to a general discussion.

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन—सु.): उपाध्यक्ष महोदय, सदन का कोरम पूरा नहीं है तब तक के लिए सदन स्थगित कर दिये जाय।

(गणपूरक घण्टी के पश्चात)

श्री गिरधारीलाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायत समिति और इस पंचायत राज का ताल्लुक है वह तभी कामयाब हो सकते हैं जब कि इसमें शासन की व्यवस्था ठीक हो। आज हमारे यहां पर जितने एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं या दूसरे लोग हैं जिनका सीधा सम्बन्ध पंचायत समितियों से रहता है और फिर उसमें शासन तो उस डिपार्टमेंट का काम करता है और काम करते हैं पंचायत समिति में। तो इस प्रकार से जब तक यह दोहरा शासन चलेगा तब तक पंचायत समितियां कामयाब नहीं हो सकती हैं। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये कि ये जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं जिसका सीधा सम्पर्क पंचायतों से रहता है, उनका कन्ट्रोल भी, उनका चलाने का काम भी पंचायतों का रहे।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो बजट पर भाषण हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह बजट का भाषण नहीं है। इसी से सम्बन्ध रखने वाली चीजें हैं और मेरा निवेदन है पंचायत मंत्री महोदय से कि इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए ताकि हमारी पंचायतें और हमारा पंचायती राज सफल हो सके और उसमें हम जैसी कि हमारी भावना है उसका विकास कर सकें।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: श्री चौसरसिंह।

(एक माननीय बोलने के लिए खड़े हुए)
पहले जिनके अमेंडमेंट हैं, वे बोल लें।

श्री चौसरसिंह बावेल (बैंगू): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति (संशोधन) विधेयक, १६६६ को जनमत जानने हेतु मैंने प्रस्ताव दिया है......

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि हमारे सामने काफी बिजनेस है, काफी अमेंडमेंट हमें डिस्कस करना है इसलिए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखकर और जो सब्जेक्ट की रेलेवेन्सी है उसको ध्यान में रखते हुए दस मिनिट के अन्दर अगर अपने भाषण को परिमित करें तो उचित होगा वरना कम लाभ हो सकेगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): बिल और ऑर्डिनेंस दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, लेकिन बिल के भी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखकर ही उसके अनुसार बोलें।

श्री चौसरसिंह बाबेल: तो यह मैंने जनमत जानने हेतु निवेदन किया है। मेरी अर्ज यह है कि यह बिल जो सदन के सामने सरकार ने पेश किया है यह बिना किसी कारण के पेश किया है, यह महज विरोधियों पर हमला करने के लिये किया गया है। मैंने तो यहां तक देखा है कि जो राजपक्ष के लोग हैं, जो पंचायतों में जुर्म करते हैं और हजारों लाखों रुपये खाते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें भी की जाती हैं तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। यह जो आपने १७ (४) में प्रावधान किया है यह सब विरोधी पक्ष के लोग जहां जहां पर हैं उन्हीं लोगों को तंग करने के लिए किया गया है। मेरा निवेदन करना यह है कि १७ (४) के जो नैतिक पतन और चरित्र के आघात के लिए आपने किया है तो इसमें कौन २ अभियोग आयेंगे, ऐसे कौन-कौन से अभियोग हैं जिनके अन्दर आपका यह विधेयक लाने का मकसद पूरा होता है। आपको इसकी व्याख्या करनी चाहिए। आप इसके लिए जो विधेयक ला रहे हैं तो यह सर्वथा अच्छी बात है। अगर आप नेक दृष्टिकोण को लेकर इसको लागू करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भुगत चुका हूं, मैं जानता हूं कि आपके कार्य ऐसे नहीं हैं। मैं सरपंच भी रह चुका हूं और चेयरमैन भी रह चुका हूं। मुझे सरपंची से भी मुअत्तिल किया गया लेकिन मेरे खिलाफ कोई एक जुर्म साबित नहीं हो सका। मैं चेयरमेन भी रहा और उसमें मुझे तीन तीन बार मुअत्तिल किया गया।

बारह साल से हम लगातार यही हालत देख रहे हैं कि आप किस किस तरह से अन्याय करते हैं और हम लोगों को, जो विरोधी पक्ष में हैं, किस तरह से तंग किया जाता है। जब मैं कांग्रेस में था तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जब मैं कांग्रेस से विरोधी पक्ष में चला गया तो मुझे मोअत्तिल किया गया लेकिन मेरे खिलाफ कोई केस आप साबित नहीं कर सके और आखिर में कागजात दाखिल दफ्तर हो गए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार से कानून बनाकर अन्याय करते हैं। अगर आप इन कानूनों का सही रूप मे सदुपयोग करें और जो आपके प्रधान हैं, सरपंच हैं, पंच हैं और जो गबन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उस तरफ आप ध्यान दें। वैंगू के सरपंच हैं, मेघनिवास के सरपंच हैं, खालीखेड़ा के सरपंच हैं, इन सबके खिलाफ काफी शिकायतें हैं, ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर भी इनके खिलाफ लिखा गया है, लेकिन आप इनमें से एक पर भी ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके कानूनों से अभी तक ऐसा महसूस नहीं होता कि आप जनता के हित में कानून ला रहे है। आपकी इच्छा तो केवल विरोधी पक्ष को जलील करने की है। जो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं उनको भी हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। मेरे लड़के को भी रिट करनी पड़ी (हाईकोर्ट में) सरपंच के चुनाव के मामले को लेकर और उसमें वह आगे जाकर कामयाब हुआ। ऐसे अनेकों मौके आते हैं जिनमें आपको नीचा देखना पड़ता है। तो अगर आप इन कानूनों को इस तरीके से चलायेंगे तो जनता परेशान हो जाएगी और आपसे मुकाबला करेगी। आपने देख लिया होगा कि इस शासन के कामों के लिए किस प्रकार से

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

झगड़े खड़े हो जाते हैं। जिस समय राज्यपाल महोदय पधारे उस समय हमारे सदस्य बैठे हुए थे, उन्होंने टैक्सों का विरोध किया, अध्यादेशों का विरोध किया तो कितनी अशोभनीय घटना यहां पर हो गई। ऐसी घटनाओं पर आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इन कुर्सियों को छोड़ना पडेगा और अगर आप मर्जी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो जनता दूसरे तरीके से आपके साथ पेश आएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इन कानूनों को सही भावना से लागू करें और जनता को फसाद करने के लिए प्रेरित नहीं करें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):- उपाध्यक्ष महोदय, जो आर्डिनेंस माननीय राज्यपाल द्वारा लागू किया गया और उसी आॅर्डीनेंस के साथ कुछ धारायें पंचायत एक्ट में हैं जिनका अमेंडमेंट लाया गया है राज्य सरकार द्वारा, जो आज यहां हाउस में प्रस्तुत है, उसको मैं प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, जो दो संशोधन हैं और इन दोनों व्यवस्थाओं के द्वारा जो कुछ राज्य सरकार करने जा रही है इनका सम्बन्ध हमारी पंचायती राज की इन छोटी इकाइयों से, वार्ड मेम्बर, सरपंच, प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य आदियों से है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इतना भयानक कदम, कानून में इतना बड़ा संशोधन हम करने जा रहे हैं लेकिन इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी जनता पर, पंचायतों के सैट अप पर उसका क्या असर होगा, इसकी जानकारी अगर हम जनता से लें तो यह बहुत आवश्यक बात समझी जानी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक तरफ सरकार चाहती है कि जनता को पंचायतों के जरिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलें। दूसरी तरफ वही सरकार इस प्रयास में है कि जो डिसेंट्रेलाइजेशन हुआ है उसका वापस एकाधिकरण हो, सत्ता वापस मिनिस्टरों तक निहित हो। यह जो सरकार की डुप्लीकेट पॉलिसी है यह मेरी समझ में नहीं आ रही है।

माननीय उपाध्यक्षजी, जब जब भी इस कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो जो कानून बनाए गए, उनमें यह आश्वासन दिया गया कि हम यह सब कानून जनता के हित में बना रहे हैं। कभी हम इन कानूनों के द्वारा गलत काम नहीं करेंगे, कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे जनता परेशान हो। लेकिन देखने में यह आया है कि जो जो भी यहां कानून पास हुए हैं उनको इस सरकार ने दलगत आधार से काम में लिए हैं और उसी नीति के आधार पर कहीं उस कानून में इतनी छूट दी कि बराबर विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा बताने पर कि अमुक सरपंच या अमुक पंच, प्रधान इस तरह की गलत कार्यवाहियां करते हैं, हजारों लाखों रूपये के घोटाले करते हैं लेकिन उन पर वह कानून लागू नहीं हो सकता है, उनकी तरफ से चुप्पी लगा करके दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, प्रधान, सरपंच, पंच, आदि जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से आते हैं, उन्हें उसी कानून के द्वारा उनका थोड़ा कुसूर होते हुए भी, नगण्य कुसूर होते हुए भी, उसी कानून के द्वारा, इस सरकार ने, उन पर जुल्म किए हैं; फिर यह कैसे मान लें कि इस कानून के पीछे जो कि आज आप ला रहे हैं, और एक इतना बड़ा प्रावधान है कि जिस से

(श्री जयनारायण सालोदिया)

राजस्थान का हर पंच संबंधित है, हर सरपंच उससे सम्बन्धित है, हर प्रधान उससे सम्बन्धित है, उनकी क्या मन्शा है ? इतने बड़े कानून को, इतने बड़े अधिकारों को हम सरकार के हाथ में सौंपने से पहले यह कैसे विश्वास करलें उस सरकार पर कि जिसने हमेशा हर कानून की अवहेलना की है, हर कानून का उपयोग नहीं करके दुरुपयोग किया है। यह सत्ता उसको देने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि वह कौनसा पात्र है कि जिसमें हम यह चीज डाल रहे हैं ?

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी के साथ साथ में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून जिस रूप में पहले पंचायत कानून था उसके द्वारा ही इस सरकार ने उन पंचों और सरपंचों पर जो विपक्षी पार्टी की तरफ के थे इतना जुल्म किया है, उसका एकाध दृष्टान्त मैं आपको निवेदन करूं तो आपको जानकारी होगी कि ऐसे अधूरे कानून के द्वारा ही इस सरकार ने लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों पर इतना जुल्म किया है उसको फिर इस तरह का हथियार, इस तरह का शस्त्र और देना चाहते हैं। अगर यह कानून पास होगया, अगर सरकार को यह अधिकार मिल गया तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान का कोई पंचायत का पंच, सरपंच कोई प्रधान अपने आपको सुरक्षित नहीं समझेगा, अपने आपको आजाद नहीं समझेगा अपने आपको चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं समझेगा, और एकमात्र उसके दिमाग में, उसके दिल में एक ही असर रहेगा और हमेशा एक ही वह कोशिश करता रहेगा कि किसी तरह से सरकार को खुश रखे। येनकेन प्रकारेण सरकार अगर उससे नाराज होजाती है तो वह इस शस्त्र के द्वारा उसे खत्म कर सकती है। तो इस तरह का शस्त्र सरकार को देने से पूर्व, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें सोचना पड़ेगा। पहले के कानून का मैं अपने क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

एक राज्होली पंचायत का सरपंच था। उस पर कहीं पर गबन का मामला एक रुपया और कितने ही पैसों का लगा कर उसको सस्पेन्ड कर दिया गया। उसको सस्पेन्ड ही नहीं उसके हथकड़ियां पहिना कर उसको अदालत में लाया गया। जब अदालत में मुकदमा चल रहा था तो दूसरे चुनाव हुए जिसमें जनता ने फिर भारी बहुमत से उसको सरपंच बना दिया, लेकिन उसके बाद उसको चार्ज नहीं लेने दिया और इस तरह से उसको परेशान किया है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब कानून में कमी महसूस की थी तब भी सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों को जलील इस तरह से करती थी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): मैं एक जानकारी चाहता हूं कि जिसने चोरी की और जिस पर चोरी का मुकदमा चल रहा है उसको सरपंच नहीं बनाने देना, उसको जलील करना होता है ? आपके दिमाग में यह है कि चोरी का मुकदमा जिस पर चल रहा है उसको भी सरपंच बनाया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया: यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरपंच था

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पहले। उस टाइम का एक रुपये और कितने ही पैसों के गबन का मामला था। उसके बाद या तो आप उसको बान करते, दुबारा चुनाव लड़ने के लिए उसके लिये पाबन्दी लगा देते। जब दुबारा चुनाव लडता है और पब्लिक वोट देकर उसको सरपंच बनाती है तो फिर आप कोई अधिकार नहीं रखते हैं दुबारा उसको सस्पेन्ड करने का ? यह कोई अधिकार नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इसके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि मारवाड़ी में एक कहावत है "पेलां तो बाई बावली और फिर भांग और खागी छे" इस तरह से, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार यह दावा करती है कि हम प्रजातंत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो राज्य सरकार यह दावा करती है कि हम प्रजातंत्र को फला-फूला देखना चाहते हैं उस राज्य सरकार की तरफ से इस तरह के छोटे-छोटे अधिकारों को अपने हाथ में लेने की बात है, उसके लिये इस तरह का जो कानून आज लाया गया है, यह प्रजातंत्र के लिये, पंचायत संस्थाओं के लिये, पंचों और सरपंचों के लिये, इस तरह का डर है, इस तरह का हव्वा है, एक इस तरह से उनके मानस पर अतिक्रमण है कि उनकी आजादी पर इस तरह का कब्जा है। तो, माननीय उपाध्यक्षजी, अगर हम चाहते हैं कि पंचायत संस्थाएं फले-फूलें तो हमें ज्यादा से ज्यादा उनको अधिकार देना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ज्यादा से ज्यादा उनको स्वतंत्र रखना है, कमसे कम सरकार का उन पंचायतों में दखल हो, कमसे कम सरकार का उन पर इस तरह डर की भावना हो। इस तरह का विश्वास उन्हें कराना है न कि इस तरह से मास्टरों का ट्रांसफर भी हम करेंगे, कर्मचारियों का ट्रांसफर भी हम करेंगे और पंचों और सरपंचों के दिमाग में हमेशा इस तरह की बात, इस तरह की भावना, इस तरह का अधिकार हम जमाना चाहते हैं। अगर हम पंचों और सरपंचों को स्वतंत्र रखना चाहते हैं तो माननीय उपाध्यक्षजी, उनके दिमाग में यह बात बिठा देना चाहते हैं कि इस कानून के द्वारा पंचों और सरपंचों को बने रहना है, प्रधानों को बने रहना है, तो सरकार की मर्जी पर बने रहना है, सरकार के साथ बने रहने पर बने रहना है, अगर इस तरह की बात सरकार के द्वारा होती है तो हम धीरे-धीरे प्रजातंत्र से अलग होकर एकतंत्र की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह इस तरह का कदम जो जनता के खिलाफ, पंचायतों के सेट-अप के खिलाफ है, उसको नहीं उठा कर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि प्रवर समिति अच्छी तरह से इस पर विचार करके अगले सैशन में इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) उपाध्यक्ष ...

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करूं इसमें कि इसके बाद नाथद्वारा बिल लिये जाने वाला है और काफी क्लॉजेज के ऊपर अमेंडमेंट्स हैं तो समय पर समाप्त होजाये इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहें या तो थर्ड रीडिंग पर बोल लें या फिर कृपा कर ५ मिनिट से अधिक न बोलें।

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत लॉज़ के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने कुछ आवश्यकता महसूस की और एक आॅर्डिनेन्स सन् ६६ में निकाला। उसका नम्बर २ हुआ और शुरुआत भी हुई तो ताजा ताजा साल में ताजा ताजा शुरुआत हुई। पेशतर इसके कि मैं इसके ऊपर अर्ज करूं कि पंचायत राज्य क्या है, मैं इस पर चार लाइनें बता देना चाहता हूं—
"पंच नहीं पंचायत नहीं, न पंचों में राम,
और लाड़ू लाना पंच है, लज्जा राखो राम।"

इस प्रकार पंचायतों में आज यह हो रहा है कि हकीकत में जिन उसूलों के साथ खड़ा किया था ढांचा उस पर सही तरीके से नहीं चल कर कांग्रेस ने अपनी प्रचार समितियां बनाई हैं पंचायत समितियों के बजाय, यानि पंचायत समितियों को कांग्रेस की प्रचार समितियां कहें तो बेजा नहीं होगा। लेकिन उन्हीं के सम्बन्ध में सरकार आज यह बताना चाहती है कि सरकार की यह इच्छा है, सरकार की यह ख्वाहिश है कि जो गलत काम करेगा उसको सजा दी जायेगी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत एक्ट में पहले भी साफ तौर से यह प्रोवीजन है कि :

'The State Government may during the course of any inquiry under sub-section 4, suspend a Panch, Sarpanch or Up-Sarpanch against whom the inquiry has been started and debar him from taking part in any act or proceeding of the Panchayat while under such suspension.'

उसमें केवल दो शब्द "मोरल टर्पीट्यूड" को लेकर यह आॅर्डिनेन्स निकाला गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह अलग कानून सर्विस रूल्स, या डेफिनिशन आॅफ कण्डक्ट आदि में कहीं भी मैच नहीं खाता है। मोरल टर्पीट्यूड क्या चीज है? किसी को गाली दे दी तो वह भी मोरल टर्पीट्यूड है, कत्ल कर दें वह भी उसमें आजाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि मैं इस सरकार के कानून के संशोधन के बारे में नहीं जाता हूं, लेकिन जो पहले प्रावधान था, जिसको इस सरकार ने पंचायती राज्य को दुरुस्त करने के लिए किया था, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात न कह कर कुछ उदाहरण, दृष्टान्त मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में विजयपुर के सरपंच के खिलाफ कई मर्तबा सरकार का ध्यान पत्रों के द्वारा आकर्षित किया गया, लेकिन सरकार मौन, बिल्कुल मौन, एक ऐसे आलम में सोती है कि इस तरह का प्रावधान मोरल टर्पीट्यूड का लाना चाहती है आॅर्डिनेन्स के द्वारा, लेकिन सुधारना नहीं चाहती है मोरल बल्कि डिमोरेलाइज होकर कभी भी कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं की। जिस सरपंच ने २३ हजार रुपये जला लिया बान्ध में लगा दिये और उसमें आज एक इंच भी पानी नहीं है। जिसको कई मर्तबा इस सदन में इस सरकार को सजग करने के लिए कहा गया लेकिन कोई एक्शन नहीं, कागज फाड़ दिये गये, सब कुछ कर दिया। माननीय उप-मंत्रीजी प्रोटेक्टर थे—नन्दवानाजी—उनको कई मर्तबा अर्ज किया, सरकार को अर्ज किया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं। प्रतापगढ़ पंचायत समिति के ए० ई० ओ० ने दुनियां भर की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की, मंदसोर से खरीद

Page No. 89

(श्री अब्दुल जब्बार)

कर ले आये पर इन्क्वायरी का कोई पता नहीं। इसी तरह से निम्बाहेड़ा में बाड़ी पंचायत के सरपंच नानालाल सुथार जिनके खिलाफ आज भी सी० आई० डी० लगी हुई है, जाँच हुई, फायल ले गई, एन्टीकरप्शन में फायल पड़ी है लेकिन उनको सस्पेण्ड करने का सवाल नहीं। पहले भी ऐसे मामलों में सस्पेण्ड करने का प्रोविज़न है, आज भी प्रावधान है, सस्पेण्ड किया जा सकता है लेकिन नहीं सस्पेण्ड होता है। कई बार सदस्यों ने कहा लेकिन जो चहेता होता है उसको कुछ नहीं कहा जाता है। मेरे पास इतना लम्बा-चौड़ा पोथा है जिसमें से एक एक को पढ़ कर सुनाया जाय, समझाया जाय तो कान खड़े हो जायेंगे। पंचायत एक्ट जो सन् ५३ में बना, कहा जाता है उसमें प्रावधान है जिसके खिलाफ इन्क्वायरी हो उसको सस्पेण्ड कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : पंचायत राज है।

श्री अब्दुलजब्बार: उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत भाडासी वहां के सरपंच भागचन्दजी का भतीजा सुरेन्द्रसिंह वहां पर क्लर्की करता है और स्कूल में मास्टर भी है। करोड़ा सरपंच का भाई दो जगह क्लर्की करता है। इसमें क्या दुरुपयोग होता है। यह सरकार जानती है। लम्बे समय तक बात-चीत करें तो करने को तैयार हूं। चरनोट के लिए जमीन दी जाती है ग्रेजिंग लैंड। करेड़ा में इस प्रकार की ग्रेज़िंग लैंड में दरख्त काट कर चूना बनाते हैं, १० आना .. ....

श्री दिग्विजयसिंह: सम्बन्धित मंत्री नहीं है किसको सुना रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री आबकारी एवं कर) : कभी आप कोरम की बात करते हो, कभी मंत्री नहीं होने की बात करते हो, चाहते क्या हो ?

श्री दिग्विजयसिंह: मंत्री भी नहीं है और कोरम भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: I am representing him.

श्री अब्दुलजब्बार: इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत मंढाडी जिसको ५४०) रुपये पीड़ित लोगों में बांटने के लिए २६-६-६५ को दिये थे लेकिन एक पैसा भी नहीं बांटा गया। इसी प्रकार कोटा में ..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अर्ज कर रहा हूं उससे सरकार का भला ही करूंगा ....

श्री परसराम मदेरणा : लिख कर दे दें तो सरकार का भला होगा।

श्री अब्दुलजब्बार : लिखकर भी दे दूंगा। लिख कर पहुंच भी गया है, चिट्ठियां जाती हैं, अधिकारी दबा देते हैं। सरपंच बड़े चालाक होते हैं। वे पूरी सी०आई०डी० रखते हैं। सरपंच और प्रधान रिश्वत देने को यहां तक पहुंच जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो कागज दे दो।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं कागज भी दे दूंगा डेढ पाव वजन है। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने हजारों रुपयों का गबन

(श्री अब्दुल जब्बार)

किया है लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। मुझे भी पंचायत राज में आस्था है, मैं भी विश्वास करता हूं विकेन्द्रीकरण में। लेकिन विकेन्द्रीकरण का रूप क्या हो गया है? यह सरकार का कर्त्तव्य है कि पंचायत राज, जनता का राज्य जनता के हाथ में पहुंचाया जाय सही माने में। यदि सही माने में पहुंचाना है तो गलत आदमियों को फांसी पर चढ़ाओ, गोली मारो। आप तो उनको जेल भेजना चाहते हैं लेकिन हम इससे भी ज्यादा सजा दिलाना चाहते हैं, गोली मारने या शूट करने के लिये कहते हैं, तभी जाकर सफल होगा, अन्यथा कांग्रेस ने पंचायत समितियों को कांग्रेस प्रचार समिति समझा तो ३६ जन्म तक भी कांग्रेस कोशिश कर ले तो भी पंचायत राज सफल नहीं हो सकता, यह मेरी धारणा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह समझूं कि थर्ड रीडिंग में नहीं बोलेंगे? यदि बोलना है तो केवल ५ मिनट ही बोलें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ऑर्डिनेन्स पर बात हो रही है। वैसे ऑर्डिनेन्स नाम ही बड़ा खराब है। जब इस देश में अंग्रेजी सल्तनत थी तब ऑर्डिनेन्स को 'काला कानून' कहा जाता था, लेकिन यह ऑर्डिनेन्स निकला है उसमें ऐसी बात नहीं है जिसके लिये इतना तूल मचे। राज्यपाल आये उस समय भी यही कारण हुआ, इतना हल्ला हुआ, ऐसी स्थिति नहीं है, साधारणसी बात है। एक तो यह है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों को दुबारा शपथ नहीं कराई जाय तो भी काम चलेगा। साधारण सी बात है, क्योंकि उन्होंने शपथ पहले लेली थी। दुबारा चुनाव हुआ उससे पहले एक बार शपथ जब ये लेते हैं तो दुबारा शपथ लेना भली बात नहीं है. इसके लिये संशोधन सरकार लाती है और उससे ५ आदमी जिला परिषद् के सदस्य बन जाते हैं और उनके कारण जिला परिषद् के सदस्य या चेयरमैन हटते हैं तो यहां बैठ कर हल्ला करलें, यह शोभनीय नहीं है। यह मतलब के लिये हल्ला करना है हो सकता है कई जगह विधान सभा के मेम्बर्स जिला परिषद् के प्रमुख हैं चार-पांच आदमियों के शपथ नहीं लेने से हो सकता है जिला परिषद् से हट जांय तो यहां हंगामा करने से क्या होगा? एक बार शपथ लेली तो दुबारा शपथ लें यह कोई दलील है?

दूसरी बात यह है कि जहां पर केसेज चल रहे हैं, किसी ने नैतिकता के विपरीत काम कर लिया है, नैतिकता के अपराध में आजाता है जिनके लिये जांच चल रही है उनको निलंबित कर दिया जाय और निलंबित सदस्य इस प्रकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। इसके खिलाफ बड़े भाषण हुए इधर से और उधर से, यह कहा गया कि इससे तो चुने हुए लोगों की बेइज्जती हो जायगी। चुने हुए लोगों की बेइज्जती तो तब होगी जब चोरी किये हुए लोगों को कुर्सी पर बैठा रहने दें। मुकदमा चल रहा है, पंचायत समितियों में प्रधान सरपंच बने हुए बैठे हुए हैं तो इससे आप चुने हुओं की बेइज्जती है। यदि एक नौकर ५०) रुपया या ७०) रुपया पाता है, नौकरी करता है उस पर यदि चोरी का केस चले तो उसको सस्पेन्ड कर दिया जाता है तो क्या आप स्वयं यह चाहते हैं कि चोरी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

करके भी कोई कुर्सी पर बैठा रहे ? यह कोई बात है ? सरकार ने यह कहा कि जिसने बेईमानी की है, जिसके खिलाफ इन्क्वायरी हो रही है उस नौकर को हटा देते हैं तो आपको क्या अधिकार है कि ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठा रखो, आपको भी हटना पड़ेगा। जब हटाने की बात करते हैं तो कहते हैं बड़ा बुरा हो जायगा, प्रजातंत्र की हत्या हो जायगी। क्यों भाई ? चोरी के लिये सस्पेन्ड करने की बात है, कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हो सकता। आप हमेशा यह कहते आ रहे हैं कि पंचायत समितियों में बड़ा गबन होता है, हल्ला होता है। सरकार कहती है कि गबन होता है तो हम गबन करने वालों को वहां नहीं बैठने देंगे, उनके खिलाफ इन्क्वायरी करेंगे। जब इन्क्वायरी करने की बात कहते हैं तो कहते हैं कि यह तो बुरी बात है। यह तो वही हुआ कोई काम करो तो बुरी बात है नहीं करो तो चुपचाप आपकी गालियां सुनते रहो। जो राज्य चलायेगा उसको सही बातें करनी पड़ेंगी।

पंचायत समितियों के लिये बात कही जाती है वहां कोई न कोई टीस है, कसक है। प्रधान जो काम करते हैं या सरकार जो काम करती है वह पसन्द नहीं आता है तो टीस पैदा होती है। यह कहा जाता है कि करोड़ों रुपये पंचायत समितियों में लुट गये। लुट कैसे गये ? यहां कोई लंगर था ? पंचायत समितियों के जरिये रुपये लुटे नहीं हैं। कर्जा कहीं वापिस होता है तो पंचायत समितियों के जरिये होता है, ८ करोड़ में से ५ करोड़ रुपये वापिस हुए हैं, १२ करोड़ दिये उनमें से ५॥ करोड़ रुपये पी० डी० आर० अकाउन्ट में जमा हो जाते हैं, अगर आपको हिसाब नहीं आता है तो हिसाब आने के कुछ तरीके हैं। उसमें एक तरीका यह है कि प्रत्येक हिसाब और प्रत्येक वाउचर पर आपके जो विकास के जोइन्ट आयुक्त हैं, डाइरेक्टर हैं वे साइन करेंगे तब उसको माना जायगा। अब अगर वह साइन नहीं करें तो हिसाब पड़ा रहेगा। और इस प्रकार करोड़ों का हिसाब पड़ा रहता है। वह हिसाब पंचायत समितियों के लोगों के पास पड़ा हो—ऐसी बात नहीं है। आपके यहां दो सौ, मान लीजिये, तहसीलें हैं तो उनमें काफी हिसाब पड़ा रहता है। इसके अलावा आपके यहां आठ हजार के ऊपर पंचायतें हैं, उनके ऊपर आप खर्च करवाते हैं, कहीं कुआ बनवाते हैं तो कहीं कुछ और करते हैं। उनमें सब में थोड़ा थोड़ा हिसाब रह जाता है। इसके अलावा कहीं पर सरपंच के द्वारा ठीक से हिसाब न लिखने के कारण कुछ गलती रह गई हो तो उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ काम हो सकता है। तो अगर यह कहें कि हमको चुने हुए आदमियों के हाथ में पैसा नहीं देना चाहिए—तो ठीक बात है भाई, हर ग्राम पंचायत में बाबू हों, अब अगर इस प्रकार आठ हजार बाबू हों तो उनके वेतन के रूप में जो दे दिया जायगा उतना तो ग्राम पंचायत में हर साल खर्च भी नहीं किया जायेगा। लेकिन आप कहते हैं कि वहां बाबू खड़े कर दो। आपको तो कोई न कोई बात खड़ी करने की आदत पड़ गई है। अब अगर आठ हजार ग्राम पंचायतों में बाबू खड़े कर दिये तो ग्रामों का विकास क्या होगा ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में खत्म कर देता हूं, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

तो मेरा निवेदन है कि जो सरपंच और पंचायत का बना हुआ है गठन, उसके द्वारा जो काम होता है उसमें यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसको सजा मिले। अब यह आपका मतलब हो कि हम उन पर भरोसा ही नहीं करें और गवर्नमेंट के एक बाबू पर भरोसा करें तो अलग से अगर बाबू रखेंगे सौ, सवा सौ का तो दस-पन्द्रह लाख का अलग से बजट का खर्च हो जायगा। इसलिए जैसा मेरा निवेदन है कि जो नौकर-पेशा हैं उनको बदलने का अधिकार राज्य सरकार को है। प्रधान को क्या अधिकार है कि पंचायत समिति में कोई मास्टर नौकरी करता है, उससे प्रधान नाराज हो जाय तो वह जिला परिषद् से कह कर उसको कहीं दूर भेज दे और उसको तंग करना शुरू कर दे और फिर वह व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात को लेकर जाय। तो अगर सरकार इसका अधिकार ले लेती है तो सारी सर्विसेज़ का अधिकार सरकार के पास ही है, इसमें भी उसे अधिकार हो जाय तो क्या दिक्कत है? आप चाहते हैं कि चोर को छोड़ दिया जाय ताकि पैसा ज्यादा खर्च हो। मैं समझता हूं कि सर्विस क्लास में कोई आराम का खाता है या बेईमानी करता है तो उसको वहां से हटा दिया जाय। यह जो कहा जाता है कि वोट देने का जिनको कानूनी अधिकार है वह लोग ही गड़बड़ी करते हैं—इसमें ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह कहना गलत है कि इसको जनता की राय जानने के लिए भेज दिया जाय। इसमें क्या राय की जरूरत है? इसमें केवल तीन बातें है इसलिए इसको चक्कर में डालने की बात नहीं करनी चाहिए और इसको तुरंत पास कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): उपाध्यक्ष महोदय, जो २२ जनवरी, १९६९ का अध्यादेश.........

(श्री जोधसिंह चौहान के अतिरिक्त श्री कृष्णकुमार गोयल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष: केवल एक बोलें।

श्री जोधसिंह चौहान : २२ जनवरी, १९६९ का जो अध्यादेश, ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। इस सरकार को इस प्रकार का अधिकार तो है, ऑर्डिनेन्स लाने का अधिकार है, लेकिन सरकार को इस प्रकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा तो यह होता कि सरकार विधान सभा का सत्र बुलाती और उसमें इस प्रकार का बिल पेश करती। हमारे मेवाड़ में एक कहावत है 'मंगती को मिली एक बाटकी, खाली पीट पीट कर उसे फोड़ दी'। इसलिए सरकार के हाथ में जो सत्ता है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार ने जितने ऑर्डिनेन्सेज लागू किये हैं वह विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए, विरोधी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार ने वह अध्यादेश बार बार जारी किये हैं। वैसे आज भी कांग्रेस की पंचायतों में कितना ही गबन होता है और कितना ही उनमें घोटाला होता है—जिसके सम्बन्ध मैंने प्रधानों के खिलाफ इस सदन में जानकारी भी पेश की थी, पत्र पेश किये थे लेकिन उसके बारे में उल्टे मुख्य मंत्रीजी यह

(श्री जोधसिंह चौहान)

कहते हैं कि यह बात सत्य नहीं है। मैं कहता हूं कि वह सत्य है या नहीं हैं- इसका न्याय तो न्यायाधीश ही करेगा। लेकिन इस प्रकार की बात मुख्य मंत्री को अपने मुंह से इस विधान सभा के समक्ष कहना, मैं समझता हूं, शोभा नहीं देता है। मैं एक नहीं कई उदाहरण पेश करूंगा अभी मंत्री महोदय के सामने। हमारे गोगुन्दा के एक पुराने सरपंच हैं, देवीलाल और गोगुन्दा के अभी प्रधान हैं श्री कृष्णकुमार जी,......

कृष्णकुमारजी: एक माननीय सदस्य ?

श्री जोधसिंह चौहानः श्री कृष्ण गोपालजी। वह कांग्रेस के प्रधान हैं। उन्होंने वहां ओवरसियर से मिल कर बिना पंचायत समिति की स्वीकृति के १-१०-६५ को गणेश इन्जीनियरिंग कोर्पोरेशन से ४.२ टाइप का हैण्ड पम्प खरीदा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): लिख कर दे दिया है।

श्री जोधसिंह चौहानः मैं निवेदन करता हूं कि वहां पंचायत समिति को किसी प्रकार के हैण्ड पम्प की आवश्यकता नहीं थी। उसने किसी प्रकार का टेण्डर नहीं मांगा, उसने किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। लेकिन इस प्रकार बहुत बड़ी धनराशि, मैं समझता हूं, सत्तर पिचहत्तर हजार रुपये की धनराशि बिना आज्ञा के, बिना मंजूरी के, बिना टेण्डर के, बिना अखबार में छपवाये, गोगुन्दा के प्रधान ने इस प्रकार खर्च की है। वह जो हैण्ड पम्प खरीदा उसका टेण्डर लिया गया, वह एक गणेश इन्जीनियरिंग कोर्पोरेशन से टेण्डर लिया गया बिल्कुल फर्जी तौर पर और ४.२ टाइप का हैण्ड पम्प लिया गया, जो टेण्डर लिया गया वह ३८९.७१ के हिसाब से लिया गया। लेकिन जब खरीदने लगे तो वह बी-२ टाइप का खरीदा, जिसकी बाजार में कीमत है १८५ रुपये। वह ३८१ रुपये ७१ पैसे के हिसाब से खरीदा गया। इस हिसाब से, मैं समझता हूं, कुल पम्प के ४८,५८८.७५ नये पैसे दिये गये। जब कि १८५ रुपये के हिसाब से खरीदा जाता तो २४,३७५ की उसमें सरकार को बचत हो जाती। यह बिना मंजूरी के, बिना आज्ञा के, बिना कोई टेण्डर लिये, इस प्रकार घोटाला किया है। इसके अलावा पाइप खरीदे हैं...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: उसका क्या करेंगे ?

श्री जोधसिंह चौहानः पाइप हैण्ड पम्प में लगाने को। इस प्रकार घोटाला किया है और ७५,८१०.७५ नये पैसे का माल बिना पंचायत समिति की स्वीकृति के खरीदा है। उस समय पंचायत के विकास अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे फिर भी उनके जो असिस्टेन्ट थे...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: इतना अगर पंचायत समिति की स्वीकृति के बिना दे दिया जाता है तो हमें भी शिकायत है। इसकी जांच करा लीजिये।

श्री जोधसिंह चौहान : ए० ई० ओ० वह वहां होते हैं और उनके साथ मिल कर इतनी कीमत का पम्प वहां खरीदा जाता है। वह वहां पड़ा हुआ है। उसको पंचायत समिति नहीं चाहती है।

Page No. 94

(श्री जोधसिंह चौहान)

इसके अलावा एक छोटा सा मामला और है। बंगोरा के एक पुराने सरपंच हैं, उनके खिलाफ सरकार ने केस चला रखा है। जब वह चुनाव में खड़े होने लगे तब उनसे कहा, चुनाव में खड़े होओगे तो तुम्हारे खिलाफ केस चलायेंगे। उस केस का फैसला आज तक नहीं हुआ है और तीन-चार साल हो गये हैं। क्योंकि वह विरोधी पार्टी का व्यक्ति है इसलिए उसका फैसला नहीं करते हैं। इस तरह लोगों को दबाते हैं। जब चुनाव लड़ने लगा प्रतापसिंह-तो उनको कहा गया कि तुम चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलायेंगे। यही नहीं, मैं यह और कहना चाहता हूं कि कुम्भलगढ़ के प्रधान के चुनाव के मुकाबले में एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसको रातों रात जाकर बैठाया गया और बाद में उसको आयुर्वेद विभाग में असिस्टेन्ट कम्पाउन्डर बनाया गया जब कि उसमें कम्पाउन्डर बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है। वह चुनाव में खड़ा हो रहा था इसलिए रात में जाकर उसके साथ बात की गई और बाद में आयुर्वेद विभाग में नौकरी दी गई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: कब बैठाया गया ?

श्री जोधसिंह चौहान: मैं बतला रहा हूं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का बिल लाकर, इस प्रकार जनता को तंग करना या विरोधी व्यक्तियों को तंग करना सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। अगर सरकार वास्तव में जनतन्त्र में विश्वास करती है तो उसे जनता की आवाज को मानना चाहिए। मैं कहता हूं कि जहां विरोधी पार्टी के लोगों की गलती हो वहां उनको सजा देनी चाहिये। लेकिन यह नहीं कि विरोधी पार्टी के जहां लोग हैं वहां तो प्रो-मॉडिट सिस्टम लागू करें और जहां पर आपके लोग होते हैं वहां मनमाने ढंग से पैसा खर्च कर दें, इस प्रकार आप जो गांवों के अन्दर विकास करना चाहते हैं तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उसकी ओर ध्यान दे और दूसरे पंचायत राज का सबको लाभ उठाने दे। यही मेरा निवेदन है।

(४ म० प०)

(दो माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करूंगा कि आप थर्ड रीडिंग पर बोलें।

श्री रूपलाल (हिन्डौन-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस का कोरम पूरा नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान: पंचायत राज्य में विश्वास नहीं करते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आप विराज जावें।

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में दो प्रकार के प्रस्ताव आये हैं। एक तो यह कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे और दूसरा यह कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे। मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं। लेकिन जहां तक कुछ मुद्दे की बातें माननीय सदस्यों

Page No. 95

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने कही हैं, मैं यह उम्मीद करता था कि पिछली बार जो घटना २६ तारीख को हुई और उस पर जो वाद-विवाद हुआ और जिस पृष्ठभूमि में यह ऑर्डिनेन्स निकाला गया उसकी सारी जानकारी मैंने सदन के सदस्यों को दी थी और वह विगतवार और तारीख वार दी थी और महाराजा बीकानेर की चिट्ठी का जिक्र भी मैंने किया था और जिसके लिये यह कहा गया, वे हमारे सदन के सदस्य भी हैं और जिला परिषद् भरतपुर के प्रमुख भी हैं, उन्होंने भी यह माना कि उनके अविश्वास के प्रस्ताव से इस ऑर्डिनेन्स का कोई सम्बन्ध नहीं था और मैं माननीय सदस्यों को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य जिला परिषद् के प्रमुख और इस सदन के सदस्य हैं उन्होंने यह माना है कि कोइन्सीडेंस है और यह उनके लिये ऑर्डिनेन्स नहीं निकाला गया। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की बहस सदन में नहीं होगी मगर फिर भी कई माननीय सदस्यों ने इसको दोहराया और कहा कि इस वजह से माननीय सदस्यों को उत्तेजना पैदा हुई और इस प्रकार का व्यवहार गवर्नर महोदय के साथ किया गया। जहां तक ऑर्डिनेन्स का प्रश्न है, मैंने अर्ज किया कि ऐसा प्रश्न पैदा हो गया कि जिला परिषदों में एम०एल० एज़० और एम० पीज़० को भाग लेने दिया जावे या नहीं, उनको वहां पर भाग लेने से वंचित रखा जावे या नहीं और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अरजेन्सी क्या हो सकती थी ? गवर्नमेन्ट ने महसूस किया कि एम०एल० एज० और एम० पीज़० जिनकी कोन्सटीट्यूएन्सीज़ का प्रश्न है और जिनको जिला परिषद् और पंचायत समितियों में कुछ कन्सट्रक्टिव काम करने के लिये पूरा हक है, उनको इससे वंचित रखा जावेगा तो यह ठीक नहीं होगा इसलिये हमने इस ऑर्डिनेन्स को निकालने की जरूरत समझी और इसलिये इस ऑर्डिनेन्स को निकालना पड़ा। जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि आर्डिनेन्सेज नहीं निकलने चाहिये। मैं खुद इस बात को मानकर चलता हूं कि जब ज्यादा जरूरत नहीं हो तो ऑर्डिनेन्स नहीं निकलने चाहिये और आवश्यकता होने पर ही ऑर्डिनेन्स निकाले जाते है। जैसा मैंने इस पर्टीकुलर ऑर्डिनेन्स के लिये कहा कि पंचायत राज्य संस्थाओं से एम०एल० एज़०और एम०पीज़० को भाग लेने से वंचित नहीं रखा जा सकता।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) . इस ऑर्डिनेन्स का निकाला जाना जरूरी था और अगर नहीं निकालते तो एक्स ऑफिसियो मेम्बर.... ......

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूरी था मैं आपको बताना चाहता हूं कि १५-२० एम०एम०एज़० और एम०पीज़० हैं। आप चाहें तो मैं उसकी लिस्ट दे सकता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : भरतपुर के अलावा कितने थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : भरतपुर के अलावा बता रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस प्रकार आपको जिला परिषद् भरतपुर का नाम याद है उसी प्रकार इसके अलावा कितने स्थान हैं आप बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : कई एम० एल०एज़० और एम०पीज़० हैं। नाम तो उनके मेरे पास नहीं हैं।

श्री मानसिंह मद्दार (आमेर) : कई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप नहीं हैं, मैं कह सकता हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने पंचों, सरपंचों और प्रधानों के लिये सस्पेन्शन के पॉवर्स के बारे में कहा और कहा कि ये पॉवर्स क्यों लिये, मैं समझता हूं कि इसमें समझने में कुछ गलतफहमी हुई है। इस प्रकार के पॉवर्स तो पहले ही हैं। मगर पहले जो सरपंच और प्रधान वगैरा थे उन्होंने गबन कर लिया या कोई ऑफेन्स कर लिया और उसके बाद उनकी टर्म समाप्त हो गई और वे लोग फिर दुबारा चुन कर आ गये तो उनके लिये पिछले टर्म में हुई गड़बड़ियों, एम्बेज़लमेंट आदि के लिये एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिये ....

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : आपने जिन्होंने गबन किये ....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जरा सुनें, मैं बता रहा हूं। एक सरपंच है और कल उसकी टर्म खत्म होजाती है और वह फिर दुबारा चुन कर आता है। आज उसने गबन किया और पहले की टर्म में उसने जो एम्बेज़लमेंट किया उसके लिये उसका चालान भी हो गया और वह गिरफ्तार भी हो गया और फिर भी वह सरपंच का काम करता रहता है। ऐसी हालत में हमारी हालत अजीब सी हो जाती है। एक व्यक्ति उस पंचायत समिति का गबन करे, उसके खिलाफ केस चले और वह वहां का सरपंच बना रहे। कोई कागजात हों उनको वहां से गायब भी करदें। फिर भी हम उसको सस्पेण्ड नहीं कर सकते। इसलिये हाई कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले ऑफेन्स में सस्पेन्ड नहीं किया जा सकता है इसलिये उसको मौजूदा समय में सस्पेन्ड किया जा सकता है। पहले माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछली कार्यवाहियों पर उसको डिसक्वालिफाई किया जावे अगर वह आदमी चुन कर आ जावे और ऑफेन्स किया हो तो वह अवश्य ही कागजों को गायब भी कर देगा। इसलिए अगर इस प्रकार के व्यक्ति को अगर हम उस पंचायत समिति में रखते हैं तो हम उस पंचायत समिति के काम को खराब ही नहीं करते हैं बल्कि उसको इस बात का मौका देते हैं कि वह अपने खिलाफ जितने भी पुराने कागजात हों, जो वजह सबूत में काम आ सकते हों उनको गायब करदे, इस बात का उसको मौका दे रहे हैं। कुछ मौके ऐसे हैं जब सरपंच जेल में है तो भी वह सरपंच का एलाउन्स ड्रॉ करेगा। चाहे उसका चालान हो गया हो फिर भी हम कानून से उसको सस्पेन्ड नहीं कर सकते। यह जरूरी था इसलिए इसको किया गया है।

दूसरी बात, 'मोरल टर्पीट्यूड' ऐसा है कि चाहे जिधर इसको खींचिये इसको डिफाइन नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि 'मोरल टर्पीटयूड' किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किया गया है। यह तो वेल-डिफाइन्ड है। दी लॉ हेज़ बीन वेल डिफाइन्ड। इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रिन्सिपल जारी कर दिये हैं और इसको डिफाइन करना जरूरी नहीं है। आज सिविल सप्लाई के लिए कानून बनायें कौनसा मोरल टर्पीट्यूड उसके लिये जुडिशियरी में डिफाइन किया गया है कि यह 'मोरल टर्पीट्यूड' है या

Page No. 97

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं। इसलिये यह कहना कि "मोरल टर्पीटयूड" जिसको चाहेंगे उसको उसमें ले लेंगे, यह बात नहीं है। इसमें जो भी उसके सिद्धान्तों में आवेगा वह 'मोरल टर्पीट्यूड' माना जावेगा। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि इसमें ट्रान्सफर्स का प्रोविजन है। कई माननीय सदस्यों ने इसको अपवाद के रूप में काम में लेने के लिए कहा है। मैं यह निवेदन कर दूं कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ट्रान्सफर टीचर्स के बारबार होते हैं और उनको दिक्कत आती है। इसलिए सर्विसेज में कम से कम डिसकन्टेन्टमेंट हो इसके लिये यह रखा गया है कि आज उदयपुर का रहने वाला है और अलवर में है अगर आज के प्रोविजन को एप्लाई किया जावे तो कभी भी उसका ट्रान्सफर अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता। इसलिये कम तनख्वाह पाने वाले लोग अपने घरों के नजदीक रह सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुये यह प्रोविजन रखा गया है। कोई और मंशा नहीं है। और यह भी अपवाद के रूप में काम में लिया जावेगा। इसलिये माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपने प्रस्ताव पेश किये हैं उनका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने प्रस्तावों को मेरे जवाब के बाद वापिस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): 'हां' पक्ष जीता।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: I put it again.

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत परिनियत संकल्प को पारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पर जो संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने के लिये तीन महीने के लिये प्रसारित किये जाने सम्बन्धी हैं, वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस बिल को प्रवर समिति को सौंपने बाबत प्रस्तुत किया गया है उसको पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

खण्ड २, ३ और ४ में कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ एवं ४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड २, ३ एवं ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए।

(विराम)

खण्ड ५।

श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा-मलानी): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में मैंने एक संशोधन मूव किया है जो इस प्रकार है—

"Add the words "Or Zila Parishad, or one Zila Parishad to another Zila Parishad" between the words "another Panchayat Samiti" and "whether within".

इस एक्ट की धारा ८६ की (६) ए. अब तक है उसमें स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह है:

"स्थानान्तरण सरकार जब चाहे एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कर सकती है।"

मेरा इसमें संशोधन यह है कि पंचायत समिति में काम करने वाले सेवा सदस्यों के साथ साथ जिला परिषद् के सेवा सदस्यों को भी शामिल कर लेना चाहिये। सेवाओं के सब प्रकार के सदस्य जिला परिषदों में नहीं हैं, मिनिस्टिरीयल स्टाफ और कुछ दूसरे काम करते हैं पर जिला परिषदों को इसमें शामिल करना आवश्यक होगा। केवल पंचायत समितियों के बारे में अधिकार हाथ में लेने से कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार के हाथ में जिला परिषद् की सेवा के सदस्यों के सम्बन्ध में यह अधिकार नहीं रहेगा। इसलिये यह आवश्यक है।

दूसरे, मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि पंचायत समिति और जिला परिषद् की सेवाएं, पंचायत समितियों की सेवाएं हैं ये राज्य सेवाएं नहीं हैं, एक आपत्ति बाद में राजस्थान सरकार के सामने आ सकती है। इन सेवाओं की अपोइन्टिंग ऑथोरिटी पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं, उन सेवाओं के ट्रान्सफर के अधिकार सरकार को हैं या नहीं, इसमें वैधानिक आपत्ति आ सकती है। क्योंकि उनका कॉन्ट्रेक्ट सर्विस का है वह जिला परिषदों और पंचायत समितियों के साथ में है। सरकार कोई आदेश उन सेवाओं को दे और वे लोग सरकारी आदेश का पालन नहीं करें तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही सरकार उनके खिलाफ नहीं कर सकती, इस प्रकार की आपत्ति भी बाद में सरकार के सामने आ सकती है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि 'पंचायत समिति' के साथ 'जिला परिषद्' शब्द जोड़ दिया जाय।

Page No. 99

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री) : जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रोपोज़ किया है इसकी आवश्यकता इसलिये नहीं है कि जिला परिषद् की कोई सर्विस अलग नहीं है। कुछ क्लर्क, मिनिस्टिरियल स्टाफ रहता है, टीचर्स, ग्रामसेवक आदि की अलग सर्विस नहीं है, इसलिये इसे अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है, मामूली दो चार क्लर्क रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw ?

श्री गंगाराम चौधरी : हां साहब, मैं विदड्रॉ करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की इजाजत है कि विदड्रॉ करने दिया जाय ?

(स्वीकृति)

इजाजत दी गई।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : बिल्कुल नहीं।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का प्रिएम्बल, टाइटल, इनेक्टिंग फॉर्मूला एवं क्लॉज़ १ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

विधेयक का प्रिएम्बल, टाइटल, इनेक्टिंग फॉर्मूला एवं क्लाज १ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए।

श्री दामोदरलाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत क्लॉज (अमेंडमेंट) बिल, १९६६ पारित किया जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष, मैं नहीं चाहता था कि इस पर बोलूं क्योंकि विरोधी पक्ष की ओर से मांग रखी गई थी इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय......

श्री दामोदरलाल व्यास : इधर से भी की गई थी।

श्री मानसिंह महार : खास कर जब कांग्रेस पक्ष के लोगों ने भी यह मांग रखी तो मैंने समझा कि इतनी रीज़नेबल बात को मन्त्री महोदय मान लेंगे, पर यह दुर्भाग्य की बात है कि वे अपनी जिद् पर अड़े हुए हैं, वे पंचायती राज की हत्या करने पर तुले हुए हैं, इस काले-कानून को जो कि ऑर्डिनेन्स के जरिये पंचायत मिनिस्टर ने, अब जो बैकडोर से आये हैं........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): बैक डोर से कैसे आये, सामने से आये हैं।

श्री मानसिंह महार:—यह तो आपकी आदत पड़ गई है, गवर्नर साहब भी बैक-डोर से भागते हैं, तो आपकी तो क्या चलाई?

(विराम)

मैं निवेदन कर रहा था......

श्री गिरधारीलाल व्यास: वह तो मुकाबला करके आए धौलपुर से।

श्री मानसिंह महार: वह बात मैं नहीं करता। यह कानून बैंकडोर से आया उसकी बात कर रहा हूं। जब विधान सभा सैशन में न हो और फिर इस सदन में कानून का रूप दिलाना, इसको मैं बैंकडोर मानता हूं। आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आपका मुख-बंद है। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार का नाजायज मुख-बंद हो, यह भी एक प्रकार लोकतंत्र की हत्या है। मैं एक सरपंच होने के नाते यह कहता हूं कि इस चीज के दो पहलू हैं। कुछ हद तक यह उचित है कि सरकार को पॉवर दें और सरकार को पॉवर देने में हर्ज भी नहीं है लेकिन सवाल पात्र और कुपात्र का है। हम जिसको पॉवर देने जा रहे हैं वह इस लायक है या नहीं? इस पर बड़ी गंभीरता से हमको विचार करना होगा और हम विचार करें इससे पहले जब उस पक्ष में बैठने वाले जब इसी कानून पर हां या न आएगा वही लोग जिन्होंने यह कहा है कि इसे जनमत जानने के लिए या सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, वह कहेंगे हां पारित किया जाय। मैं आपसे निवेदन करूं कि उन लोगों को हम क्या कहें, जो पांच मिनट पहले कहते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजें और व्हिप भी नहीं है पार्टी का तो फिर पार्टी को दोष क्या दूं? वह तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने कोई व्हिप इश्यु नहीं किया लेकिन जैसे ही डिविजन बेल बजी, लोग बाहर से दौड़े-दौड़े आएंगे। कुछ नहीं देखेंगे कि इस कानून में क्या है, आस्तीन का सांप है या काला सांप है। सिर्फ राग अलापेंगे कि हां पारित होना चाहिए। तो इसलिए तृतीय वाचन पर मुझे खड़ा होना पड़ा है। उधर बैठने वाले मित्रों को मैं अपील करना चाहता हूं कि यह बहुत खतरनाक बात है।

आप सोचिए कि हम पंचायती राज की इतनी ऊंची ऊंची कल्पना करें उस पंचायती राज में यह कानून अगर लागू हो गया तो राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिस पंचायत राज के मंत्री श्री एस० के० डे रहे उसको ही हटा दिया गया क्योंकि ऐसे काले कानून उनके जरिए उनके नीचे ही आने लगे, उन्होंने बहुत इसका प्रचार किया और खुद नागौर से एम० पी० बन कर गए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत ही खतरनाक कानून है। मैं मंत्रीजी को संकेत देता हूं कि अगर डेमोक्रेसी बचानी है, अगर भारत में लोकतन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं तो कम से कम ये दो शब्द कह दें कि अगर कांग्रेसी पक्ष के सरपंचों की या जिला प्रमुखों की शिकायत आएगी तो उस पर जरूर ध्यान देंगे और अगर विरोधी पक्ष की शिकायत आएगी तो जरा सोचेंगे। मगर सोचना समझना कुछ नहीं। मैं जानता हूं, किसी इन्डिवीजूअल केस को रेफर नहीं करूंगा सोमवार तक... ...

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्यों नहीं ?

श्री मानसिंह महार : सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठूंगा, इसलिए कि कुछ इन्डिवीजुअल केसेज ऐसे हैं जिनमें मोरल टर्पीट्यूड हुआ, जिनके अंदर ऐसे ऐसे अन्याय हुए हैं, लेकिन यह सरकार लोगों को शील्ड करती है.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : कौनसी तारीख से ?

श्री मानसिंह महार : सोमवार से, ऐलान सुन लीजिए । ऐलान करके कहता हूं । मेरी मांग पूरी नहीं होगी तो चाहे भूख से मर जाऊंगा मेरी मांग उचित है और सरकार ने अगर नहीं मानी तो फिर क्या होता है, देखिएगा । मैं उस चीज पर अब नहीं जाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : हिंदू शास्त्र के अनुसार आत्मघात एक पाप है ।

श्री मानसिंह महार : मगर हम जो राक्षसों के राज में रहते हैं तो शास्त्रों को बलाए ताक रखना पड़ता है और आत्मघात भी दुर्भाग्य से करना पड़ता है । हिंदू होते हुए भी मुझे दुष्कर्म करना पड़ेगा । मैं आपसे क्या निवेदन करूं ? यह प्रश्न वैसे ठीक दीखता है । इसके सामने जब सवाल आया तो हम जानते हैं कि कई सरपंच और प्रधान ऐसे हैं जयपुर में जिनको सस्पेंड कर दिया सरकार ने, लोगों ने हाई कोर्ट में रिटें की । यह सरकार पर बहुत बड़ा अंकुश है, वह अंकुश अच्छा भी है वह इसलिए कि सरकार सबको एक लकड़ी से नहीं हांकती । कुछ लोगों के साथ पक्षपात किया कुछ लोगों के लिए सोफ्ट कोर्नर होता है हृदय में उस सोफ्ट कोर्नर से लोगों को सस्पेंड नहीं किया । उससे कहीं कम गलत काम करने वालों को फौरन सस्पेंड कर दिया जैसे कि टोंक जिले से आने वाले विधायकों ने कहा कि इस कानून के आते ही वे जान गए कि अब सरपंचों और पंचों की जिंदगी खतम हो चुकी....

श्री दामोदरलाल व्यास : उनका कोई नहीं है ।

श्री मानसिंह महार : टोकरावास में बैठा था और सदन में एक माननीय सदस्य जिनकी कॉन्स्टीट्यूएंसी में वह हैं, उन्होंने आपको कहा था कि आप उस सरपंच को दबा रहे हैं कि डूंगर डेथ हुआ यह बात मत कहो । वह सरपंच लीडर के कमरे में बैठा हुआ था । वह कह रहा था कि कलेक्टर और एस० डी० ओ० मुझे दस दिन से लिये लिये फिरे और आज भी वह इसलिए आ गया कि जिस ट्रक में वह बैठा था वह उलट गई । राजस्थान के राजस्व मंत्री ने ही उस ट्रक को उलटवाने की योजना बनाई होगी, क्योंकि टोकरावास तो राजस्व मंत्री के लिये हव्वा हो रहा है । पंचायत मंत्री आग लगाकर खुद दूर ही दूर बैठे हुए राजस्व मंत्री की घिग्गी बना रहे हैं । जवाब देने में एक झूठ को रोकने के लिए १०० झूठ बोल रहे हैं । तो टोकरावास का सरपंच कह रहा था कि यह तो गले मेरे ही पहले लगेगी । अगर जनतंत्र की हत्या नहीं करनी है तो उस सरपंच पर रहम खायेंगे लेकिन यह कलंक आपके ललाट पर लगेगा । मैं भी सरपंच हूं । यह तलवार जनता के चुने हुए नुमाइंदों पर सरकार ने लटका दी है यह गलत है, इस तलवार को मत लटकाइए, इससे बहुत बड़ी चीज नहीं होने

(श्री मानसिंह महार):

वाली है। मैं तो इस ऑर्डिनेन्स का स्वागत करूंगा। मगर कब ? जब सरकार इस सदन में खड़े होकर एलान करे कि इस कानून के तहत चाहे कांग्रेस पक्ष का भी सरपंच, प्रधान, प्रमुख या पंच हो और अगर उसके विरुद्ध सही शिकायत की जायगी तो उसको भी उसी प्रकार सस्पेंड किया जायगा जैसे कि विरोधी पक्ष के आदमी को। मैं आपसे सही कहता हूं कि अगर विरोधी पक्ष के पांच सरपंचों की ऐसी शिकायतें आएंगी तो कांग्रेस पक्ष की ५०० आयेंगी। मैं यह दावे के साथ कहता हूं लेकिन यह नहीं होगा इनमें....

श्री गिरधारीलाल व्यास : विरोधी पक्ष के हैं कितने ?

श्री मानसिंह महार : मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ खुशामदी टट्टू बीच-बीच में डिस्टर्ब करते हैं। वह किस मुंह से कहते हैं कि इसे सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय। लेकिन आजकल इस संसार में कलियुग के आने से दुनिया में शर्म भी नहीं रही, शर्म जैसी चीज को भी उठाए ताक रख देते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप तो सतयुग के हो।

श्री मानसिंह महार : जरूर। स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ सतयुग के अवतार हैं, आपका विनाश करने के लिए हम पैदा हुए हैं। मैं मन्त्रीजी को सीरियस सुझाव देना चाहता हूं कि वे प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि किसी प्रकार का अत्याचार न हो। तो उनको चाहिये क्या ? इस काले कानून में कुछ स्याही या लाली लाने के लिये उनको एक कमेटी बना देनी चाहिये पांच आदमियों की जिसमें कुछ कांग्रेस पक्ष के मित्र हों और कुछ इधर बैठने वाले भी हों, वे इन केसेज की जांच करें कि कौन वाकई ऐसा केस है जिसमें उसको सस्पेन्ड किया जाय। यह मन्त्रीजी कमेटी बना दें तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कमेटी नहीं बनाई और खुदाई खिदमतगार अपने आपको समझ कर यह करना चाहते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं मानता हूं कि पंचायत समितियों में जिनमें सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है उन समितियों में गबन, पक्षपात, डाकेजनी का बोलबाला है। यह सब होते हुए भी मन्त्रीजी पॉवर्स अपने हाथ में ले लेंगे तो वे कुछ कर नहीं सकेंगे। उन पर दबाव आते हैं यह मैं जानता हूं, उनको दबना भी पड़ता है। मैंने सरकारी कर्मचारियों और विकास अधिकारियों से बात की, डवलपमेंट के ऊंचे ऑफिसरों से बात की। उन सब की मजबूरियां हैं। वे कहते हैं कि क्या करें। विकास अधिकारी कोई काम हो रहा है इनडिपेन्डेन्टली विरोध करता है तो उसकी सी० आर० बिगाड़ दी जाती है, विकास अधिकारी को परेशान किया जाता है, उसको तंग किया जाता है। मैं तो तब जानूंगा जब विकास अधिकारियों को मंत्रीजी यह कह देंगे कि नाजायज काम होता है तो उसको रोको। इस प्रकार का सरक्यूलर वे भेजें तब भी जानें। लेकिन वे नहीं भेजेंगे। आपने मंत्री होने के बाद एक दो सरक्यूलर भेजे हैं इस तरह कि विकास अधिकारी को इन्टरफियर नहीं करना चाहिये। आपने सरक्यूलर भेजे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी या प्रधान कैसा भी काम करे उसमें विकास

(श्री मानसिंह महार)

अधिकारी इंटरफियर न करें। यह आपका सरक्यूलर है। बी०डी०ओ० गोविन्दगढ़ ने कहा कि इस प्रकार का सरक्यूलर आया है। मैंने कहा बी०डी०ओ० ऐसी कैसे बात करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक केस को रेफर कर रहा हूं। मैंने कहा आपके होते हुए इस प्रकार की गलत बात होती है, गलत तकावियां सेंकशन होती हैं तो बी०डी०ओ० ने साफ कहा कि इस प्रकार का सरक्यूलर आया है। आप उसको देख लीजिये। मैं आज तो वह सरक्यूलर नहीं लाया हूं। विकास विभाग से मंगा कर मंत्रीजी स्वयं उसको देख लें, वे जांच कर लें, शब्दों में आना दो आना हेर--फेर हो सकती है लेकिन उसकी मंशा यही है कि विकास अधिकारी जितने गलत काम होते हैं पञ्चायत समितियों में उनके लिये मौन रहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): सोलह आना असत्य।

श्री मानसिंह महार: मैं निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कहता हूं वह तीव्र बुद्धि वालों के लिये कहता हूं, मंद और मोटी बुद्धि वालो के लिये नहीं कहता हूं। एक एक वर्ड पर जायें उसके लिये मैंने पहले ही कह दिया कि उसके लिये मैं नही कहता। लेकिन एक सरक्यूलर में माननीय मंत्रीजी ने यह शो किया है निश्चित रूपसे, आपने दस्तखत न किये होंगे तो कमिश्नर ने या ज्वाइंट डवलपमेंट कमिश्नर ने किये होंगे लेकिन वह सरक्यूलर आपके आदेश से गया है। उससे पंचायत समितियों की हालत ज्यादा खराब हुई है। आप कुछ भी कहेंगे। मैं यह कहता हूं। आज आप डिनाई कर देंगे तो बीच आफ प्रिवीलेज लाऊंगा। जवाब देना सोच समझ कर। मैं भी जानकारी रख कर बात करता हूं। बात बतायें। आप सही ढंग से बात करिये यह जो अधिकार लेने की बात है वह खतरनाक है। सरकार सब अधिकार अपने हाथ में ले यह प्रजातंत्र की हत्या है। उपाध्यक्ष महोदय, इन चीजों पर विचार करना है। फिर भी लेते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय मैं एक सरपंच हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: बोगस।

श्री मानसिंह महार: बोगस एम०एल० ए० ऐसी बात कहें, तो मुझे सुनने में कोई बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

यह तृतीय वाचन है। अभी मौका है इस काले कानून को रोकने के लिये उधर बैठने वाले सदस्यों को अपनी ओर ले आऊं या मंत्रीजी को आप इस बात के लिये तैयार कर सकें कि इस कानून को अभी भी रोक दें तब जानता हूं। मैं जानता हूं सफाई का युग शुरू हो गया है। मैंने जो बात कही है उसकी सफाई की बात होने लगी है। मंत्री, उप-मंत्री दोनों दौड़ने लगे हैं। डिफेंस की बात करने लगे हैं। डिफेंस हुआ तो मैं जानता हूं कि सरक्यूलर के होते आप नहीं नट सकते।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अधिक समय नहीं लूंगा।

इस प्रकार की चीजें होते हुए आपको

(श्री मानसिंह महार)

यही करना है कि विकास अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को थोड़ा मजबूत करिये। आप देखिये कि विकास की जीपों का पंचायत समितियों में दुरुपयोग होता है। हर प्रधान अपनी घरू जीप समझता है— कैसे होता है वह?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कानून की मंशा ही नहीं है जिस विषय पर बोल रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : बड़ा दुख है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गिरधारीलाल व्यास: इररिलेवेन्ट।

श्री मानसिंह महार : I strongly object to this gentleman's interruptions. I very strongly object

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं, आप से नहीं।

श्री मानसिंह महार : मैंने पहले ही कह दिया था कि मोटी बुद्धि में बात नहीं आये तो क्या करूं, उपाध्यक्ष महोदय? मैं कितना रिलेवेन्ट बोल रहा हूं। मंत्रीजी कन्विन्स होते जा रहे हैं!

श्री दामोदरलाल व्यास : इससे टाइम अधिक लगेगा।

श्री मानसिंह महार : हम दो घंटे और अधिक बैठ जावेंगे। जितने ऑर्डिनेन्स लावेंगे हम विरोध करेंगे!

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : जो पर्पज बताया वह पर्पज उससे सर्व नहीं होगा।

श्री मानसिंह महार : मैं आपसे निवेदन करूं कि इसके दोनों पहलू हैं। यह मैं नहीं कहता। मंत्रीजी खड़े होकर आश्वासन दे दें इस सदन में कम से कम। आयन्दा ६-७ महीने बाद मीट करेंगे। सदन बुलाने का कष्ट ही नहीं करते। यही एक ऐसा प्रान्त है जहां पर विधान सभा को इगनोर किया जाता है। छः महीने बाद नक्शे पेश कर देंगे मंत्रीजी के सामने। लेकिन सदस्यों को यह विश्वास करायें कि विन्डिक्टिवनेस से कोई बात नहीं करेंगे। दोनों पक्ष, चाहे विरोधी पक्ष या कांग्रेस पक्ष के हों, दोनों को एक ही लकड़ी से हांकेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे तो फिर उस पर विचार करेंगे। लेकिन जो गलत बातें होती हैं, उनको सदन में ही नहीं कहें तो कहां कहें। मैं जानता हूं मंत्री लोग इस सदन को क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते। मैं ला रहा हूं। लेकिन मैं विषयान्तर नहीं जाना चाहता। लेकिन मंत्रियों का इन कुर्सियों पर बैठने के बाद दिमाग पीछे चला गया। आंखें मोटे होने से गड़ जाती हैं दिखना भी कम लग जाता है और विचार तो मंद हो जाते हैं। माननीय पंचायत मंत्री जो अभी जल्दी ही नये मिनिस्टर हुए हैं उस संज्ञा में नहीं आते हैं इसलिये इनसे प्रार्थना करता हूं कि.........

(समय-समाप्ति-सूचक लगातार घंटी)

बस समाप्त ही कर रहा हूं।

गलत तरीके से आये उनको थ्रो आउट कर दीजिये, नहीं करें तो कम से कम सदन को कान्फिडेन्स में लीजिये, यह आपका परम कर्त्तव्य हो जाता है कि विरोधी पक्ष को कान्फिडेन्स में लें और इसको पारित करें यह एक वाजिब चीज होगी। वरना डेमोक्रेसी की हत्या करने के आप उतने ही

(श्री मानसिंह महार)

जिम्मेदार होंगे जितने कि साम्यवादी लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की क्या मन्शा है, इस विधेयक को कब तक पारित करना है उसके बाद दूसरा विधेयक भी आज ही समाप्त करना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मेरा निवेदन है, जल्दबाजी में पास मत करिये; मैं थर्ड रीडिंग पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। लेकिन दूसरा विधेयक भी लेना है, आखिर कुछ सीमा तो होनी चाहिये, वही मैं जानना चाहता हूं।

क्या सदन की यह अनुमति है कि जब तक आज का कार्य समाप्त न हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आलोचना के विचार से कुछ निवेदन नहीं कर रहा हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसको देखते हुए मुझे निवेदन करना आवश्यक होगया है। या तो मैं यह मानकर चलूं कि मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया जल्दबाजी के कारण, तथ्यों के न समझने के कारण हो सकता है। या समझते हुए भी जान-बूझ कर सदन को गुमराह करने के लिये उत्तर दिया है।

माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसको देखते हुए जहां माननीय सदस्यों ने इस बात का रोष जाहिर किया है कि सरकार ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ इन्क्वायरी किसी को सस्पेन्ड कर सकती है यह पहले से अधिकार था। ऐसे पंच, सरपंच जिन्होंने पंचायतों में गलत काम किया उनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है, इन्क्वायरी चलते हुए पंचायत का टर्म खत्म होगया और दुबारा वह इलेक्ट होकर आगया। उस समय के अन्दर उसको ससपेन्ड करने का अधिकार लेना चाहते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं और आपका ध्यान इस बिल का कन्सर्न्ड सेक्शन है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। सेक्शन ४(ए.)

"(4A) The State Government may suspend any Panch, Sarpanch or Up-Sarpanch against whom an inquiry has been started under sub-section (4) or the proviso thereto, or against whom any criminal proceeding in regard to an offence involving moral turpitude is pending trial in a court of law, and debar him from taking part in any act or proceeding of the Panchayat while under such suspension."

इसमें जहां तक आपकी मन्शा का सवाल है आपने ४ (ए) में नया क्लॉज़ एड किया है, उसमें एक शब्द जोड़ा है that includes the proviso also यह कोई मतलब इन्फरेन्स नहीं करता।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

"Provided that any such inquiry as is referred to in this sub-section may be initiated even after the expiry of the term of a Panchayat, or, if already initiated before such expiry, may be continued thereafter and in any such case the State Government shall, by order in writing only record its findings......." Only record its findings, nothing else.

पुराना सरपंच अगर नया बनकर आगया उसको ससपेन्ड करने की बात है। जब तक आपका यह प्रोवीजो मौजूद है, अधिकार नहीं है जो पंच-सरपंच बेइमानियाँ करते हैं उसको सस्पेन्ड कर सकें। टर्म खत्म हो जाने के बाद दुबारा चुनाव होकर आजाता है, अगर उसको हटाना चाहते हैं तो नहीं हटा सकते जब तक कि यह प्रोविज़ो है। जब तक प्रोविजो मौजूद है तब तक आप उसके खिलाफ केवल अपने फाइन्डिग को रिकार्ड कर सकते हैं only and nothing more; आपका यह कहना कतई सही नहीं है। आपका यह कहना कि ऐसे सरपंचों के दुबारा चुनकर आ जाने पर आप एक्शन नहीं ले सकते, यह सही नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने ऐसा नहीं कहा। यह पावर ऑफ सस्पेन्शन से सम्बन्धित है। पावर ऑफ सस्पेन्शन के लिए आपने यह समझ लिया कि पावर नहीं है। फाइन्डिग दर्ज कराने का पावर है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: सस्पेन्शन पावर नहीं है। आज की स्थिति में जो सेक्शन है आप फाइन्डिग को रिकार्ड कर सकते हैं यह आपका कन्टेन्शन है सस्पेण्ड नहीं कर सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास: हाई कोर्ट ने इत्तिफाक से यही माना है। हमारा कन्टेन्शन नहीं है। हाई कोर्ट ने दो केसों में फैसला दिया है इस तरह का।

श्री कृष्णकुमार गोयल: जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट अब लेकर आये हैं उससे पक्का नहीं कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: नहीं, पक्का करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल: ४-ए में भी वह पावर है। जहां तक केवल सस्पेन्शन का सवाल है सेक्शन १७ की सब–सेक्शन ४ में इन्क्वायरी का है। जिसकी तहत आपने इन्क्वायरी की है और वह सरपंच बाद में आ जाता है तो आज भी पॉवर है कि उसे आप सस्पेन्ड करदें। आपको आज भी कोई रोकने वाला नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास: अच्छा आपकी महरबानी है। हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है फिर तो।

श्री कृष्णकुमार गोयल: आपके अमेन्डिग बिल ने इसे गलत रूप दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: उस वक्त तो यह पैदा ही नहीं हुआ था।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इससे तो आपकी कुछ और ही मंशा है।

श्री दामोदरलाल व्यास: अच्छा, खैर ठीक है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: आप जब जवाब दें तो इन मुद्दों पर भी अच्छी तरह से जवाब दे दें। सब-सैक्शन फोर मीन्स दिस प्रोविजो आलसो।

तो मेरा निवेदन यह है कि असलियत इसके पीछे यह है कि जो पॉवर अब तक सरकार के पास नहीं थी, वह सरकार लेना चाह रही है इसके जरिये।

"..........against whom any criminal proceeding in regard to an offence involving moral turpitude is pending trial in a court of law, and debar him from taking part in any act or proceeding of the Panchayat while under such suspension."

ये पॉवर्स अभी तक उस सैक्शन में नहीं थे अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अदालत में मोरल टर्पीट्यूड के प्रश्न को लेकर जांच चल रही है, कार्यवाही चल रही है तो उस पीरियड में वह सस्पेन्ड किया जा सकेगा। तो यह अधिकार सरकार को आज तक नहीं था, यह अधिकार सरकार ने इसके द्वारा अपने हाथ में लिया है और इस अधिकार को लेने के इरादे से यह अमेन्डमेंट के रूप में ये लाये हैं।

अब आपका यह कहना कि सरपंच बेईमानी कर चुका, दुबारा सरपंच बन जाता है उसको रोकने के लिये यह अमेन्डमेन्ट है तो यह सरासर गलत है। असलियत में सरकार की मंशा यह है कि जिनके खिलाफ अदालत में कार्यवाही चल रही हो, मोरल टर्पीट्यूड इनवोल्व हो तो उसे सरकार सस्पेण्ड करदे। तो इसका नतीजा यह होगा कि राजनैतिक कारण तो अलग रहे, आज गांवों में हर पंचायत में पंचायत समिति और तहसील में जिला परिषदों में जातिगत और दलगत वैमनस्य बहुत फैला हुआ है और इस पृष्ठभूमि में किसी के लिये किसी को पुलिस से मिल जुलकर क्रिमिनल केस में मोरल टर्पीट्यूड के केस में फंसा लेना आसान काम है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हर एक इस तरह से कर सकता है तो पोलिटिकल इश्यू पर सरकार यही काम और भी आसानी से कर सकती है और इस तरह से अपने विरोधियों को विक्टीमाइज इससे करेगी।

इसके लिये एक केस बताना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर और ऐसे केस एक नहीं सैकड़ों की तादाद में गांव गांव में मिल सकते हैं और इस कानून के बन जाने पर तो ऐसे केसों की भरमार हो जावेगी। एक खातेदार था सरपंच था। उस खातेदार ने अपनी जमीन को अधौली पर एक किसान को जुता रखी थी। और उनका आपस में फैसला था कि जो खेत से माल आवेगा उसका आधा मेरा और आधा तेरा। तो जिस समय माल खलिहान में था, खातेदार अपना आधा हिस्सा लेकर चला गया। अब हुआ यह कि पीछे से खेत के जोतने वाले ने पीछे से मालिक के खिलाफ ३७९ थेफ्ट का केस चला दिया। हालांकि बाद में जाकर वह डिस्चार्ज हुआ। तो आप अन्दाज लगाइये कि जो पॉवर सरकार लेना चाहती है इसका यह सरकार पॉलिटिकल ऐम के लिये किस हद तक दुरुपयोग कर सकेगी।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

राजनीति और दलबन्दी के आधार पर किसी भी पंच-सरपंच को क्रिमिनल केस में मोरल टर्पीट्यूड के केस में इनवाल्व करना उसके लिए और भी आसान हो जावेगा और इस बिना पर उनको सस्पेन्ड कर देगी। इस बिना पर जिसको चाहेगी सरकार सस्पेण्ड करा देगी। सरकार इस तरह से अब नहीं करेगी, यह आज तक के तथ्यों की रोशनी में एक प्रकार से सत्य से आंख मींचना होगा।

आज बड़े बड़े केसों में बड़ी बड़ी रकमें इनवालव्ड हैं, बड़े बड़े एमबेजलमेन्ट्स होते रहते हैं। पर पोलिटिकल बेस पर उनकी पार्टी के आदमी होने के कारण लगातार बारबार कई शिकायतों के करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार आज तक नहीं कर पाई शिकायतों तक तो दबा देती है, या टालती जाती है। पर इसके विपरीत गलती से किसी ने डेड रुपया जमा नहीं कराया या रकम अपने पास रखकर बैंक मे थोड़ी देर से जमा कराया इस कारण कि बैंक में पोस्ट आफिस में चोरी होजाने के कारण एम्बेजलमेन्ट हो जाने का डर था। तो थोड़े दिनों के लिये रकम अपने पास रख ली इस कारण तो उसको तुरन्त चार्ज-शीट मिल गया क्योंकि वह शासक पार्टी का आदमी नहीं था, विरोधी पक्ष का था। उसके खिलाफ रिमार्क्स दिये गये। आज भी हैरान किया जा रहा है। पर इसके विपरीत जिन लोगों ने बड़ी बड़ी रकमें यों ही हड़प करलीं, गबन क्लीयरकट है, बिलों के डबल पेमेन्ट ले लिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई; न इरादा ही दिखता है कि वह कोई कार्यवाही करेगी, यों ही हश अप कर देगी तो इसमें एक दृष्टिकोण रखा गया है केवल राजनैतीक। इसके आधार पर पंच-सरपंच सस्पेन्ड किये गये, उनके खिलाफ जो भी कर सकते थे वे सब कार्यवाही की गई। और दल विशेष के व्यक्ति के खिलाफ उससे भी संगीन आरोपों में कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो यह अधिकार और हाथ में आ जाने से तो सरकार और भी खुल कर खेलेगी।

यहीं तक नहीं, पंचायत समिति के स्तर पर जब किसी पंच-सरपंच के खिलाफ बी.डी. ओ. एन्क्वायरी करता है तो पच-सरपंच इन्क्वायरी की धौंस बताकर उसे बाध्य किया जाता है कि तुम अपनी पंचायत के लिये पम्पिंग सैट लेना चाहते होतो अमुक जगह से अमुक आदमी से खरीदो, अमुक वस्तु खरीदना चाहते हो तो अमुक स्थान से खरीदो, अमुक व्यक्ति से खरीदो और उस आधार पर उसका कमीशन बी०डी०ओ० खाता है। आपके सामने ऐसे सैकड़ों तथ्य आये होंगे, आपकी पार्टी के लोग लाये होंगे। न आये हों तो मैं देने को तैयार हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो अब तक कम से कम नहीं लाये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अभी दे रहा हूं फाइलें।

श्री दामोदरलाल व्यास : दीजिये, मैं एन्क्वायरी करता हूं कि नहीं, यह भी आप देख लेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : देखने के लिये भले ही कर लेंगे, पर उसका हस्र क्या होने वाला है, हम जानते हैं। आपको अभी आये थोड़ा समय हुआ है। इसके बाद जो जो केसेज आपके सामने आवेंगे आप जान पावेंगे कि आपका कहना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तक जो चीजें हुई हैं. उन पर आप भी मानते हैं कि दलबन्दी है और राजनैतिक दृष्टिकोण से गांव में आपस में एक दूसरे से इतनी घृणा है कि एक दूसरे को फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। तो इस नये कानून के आधार पर तो क्या नहीं हो जावेगा।

इसके अन्दर एक और केस ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा का देना चाहूंगा। इसके अन्दर जो वहां का सरपंच था उसके ऊपर केवल चार्ज यह था कि दो हजार रुपये जिले में कुछ काम के लिये देने के लिये अपने पास कुछ समय के लिये रख लिया। वह सफाई दे रहा है कि मैंने यह रुपया केवल इसलिये कुछ समय के लिये अपने पास रख लिया है कि मेरे यहां पर पोस्ट आफिस था उसके अन्दर कम से कम पांच छः पंचायतों का दस हजार का गबन हो गया था इसलिये वहां मैंने जमा नहीं कराया और बरसात खतम होने के बाद ही ठेके में लगा दिया। उसके खिलाफ कोई एम्बेजलमेन्ट का केस नहीं बनता, थेफ्ट का भी नहीं है। केवल कुछ दिन रकम अपने पास रख लेने के नाम पर उसको चार्ज-शीट दी गई, उसे रिमार्क दिया गया और तथाकथित नियमानुसार रिव्यू उसकी मन्जूर नहीं की जा रही है। दुबारा रिव्यू का नोटिस नहीं लिया। रिव्यू आपके पास पेन्डिंग में है। पर नोटिस आपने दे दिया कि उसे सस्पेण्ड क्यों नहीं कर दिया जावे। इस तरह से पोलिटिकल आधार पर मोटिव इम्प्यूट किये जाते हैं। दल विशेष के आधार पर मंत्री विशेष के दबाव से इस तरह से किया जाता है, यह उचित नहीं है। उसके लिये आवश्यक है कि आप जिस प्रकार के ये निरंकुश अधिकार लेना चाहते हैं वे न लें।

फिर तथ्य क्या २ लावें आपके सामने। कौन पंच-सरपंच आपको एप्रोच कर सकता है? सैक्शन में किसको क्या अधिकार है किसको मालूम है। कुछ ही लोग आप तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद भी जो अधिकार मिले हैं आपके पास पहुंच कर रिव्यू की एप्लीकेशन दें। उसका नोटिस तक नहीं लिया जाता।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां का केस बताया यह आपने ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह पंचायत लक्ष्मीपुरा पंचायत समिति तालेड़ा, जिला बूंदी का है।

इसी प्रकार एक केस और बता रहा हूं। यह है ग्राम पंचायत भूडा का बास, पंचायत समिति अलसीसर। इसको आपके विभाग के द्वारा केवल चार्ज-शीट और नोटिस इस्यू किया कि अमुक मुकदमे के फैसले की नकल आपने नहीं दी। आप अनुमान लगाइये इसकी सीरियसनैस की। आपके सामने तथ्य पेश कर दिया कि उसने रजिस्ट्री से उसे इत्तला दी कि आकर नकल ले जाओ। यहां तक कि नकल लेने की दरख्वास्त तक उसने नहीं दी, बल्कि उल्टे रजिस्ट्री से नकल ले जाने की सूचना दी, इस पर यह हाल है। राजनैतिक दलबन्दी के आधार पर केवल हैरेस किया जा रहा है। जब कि इससे भी बहुत अधिक सीरियस केस अन्य लोगों पर हैं पर चूंकि वे आपकी पार्टी के हैं इसलिये आप उन पर किसी तरह की आंच नहीं आने देना चाहते, उनको शील्ड करते हैं। पंचायत समिति दांता रामगढ़ की छोड़ पंचायत के सरपंच के खिलाफ सीरियस चार्ज हैं। उसके खिलाफ

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लगातार जाँच करने की रिक्वेस्ट की जा रही है। पर जाँच करने को आप तैयार नहीं। उसने गोचर भूमि को अपनी मनमानी करके अलॉट करना शुरु कर दिया। लोग शिकायतें आपके पास कर रहे हैं, पर आप कोई जांच नहीं कराते, कोई एक्शन नहीं, कोई नोटिस नहीं।

माननीय सदस्य निम्बाहेड़ा ने एक केस और दिया था आँवां की पंचायत का, पंचायत समिति, साँगोद का। उसका नोटिस लीजिये। क्लेक्टर और मिनिस्टीरियल लेवल तक कहा गया कि इनकी जांच कराई जाकर क्रिमिनल केस चलाया जावे। रकम रिकवर कराई जावे। पर आज तक कुछ नहीं कराया गया।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास सस्पेन्शन वगैरह के पॉवर जैसा आप इसके द्वारा लेने की बात कहते हैं, वे पहले से आपके पास थे, इससे तो आप बहुत खतरनाक अधिकार एक और लेना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजनैतिक आधार पर क्रिमिनल केस चलाया जाकर उसे सस्पेन्ड करा दिया जावे।

तो इसलिये पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप सीरियस थॉट इस पर दें।

दूसरी बात बी०डी०ओ० जो कमीशन परचेजेज पर पंच-सरपंच को दबाकर लेना चाहते हैं तो इसके लिये एक आप इस प्रकार की लक्ष्मण रेखा खींच दीजिये कि जिससे असीम डिस्क्रीशनरी पॉवर सरकारी अधिकारियों के पास रह ही नहीं जावे ताकि उनका मिसयूज करके अपना डिस्क्रीशन जिस तरह चाहें यूज करें, जिसको चाहें डरावें धमकायें और जिसको चाहें सस्पेन्ड करें न करें। इस तरह के डिस्क्रीशनरी अधिकार किसी अधिकारी के पास आप न रहने दें। एक इस तरह की क्लीयरकट डिक्शनेरी बनादें कि अमुक एम्बेजलमेन्ट हो तो सस्पेन्ड करदो—मोरल टर्पीट्यूड हो तो सस्पेन्ड करदो। ऐसा नहीं करेंगे तो पक्षपात इस डिस्क्रीशन के आधार पर चलता रहेगा। राजनैतिक आधार पर जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया जावेगा। पंच-सरपंचों को हैरेस किया जाता रहेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पंचायत विधि (संशोधक) विधेयक प्रस्तुत है इसमें तीन मुद्दे हैं। जब इन तीन मुद्दों पर दृष्टिपात करते हैं तो फिर यह समझ में नहीं आता कि इतनी बौखलाहट इन तीन मुद्दों को लेकर क्यों होती है?

आज का हमारा पंचायती राज शैशव-काल से यौवनावस्था की ओर चल रहा है। ५९ में पंचायत समिति और जिला परिषदों ने जन्म लिया। ६३ में पंचायती राज ने जन्म लिया। अनुभवों के आधार पर लोकतन्त्र को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है इसमें खामियां कहां-कहां पर नजर आरही हैं उनको दूर करने का और इस तरह से जनतन्त्र को मजबूत बनाने के लिये इस विधान सभा में कानून पेश करने का और उसे पास करने का सरकार को अधिकार है।

तो इस दृष्टि से लाये गये इस छोटे से संशोधन बिल के तीन मुद्दों पर इतना बड़ा बावेला समझ में नहीं आता। आखिर आप

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लोकतन्त्र के हामी हैं। विकेन्द्रीकरण को पनपाना चाहते हैं तो फिर इस तरह की बात करके कैसे आप जनता से कहना चाहेंगे कि आपने सही सत्ता लोगों के हाथ में सौंपी है?

(५ म. प.)

आपको एक बात कहूं कि एम० एल० ए० और एम० पी० को शपथ लेने का प्रॉवीजन है। आप क्या खुद सहमत हैं? क्या आपके दिमाग में यह बात ठीक नजर आती है? जब कि विधान के अन्दर जो कि विधान सभा एक कानून बनाती है, जो कि पार्लियामेन्ट हिन्दुस्तान के कानून बनाती है उसमें बैठकर के हम एक शपथ लें और संविधान के प्रति निष्ठा के लिए शपथ लें और फिर जिला परिषद् जिसमें कि कोई इस प्रकार का कानून बनाने की बात नहीं है हमारी राज्य सरकार के प्रति जब निष्ठा की शपथ विधान सभा में लें तो मेरी समझ में नहीं आता कि जहां हम एम० एल० ए० की हैसियत से जाते हैं वहां शपथ लें। आखिर आपके कानून में खामियां हैं और वह सामने आईं और उसको संशोधित किया तो मैं समझता हू कि अच्छा काम किया। आपने यहां भी बात रखी कि इसमें तो बहुत सी बातें आयेंगी और जैसे जैसे बातें आयेंगी उनका ठीक करने का प्रयास करना ही सही माने में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को पनपाना है।

दूसरी बात जो इसमें आई है कि कुछ लोगों को एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति और एक जिला परिषद् से दूसरे जिला परिषद् में ट्रान्सफर करने के बारे में। एक तरफ आपको इस बात का डर है--एक तरफ इस बात के लिए कहते हैं कि यह पंचायत समितियां और जिला परिषदें राजनीति के अड्डे बनते जा रहे हैं, और राजनैतिक तौर पर लोगों के ट्रान्सफर और प्रमोशन्स किये जाते हैं, लोगों को एक से दूसरी जगह ट्रान्सफर किया जाता है। आप फिर क्या चाहते हैं? इनके ऊपर किस प्रकार से चैक-अप हो, किस प्रकार से यह जो वृत्ति पैदा हुई है जो कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को कमजोर करने की प्रवृत्ति है इसको कैसे रोका जाय? तो राज्य सरकार का परम कर्त्तव्य है कि इसको वह रोके और वह तभी रुक सकती है जब कि कानून के अन्दर इस प्रकार की बातें हों क्योंकि यह मेरा अनुभव है और मेरे अनुभव के आधार पर ही आपको बतलाना चाहता हूं कि एक पंचायत समिति ने आज से दो साल पहले कुछ अपॉइन्टमेन्ट टीचर्स के कर दिये जो कि अनट्रेण्ड टीचर्स थे। लेकिन हमारा जो कानून है उसमें पंचायत समितियों को इस बात का अधिकार है कि वह ३ महीने और ६ महीने के लिए किन्हीं लोगों को अपने यहां अपॉइन्टमेन्ट्स दे सकती हैं। लेकिन राज्य सरकार के आदेश इस प्रकार के हैं कि ट्रेन्ड अध्यापकों को लगाया जाये। लेकिन पंचायत समिति ने इसकी कोई परवाह नहीं की। तो अगर राज्य सरकार के हाथ में कोई कानूनन अधिकार होते हैं और राज्य सरकार उसमें रोकथाम करती है और यह प्रवृति रखते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि एक दिन इस बात के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा कि जो सर्विसेज हैं चाहे अध्यापक हों, चाहे ग्रामसेवक हों इनके ऊपर जितने भी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के जो इलेक्टेड लोग हैं इनका कम से कम अधिकार होगा ट्रान्सफर के लिए, प्रोमोशन के लिए। काम उन्होंने किये, सी० आर० उनकी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लिखी जाय और हमारी राय हो लेकिन इस बात के लिये नहीं कि उनकी कोई शिकायतों के लिए, केवल पंचायत समिति और जिला परिषदों में जिसको कि आप भी कहते हैं कि राजनैतिक आधार पर उनका गठन होता है उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाय तो एक दिन उनकी मनोवृत्ति इस बात के लिए होगी और वह कोई काम करना पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा। हमको राज्य सरकार को इस बात के मजबूर करना चाहिए।

(समाय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरी बात निलम्बित किये जाने के बारे में कहना चाहता हूं। सरपंच और प्रधान की बात है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। परचेजेज की बात अभी कोटा से जो माननीय सदस्य आये हुए हैं उन्होंने कही। भूमरेन पंचायत समिति में बी० डी० ओ० छुट्टी पर गया था। एक अकाउन्टेन्ट और आफिशियेटिंग बी० डी० ओ० ने २० हजार की खरीद करली और उन्होंने १६० पर सेन्ट के ऊपर खरीद की और उसमें कोई ८-१० हजार का घोटाला हुआ और बी० डी० ओ० ने खुद ने माना कि १३०० रुपये मेरे हिसाब में आये हैं और जो उसका अकाउन्टेन्ट है उसको केवल सस्पेन्ड किया है। आज सवाल इस बात का पैदा हो रहा है कि वह अकाउन्टेन्ट स्थाई समिति से इधर-उधर से करके तमाम घोटाले में क्यों कि उस घोटाले के अन्दर इलेक्टेड लोगों का भी हाथ है उसके अन्दर दूसरे लोगों का भी हाथ है यदि उसकी इन्क्वायरी की जाय तो मालूम होगा कि उसमें टेन्डर लिए गए, डबल टेन्डर लिए गए और २६ और २८ तारीख को इस तरह से खरीद की गई कि उसमें ५-७ हजार का घोटाला एक दिन में कर लिया। इसलिए जैसे जैसे खामियां आयें और.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जैसे-जैसे पता लगे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के हित में यही सबसे अच्छा है कि आप उन सबको संशोधित करते रहें जिससे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण फलता और फूलता रहे।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सरक्यूलर की बात कही कि ऐसा जारी किया गया। वास्तव में कोई सरक्यूलर नहीं है। कानून की स्थिति है वह साफ बताई गई है। बी०डी० ओ०को पॉवर्स नहीं हैं कि पंचायत समिति या उसकी स्टैंडिंग कमेटी के फैसले को वह खुद रोक सके। अगर वह उससे सहमत नहीं है तो उसको पॉवर्स दी गई है कि २४ घन्टे के अन्दर उस मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को करदे। कलेक्टर को अधिकार है कि उस रिज्योल्यूशन को सस्पेन्ड कर सकता है और राज्य सरकार को अधिकार है कि वह उसको निरस्त कर सकती है। तो यह सारी स्थिति सरक्यूलर के रूप में साफ की गई है। तो यह बहुत जरूरी था ताकि वह प्रोसीजर इमीजियेटली एडॉप्ट करले। कलेक्टर से स्टे ऑर्डर ले ले। यह स्थिति उसको बताई गई है और यह सही है कि उस बी०डी०ओ० को कानूनन अधिकार नहीं है कि पंचायत समिति के किसी भी फैसले को वह रोक सके, क्योंकि after all B.D.O. is an employee of Panch ayat Sami

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

इसलिए उसके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है कि बी०डी०ओ० कलेक्टर को रिपोर्ट करे इस बात की। उस सरक्यूलर को लेकर इतना कहना कि बी०डी०ओ० को कह दिया गया कि पंचायत समिति जो कुछ गलत-सही काम करे उसमें दखल नहीं दे यह मेरे ख्याल से वह बहुत ज्यादा कह गये। वह कैसे कह गये? यह तो मुझे समझ में नहीं आता।

इसी तरह से कुछ माननीय सदस्यों को मैंने पहले भी समझाया था कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि पंचायत समितियों और पंचायतों में गबन ही गबन होते हैं ऐसा कहा जाये। इस तरह की भावना पंचायती राज संस्थाओं के लिए पैदा करना मैं समझता हूं कि अपने देश के हित में भी नहीं है। यह सही है कि जिन पंचायती राज्य संस्थाओं में एक ओर आदमी चुने हुए हैं करीब ७५०० पंचायतें हैं, २३२ पंचायत समितियां हैं उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी और जरूर होती है। हम एक्शन भी लेते हैं, और उनके काम का इवेलुएशन भी करते हैं, और कार्यवाही भी करते हैं। हो सकता है कहीं-कहीं गलती हो गई हो। जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया दो केसों के बारे में। इनको आप मेरे पास भिजवादें। आप कहते हैं कि इन्क्वायरी नहीं की। एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर दोष लगाना चाहते हैं कि हम दलगत राजनीति से काम करना चाहते हैं या हमारी पार्टी जिसमें इंट्रेस्टेड हो एक्शन नहीं लेते हैं। आप कम से कम हमें एक जगह तो गलत खड़ा कीजिए और बताइये कि आपने यह शिकायत की और हमने एक्शन नहीं लिया। बहरहाल जांच तो करनी पड़ेगी और वह भी तरीके से करनी पड़ेगी, उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। इसलिए यह खयाल करना कि दलगत राजनीति के लिए काम करते हैं मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि यह कतई सही बात नहीं है। जिस समय इस सदन में मेरी डिमाण्ड के ऊपर बहस हुई थी तो मैंने फिगर्स दी थीं माननीय सदस्यों को कि कितने पंच, सरपंच के खिलाफ कितना २ और किस-किस तरह का एक्शन लिया गया है और मैंने उस समय यह भी बताया था कि केवल इन फिगर्स से ही पता चल जायेगा कि ज्यादातर किन के खिलाफ एक्शन लिया गया है। क्योंकि हमारी पार्टी के लोग ज्यादा हैं इसलिए उनके ऊपर ज्यादा एक्शन होता है। इसलिए किसी को अनड्यू प्रोटेक्शन देने का कोई सवाल नहीं है। अगर कहीं अनियमितता नजर आयेगी, अगर गबन नजर आयेगा तो बराबर एक्शन लेंगे और लेते आ रहे हैं और यह मैं आपको पूरी तरह विश्वास दिलाना चाहता हूं......

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): आपने जो यह कहा कि एक्शन लेते आये हैं, बिलकुल गलत है, आप कभी एक्शन नहीं लेते। न तो एक्शन लिया गया और न लिया जाता है। इसके लिए मैं सन् ६० से जो सरपेटा पंचायत समिति के अंदर धर्मचन्द था उसके लिए कह रहा हूं लेकिन आपके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं समझता हूं कि शिकायत करना दूसरी बात है और कम्पलेंट को प्रूव करना दूसरी बात है। हो सकता है कि जो माननीय सदस्य ने शिकायत की वह साबित नहीं हुई हो। बगैर साबित हुए....

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर कांफी ऑबजेक्शन्स हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऑडिट पार्टी के जो ऑब-जेक्शन होते हैं उनके जवाब दे दिए जाते हैं प्रधान के द्वारा सरपंच के द्वारा और जवाब देने के बाद ऑडिट पार्टी के ऑब-जेक्शन्स हैं वे कोई वकत नहीं रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय...

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस सरपंच के बारे में मैंने आपको शिकायत की थी उसकी आज तक जांच नहीं की गई है। आप किसी निष्पक्ष अधिकारी को जांच के लिए भेजिए मैं आज भी प्रूव कर सकता हूं। मैं आज भी साबित कर सकता हूं कि जिस कार्य के लिए धनराशि दी गई थी उसका उपयोग उस कार्य में नहीं किया गया है और उसे पंचायत समिति के रिकार्ड में दर्ज कर दिया है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : भिन्डर के प्रधान को सस्पेंड कर दिया है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सस्पेंड कोई यों ही नहीं किया जा सकता। आप बाका-यदा शिकायत कीजिए....

श्री जोधसिंह चौहान : अरे, मैंने तो बाकायदा शिकायत पेश की है, हैंडराइटिंग की कापी पेश की है...

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मेरी बात सुन लीजिए। आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। सदन में पेश कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सदन में पेश करें चाहे मिनिस्टर को दे दें। फर्क इतना सा है कि आपने सदन में पेश करदी ताकि सब जगह मालूम होगया। सवाल यह है कि मैं तो उस दिन यहाँ पर था भी नहीं, जिस दिन आपने इसे यहाँ पर पेश किया था तब, मगर मुख्य मंत्रीजी ने इसका वादा किया था कि वे जांच करायेंगे.........

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : आप यह कैसे फरमाते हैं कि सदन में पेश कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। सदन के अंदर कह देना तो बहुत बड़ी बात है, सारे फैक्ट आ गए हैं, यह कैसे बड़ी बात नहीं है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन-सु०) : आप यह कैसे कहते हैं कि लोकल फण्ड ऑडिट के एतराज कोई वेल्यू नहीं रखते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप माननीय मंत्रीजी की सुनलें उसके बाद आपको जो कुछ पूछना हो पूछ लें।

श्री मानसिंह मद्दार (बामेर) : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। माननीय मंत्रीजी जिस प्रकार से सदन को उपेक्षा कर रहे हैं वह उनको सोचना चाहिए कि उसके कॉंसीक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। सदन में रख देना और मंत्री के हाथ में देना एक ही है। उनके ध्यान में...

श्री उपाध्यक्ष : वे एक्सप्लेन कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य आप उतावले मत होइए। मैं सदन को सदन ही समझता हूं और मंत्री को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मंत्री ही समझता हूं । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ आप कहते हैं उसे चाहे सदन में रख दें या मंत्री को दे दें, सस्पेंड तो वह तभी हो सकता है जब कि उसके खिलाफ कोई मामला बने, कोई केस बने। आप इसके मायने यह लगावें कि सदन ऊंचा है या नहीं, सदन तो ऊंचा है ही........

श्री जोधसिंह चौहान : आपने बम्बोरा के सरपंच को कैसे हटा दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बम्बोरा–बम्बोरा तो आपकी जबान पर है पर मैं आफहैंड कैसे कह सकता हूं.........

श्री जोधसिंह चौहान : क्यों नहीं कह सकते ? जिसके खिलाफ आप कार्यवाही करना चाहें तो अपनी मर्जी से भी करलें और यहां पर हम जो एक लाख आदमियों के रिप्रेजेन्टेटिव हैं और हम आपको निवेदन कर रहे हैं, उसके बारे में जांच कराने में, उसका आश्वासन देने में भी आपको कोई बोझा मालूम होता है, इससे ज्यादा दुःख की बात और क्या हो सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जांच का आश्वासन मुख्य मंत्रीजी ने दिया था, मैं तो था भी नहीं उस दिन...

श्री जोधसिंह चौहान : गोगुन्दा के प्रधान के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते जिन्होंने ७५,०००) का माल बिना स्वीकृति के खरीद लिया। टेंडर नहीं किया और खरीद लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक सरकूलर की बात है, मैंने उसका जवाब दे दिया है। कोटा से आए हुए माननीय सदस्य ने कुछ लीगल कठिनाइयां पैदा की हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं सिवाय उनको यह कहने के लिए यह तो रिपोर्टेड जजमेंट है, आप उसको पढ़ लीजिए । नए कानून को लाए बिना हम मौजूदा प्रोविजन्स में सस्पेंड नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के इस वरडिक्ट को हमें मानना पड़ेगा। रहा सवाल... ...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मैं कहता हूं कि अधिकार है ...

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं कानून की बात में नहीं जाना चाहता। मैं अपनी बात को ही वापिस लेता हूं, मैं इसकी बहस में नहीं पड़ना चाहता....

श्री कृष्णकुमार गोयल: मै स्पष्टीकरण करना चाहता हूं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपके कानूनी मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहता, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं....

श्री कृष्णकुमार गोयल: नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ डाउट है उसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यह मेरा पूरा अधिकार है कि जो कुछ मुझे संदेह हो उनका संतोष कराया जाय। आप केवल यह कह कर कि हाईकोर्ट का जजमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि यह....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका कहना ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप सारे जवाब को

(श्री उपाध्यक्ष)

न लें और जो बाकी रह जाय तो आप बाद में पूछलें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप कह रहे हैं कि......

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने निवेदन कर दिया है यथा विधि और जिनको जवाब देने का हक है उनको जवाब देने दें उसके बाद में....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय गलत समझ रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: अच्छा साहब, मैं तो गलत ही समझता हूं। मैं कब इनसिस्ट करता हूं। मैं तो आपको ही सही मानता हूं। मैं उस कन्ट्रोवर्सी को ही खत्म करता हूं। जो कानूनी पॉइंट है उसको मैंने गलत समझ रखा है। अब तो खुश हैं आप ? मैं कह रहा हूं कि इसमें हाईकोर्ट का जजमेंट है...

श्री कृष्णकुमार गोयल : हाईकोर्ट के जजमेंट की बात आप बता रहे हैं। मैं पूछता हूं कि जो सस्पेंड की पावर्स हैं वह फाइंडिंग रिकार्ड के पहले सस्पेंड करने की हैं या फाइंडिंग रिकॉर्ड करने के बाद में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तो माननीय उपाध्यक्षजी जो मैंने अर्ज किया कि जो यह कहा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं में लाखों रुपयों का घोटाला है तो यह बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है। जितनी बड़ी संस्थायें हैं और जितने इलेक्टेड मेम्बर्स की तादाद है उनको देखते हुए जब भी कोई मामला सामने आता है तो उस पर एक्शन लेते हैं, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाती है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): जो एण्टी-नेशनलिस्ट एक्टीविटीज में इन्वोल्व्ड हैं उनको सस्पेंड करने के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए सदन में कहा, आज जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है कि कुछ पंच और सरपंच और प्रधान राजस्थान प्रदेश के बोर्डर एरिया पर रहते हैं और उन्होंने इस एमर्जेंसी में कुछ देश के साथ गद्दारी की है। मैं उसके फिगर्स कलेक्ट कर रहा हूं, इन्फोर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं और अगर मौजूदा कानून में कोई कार्यवाही की जा सकी तो उसके अनुसार की जाएगी, नहीं तो इस सदन के उठने से पहले ही इसी सदन के अन्दर ही उनके खिलाफ कानून लाऊंगा।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): एक जानकारी चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब बस करें।

श्री दिग्विजयसिंह: इसी हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष : No no I wont allow now.

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय, जो पक्ष में हों वे हां कहें।

(श्री उपाध्यक्ष)

'हां' पक्ष जीता।

कई माननीय सदस्य 'Noes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: You claim division ?

श्री मानसिंह महार (आमेर): Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: मैं इसे दुबारा रखता हूं। प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

"हां" पक्ष जीता

श्री मानसिंह: No, Sir. 'Noes' have it

(मत विभाजन घण्टी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १६६६

(परिनियत संकल्प की प्रस्तुति, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल ?

श्री कृष्णकुमार गोयल: I withdraw. I don't want to speak.

श्री उपाध्यक्ष: That's all right.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री मथुरेश बिहारी माथुर, श्री राधाकृष्ण गोयल।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): I also don't want to speak.

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १६६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): इसको ऐसे ही पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि नाथद्वारा टेम्पल (एमेंडमेंट) बिल, १६६६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी कोई एतराज नहीं है कि संशोधन विधेयक पास किया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार: (निम्बाहेड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है, इस सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष: When it has been agreed, ...

श्री अब्दुलजब्बार: दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मुझे एक मुद्दे की बात अर्ज करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के सम्बन्ध में जो संशोधन विधेयक सरकार ने पेश किया है और उसके द्वारा 'तलकायतजी को पूजा सम्बन्धी हस्तक्षेप

(श्री अब्दुलजब्बार)

होता था उनको दूर रखा गया; इस बिल के संदर्भ में, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रोर इसी बिल की लाइट में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार इस बिल को लाकर इस पर विचार करती है उसी प्रकार सरकार को चाहिए कि अन्य किसी भी प्रकार के कोई भी देवस्थान हों, धर्म-स्थल हों, या ऐसे मजार हों कि जिनका मजहब से ताल्लुकात हों उनमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं सरकार से कि कम से कम जिस प्रकार से म्युनिसिपल एक्ट में देवस्थान की जमीनों के ऊपर, मन्दिरों की जमीनों के ऊपर, मस्जिदों की जमीनों के ऊपर जो मकानात हैं उन पर हाउस-टैक्स लगा रखा है वो यह बेजा हस्तक्षेप है। जिन देवस्थानों को, इबादतगाहों को जीवित रखने के लिए पुरानी स्टेटों ने उनकी पूजा-पाठ के लिए, मुल्ला-मौलवियों के चिराग करने के लिए जागीरें दी थीं तो आज राज्य सरकार को चाहिए कि उनको जीवित रखने के लिए वही व्यवस्था उन्हीं को दे देनी चाहिए। बेजा हस्तक्षेप से किसी किस्म की मजहब में प्रगति हुई हो यह मैं मानकर नहीं चलता बल्कि जहां राज्य का हस्तक्षेप धर्म के मामले में हुआ है वहां सुधार नहीं हुआ।

मैं इसी बिल की लाइट में अर्ज करना चाहता हूं के राज्य के हस्तक्षेप से आज पुजारियों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं मौलवियों को तनख्वाहें नहीं मिलती है। पुजापा समय पर नहीं पहुंचता है। दिया-बत्ती नही होता है, झाड़ बुहार नहीं होता है। आये दिन ये बातें सदन में सुनने में आती हैं कि देवस्थानों, गुरुद्वारों के लिए और मस्जिदों के लिए उनको मैंटेन करने के लिए। मुझे खुशी है कि सरकार इस ओर लिनियेन्सी बरत रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पूर्ण रूप से जागरूक होकर उनकी जागीरें वगैरह जितनी हैं उनमें बेजा हस्तक्षेप न करके वहां से निकाल कर उन्हीं को बनायें, उन्हीं के हवाले उन्हें कर दिया जाय। उस बेजा हस्तक्षेप को रोकें। उन पर जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये जाते हैं तो उनकी तनख्वाह देवस्थानों पर भार है। सरकार समझती है कि वह अच्छा कर रही है लेकिन...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

वह ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यह अच्छा समझता हूं कि यह कहूं कि सरकार उस ओर भी ध्यान देगी यही मुझे अर्ज करना है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, १९६६...

(श्री दामोदरलाल व्यास के खड़े होने पर)

Would you like to reply ?

यह तो आपका निवेदन है जनरल Not on Nathdwara Temple Bill. So it does not need a reply, but if you want to give a reply, you may.

श्री अब्दुलजब्बार: इस सम्बन्ध में कम से कम उनके विचार तो मालूम हों कि भविष्य में क्या स्टैप्स लेना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: यह नाथद्वारा से सम्बन्धित नहीं है।

Page No. 119

श्री दामोदरलाल व्यास : It is only an Ordinance.

श्री उपाध्यक्ष : So I am just putting it.

प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

नाथद्वारा टेम्पल (एमेंडमेंट) बिल, १९६६ पारित हुआ ।

(विराम)

सदन की बैठक कल प्रात : काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है । (तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बज कर २५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई) ।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६६)

स्कन्ध सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	१६	श्री तेजराम	श्री तेजाराम
७	६	सराड़	सराड़ा
१३	१	पसयदारों	पसायतदारों
१५	५	गंगासिह	गंगासिंह
१७	शीर्ष	महारह)	महार)
१७	२२	बतावे	बतानें
१७	अंतिम से २	से	नें
१८	३	औरतें	औरतों
२०	अंतिम से २	क	के
२७	९,११	परिणित	परिणत
३१	अंतिम से ९	परिणित	परिणत
३२	६	शर्ण	शर्मा
३४	२	डी. एफ. आ.	डी. एफ. ओ.
३४	७	बीइंग	बींग
३४	२१	खड़	खड़े
४३	अंतिम से १०	अपने	आपने
४३	अंतिम से १४	ह्यु	ह्यू
४४	अंतिम से १६	६१००)	६१,०००)
४९	अंतिम से ८	क्य	क्या
५२	अंतिम से ६	कुतनामा	कूंतनामा
५३	अंतिम से ११,१२	कूत	कूंत
५७	शीर्ष	(श्री दयाचंद सोन)	(श्री समाज कल्याण मंत्री)
६०	७	वांपिस	वापिस
६१	१६	स्कुटिनी	स्क्रुटिनी
६१	अंतिम से १२	किन्तू	किन्तु
१०३	अंतिम से १३	जसा	जैसा

१	२		३	४
१०५	अंतिम से	१३	उसको	उसका
११०	अंतिम से	१३	घन्टी	घन्टी)
११०,११२		शीर्षक	(सशोधन	(संशोधन)
११४		२०	इसका	इसको
११४	अंतिम से	२	ता	तो
११६		१५	का	को
११६	अंतिम से	१२	बाते	बातें
१२२		शीर्षक	६६६	१६६६
१२७		८	नाजायज	नाजायज्ञ
१३७	अंतिम से	१	प्रजेन्स	प्रेजन्स
१३६		२	सतुष्ट	संतुष्ट
१३६		११	जयगा	जायगा
१३६	अंतिम से	१४	मेशा	हमेशा
१४०	,, ,,	१३	बनान	बनाने
१४३		६	कालना	निकालना
१४३		१७	बेईम	बेईमान
१४४		२	ुने	चुने
१४८		२	दिय	दिया
१५१		७	झे	मुझे
१५१	अंतिम से	१२	टक्स	टैक्स
१६७		७	चास सिंह	चौसर सिंह
१६६		७	पडेगा	पड़ेगा
१७१	अंतिम से	२	ी	ही
१७१	,, ,,	२	कोि श	कोशिश
१७२	,, ,,	१३	मह ूस	महसूस
१७६		१८	मतंबा	मर्तबा
१८५		११	कृष्णकुमारजी	श्री कृष्णकुमार गोयल
२००		१३	बठने	बैठने
२०८	अंतिम से	११	से	उनसे
२२५		१०	रिमाव	रिमार्क्स
२२०		१६	संशोधक	संशोधन
२२४	अंतिम		Sami	Samiti
२२६			बहरग्राल	बहरहाल